खण्ड-339, अंक-3
मंगलवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(22 मई, 1979 ई0)

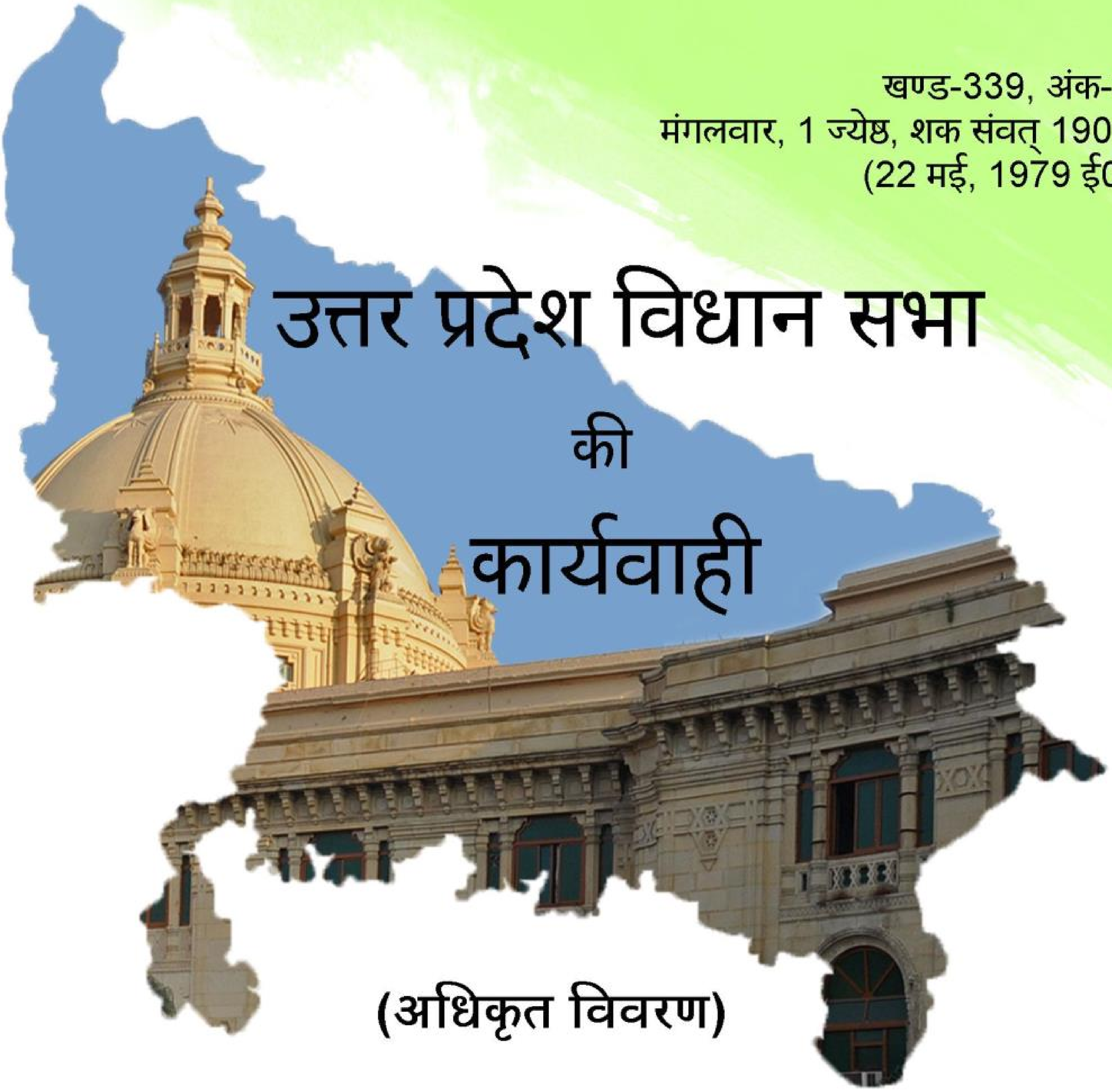

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18––सचिवालय, अनुदान संख्या 19––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30––सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 35––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38––विज्ञान और प्राद्योग विभाग , अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख––गृह (पुलिस) विभाग––पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112––प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम (जारी)	258–292
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	292
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18––सचिवालय, अनुदान संख्या 19––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30–सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 35––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38––विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54–– नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख––गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––नियोजन विभाग––पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112––प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम (जारी)	292–295
नत्थियाँ	296–300

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—304

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमा कान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री

छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबा ी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवाँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री

मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिम अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजवली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती

वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण सिंह, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

संसदीय प्रलेख

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 22 मई, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण सम्बन्धी नियमावली

**1—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

सरकारी सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 19-8-75/का-1-78, दिनाँक 18 अप्रैल, 1978; कार्मिक अनुभाग-1 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियमावलियाँ बन गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

प्रश्नगत नियमावलियों को दिनाँक 14-5-79 को प्रख्यापित कर दिया गया है। पिछले अनेक वर्षों से आ रहे तदर्थवाद को समाप्त करने, तदर्थ रूप से तैनात कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा इन सभी जटिल कार्यवाहियों को विधिक एवं प्रशासकीय रूप से लागू कराये जाने के बारे में विभागीय अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जिस जी0 ओ0 का हवाला प्रश्न में है, उसमें यह भी था कि 1-1-77 के उपरान्त कोई तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं होगी, लेकिन सरकार ने उसकी अवहेलना करके नियुक्तियाँ की तो क्या सरकार जिन हजारों कर्मचारियों की नियुक्तियाँ 1 जनवरी, 1977 के बाद हुई, उन्हें भी नियमित करके या कहीं न कहीं एब्जोर्व करने की बात पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी यह प्रश्न विचाराधीन है। अभी तो शासन द्वारा यह फैसला हुआ है कि जिन व्यक्तियों की 1-1-77 के पूर्व स्थायी पद और स्थायी विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्तियाँ हुई हैं, उनका नियमितीकरण कर दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

जब 1 जनवरी, 1977 के बाद भी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं हुआ, अधिकारियों द्वारा, तो किस प्रकार से वे कह रहे हैं कि विभागों के अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है ? क्या उनकी आज्ञाओं का भंग करना ही उनका सराहनीय कार्य वे समझते हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसमें मैं निवेदन कर दूं कि एक तो यह कि जो आयोग के समक्ष या उनकी परिधि में आते हैं, उनके सम्बन्ध में आयोग को कई-कई बार लिखना पड़ता है, जब कोई उत्तर दिया हर बार ऐसा ही उत्तर दिया है। सरकार द्वारा निर्णय का विरोध भी किया है, तो उस आधार पर बार-बार बराबर लिखना पड़ता है तब अंतिम रूप से कोई कार्यवाही होती है, तो उसमें देरी का प्रश्न ही नहीं उठता है ? इसमें कुछ देरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह काम ही ऐसा था ।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के शासनादेश 10 अप्रैल, 1978 को किये गये थे। अब एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन एक व्यवधान उपस्थित हो गया है कि नियमावली बन रही है। उसके बाद ही नियमितीकरण किया जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष से जो नियमावली नहीं बन पायी है, वह कब तक बन जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियमावली तो बन गयी है, 14 मई, 1979 को प्रख्यापित भी कर दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

1-1-77 के उपरान्त जो तदर्थ नियुक्तियाँ हुई हैं या जो की जायंगी, उनको कितने दिनों बाद नियमित करने का शासन विचार रखता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कहा है कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

1-1-77 के बाद जो तदर्थ नियुक्तियां हुई है, और जो घोषणा उनको नियमित करने की हुई है, तो कितना समय शासन की ओर से इसके लिए निर्धारित है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सरकार ने इस सदन में यह स्पष्ट घोषणा की थी कि 1-1-77 के बाद कोई भी तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायेंगी। उससे पहले जो नियुक्तियां की गयी है, जिनके 3 साल पूरे होते जायेंगे, उनको रेगुलर किया जाता रहेगा, तो इस घोषणा के बाद जो तदर्थ नियुक्तियां की जा रही है, वे किस आधार पर की जा रही है और क्या उनके लिए कोई विशेष जी0 ओ0 जारी किया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जिस घोषणा की बात माननीय सदस्य कह रहे है उसे देख लेंगे कि उसमें क्या हुआ है। यह शासनादेश स्थायी पद तथा स्थायी विभाग के लिये है। हो सकता है कि 1-1-77 के बाद भी कुछ नियुक्तियां हुई हों।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

होता यह है कि तदर्थ नियुक्तियां कर दी जाती है, 7-8 साल काम करते हुये कर्मचारी को हो जाता है, उसके बाद वह ओवर एज हो जाता है, और कहीं के काम का नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को जिनकी नियुक्तियां स्थायी पदों के अगेन्स्ट हुई है, उनको रेगुलाराइज करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसके लिये सूचना चाहिये कि कहाँ किस पद पर नियुक्ति हुई है और वह स्थायी पद पर हुई है या अस्थायी पर ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जो नियमावली 14-5-1979 को प्रख्यापित करना बताया है, उसके नियम 8 में यह प्राविधान किया गया है कि 1-1-77 के बाद हुई नियुक्ति एक माह का वेतन देकर समाप्त कर दी जायेगी, उन लोगो को डिस्मिस कर दिया जायेगा। इस स्पष्ट जी0 ओ0 के बाद 1-1-77 के बाद जो तदर्थ नियुक्तियां हुई है उसमें कर्मचारियों का क्या दोष है वह तो सरकार की गलती से हुई है, अब वे ओवरएज हो गए है, तो जब कर्मचारियों

की कोई गलती नहीं है, सरकार की ही उसमें गलती है तो क्या ऐसे लोगों को भी एव्जार्ब करने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ? सरकार की गलती के लिये कर्मचारी को क्यों दंडित किया जाये ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

जो 1-1-77 के बाद नियुक्तियां हुई हैं, उनको एक माह का वेतन देकर अलग कर दिया जायेगा, क्या मंत्री जी उनको अलग न करके उन्हीं पदों पर उनको स्थायी करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जो पद स्थायी होंगे उन पर मेरिट के हिसाब से रखा जायेगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

यह जो तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं क्या इसमें अनसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का जो आरक्षण है, वह पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या वह पूरा किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

सन् 1977 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वे किन-किन पदों पर हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो तफसील का सवाल है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

हजरतगंज, लखनऊ में हटायी गयी दुकानें एवं उनका कथित मुआवजा

**2---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आवास विकास प्राधिकरण लखनऊ ने हजरतगंज स्थित छोटे दुकानदारों की दुकानें अप्रैल, 1979 में बुल्डोजरों से धराशायी कर भूमि अध्याप्त कर ली तथा दूकानदारों को जनपथ मार्केट में स्थानान्तरित कर दिया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या अध्याप्त की गयी भूमि का मुआवजा दूकानदारों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

यह सही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1979 को जनपथ मार्केट एवं महात्मा गांधी मार्ग के रास्ते पर, एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेन्स पर दी गई भूमि पर स्थित दुकानों को मजदूरों एवं बुल्डोजर की सहायता से हटाया गया है ।

इस भूमि पर के दूकानदारों को, मुख्य भवन से सम्बद्ध दुकानें आवंटित की गई हैं ।

इन दुकानदारों को प्रश्नगत स्थल से हटाने की आवश्यकता, सम्बन्धित का अध्यासन अनिधकृत होने तथा सम्पर्क मार्ग की आवश्यकता के लिए किया गया है ।

दुकानदारों को इसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं है ।

(श्री बाबू लाल वर्मा के पुकारे जाने तथा अनुपस्थित होने पर)

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बाबू लाल वर्मा उपस्थित नहीं है। हमारी इस प्रश्न में दिलचस्पी है। माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष

यह बाबू लाल वर्मा का प्रश्न है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो उसकी तरफ से दूसरा सदस्य जिसे दिलचस्पी हो, वह बोल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है, तो इसे बाद में ले लिया जायगा।

प्रतापगढ़ जिले में आटो ट्रैक्टर्स लि० की स्थापना हेतु ब्रिटिश लेलैण्ड कम्पनी से समझौता वार्ता

** 3—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रतापगढ़ में लगने वाले आटो ट्रैक्टर्स लि0 के लिए लेलैण्ड कम्पनी से समझौता करने हेतु उद्योग सचिव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष गत मास लन्दन गये थे ? क्या यह भी सही है कि उक्त समझौता किन्हीं कारणों से न हो सका ? फलस्वरूप प्रतिष्ठान का सारा काम-काज ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो प्रतिष्ठान को तुरन्त चालू किये जाने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक तथा उद्योग सचिव नवम्बर, 1978 में ब्रिटिश लेलैण्ड के सहयोग से प्रतापगढ़ में लगने वाली फैक्टरी का इकरारनामा कराने हेतु यूनाइटेड किंगडम गये थे। शिष्टि मंडल द्वारा एक मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टेंडिग तथा इकरारनामें पर अद्याक्षर (initial) किये गये। प्रतिष्ठान का काम काज ठप नहीं है। ब्रिटिश लेलैण्ड कम्पनी के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वियन के लिए बातचीत जारी है जो अब अंतिम स्थिति में है और शीघ्र निर्णय होने की आशा है। उपरोक्त कम्पनी के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मेसर्स एच0 एम0 टी0 तथा कुबोटा कम्पनी जापान से भी वार्ता की गई है।

एक बात और बता दूं कि अभी इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर और चेयरमैन इसी मामले को लेकर बाहर गये हुए है, ताकि जल्द से जल्द कार्यवाही हो सके।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा है मान्यवर, उस संबंध में जानना चाहता हूं कि नवम्बर, 78 से मई, 79 तक क्या काम काज हुआ है ? क्या यह सही नहीं है कि तमाम अनुभवी इंजीनियर्स छोड़-छोड़कर चले जा रहे है, सिर्फ इसीलिए कि काम काज ठप है ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसा है कि वहां जाने के पश्चात् जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान कुछ ऐसे प्रश्न उठाये गये थे जिसका संबंध भारत सरकार और यहां की सरकार से था, जिनसे बिना किसी बातचीत के हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असम्भव था। बाद में वहां से एक पत्र आया था, जिसमें यह बताया गया कि तकनीकी जो समझौता है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए लेलैण्ड तैयार नहीं है। हमने फिर मीटिंग किया, तब हमने यह कहा कि वहां से पत्र-व्यवहार होना चाहिये ताकि विचार-विमर्श हो सके। मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को इंग्लैंड भेजा है ताकि कार्यवाही हो सके। जहां तक उस प्रगति को रोकने का सवाल है,

प्रगति कहीं रुकी नहीं है। अब तक 1 करोड़, 6 लाख, 5 हजार रुपये सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और उसमें से 59.75 लाख रुपया खर्च हो चुका है 31 मार्च, 1979 तक जो कार्य हो रहा था, दीवार बन रही थी, ट्यूबवेल लग रहे थे, बोरिंग हो रही थी, नाली भी बन चुकी है। इसीलिए केवल इस बात को ध्यान में रख कर कि प्रगति उसकी नहीं रुकनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह निश्चय सरकार कर चुकी है कि वहां पर कारखाना लगेगा। जहां तक वह समझौते का सवाल है, जो कुछ शर्तें रखी गयी थीं, उसके अंतिम निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच सके हैं।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, इस प्रतिष्ठान का जो लखनऊ स्थित कार्यालय है, कब तक प्रतापगढ़ स्थानान्तरित कर दिया जायगा और अंतिम समय तक इस कम्पनी से ट्रैक्टर कब तक निकल जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न का जो पहला भाग है, उसका जवाब दे दें।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सवाल यह है कि यह मामला जो है, 1972 से अटका हुआ था, 1972 से जो मामला पड़ा हुआ था हमने आने के बाद सरकार में इस बात का प्रयास किया, इस काम में विशेष रुचि लेकर, इसमें प्रगति की जाय, ध्यान दिया। 9-9-77 को फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड से सहमति मिली। हमारी बातचीत करने के बाद ही 9-9-77 को सहमति मिली। लेकिन प्लानिंग कमीशन अपनी सहमति नहीं दे रहा था। फिर भी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की बैठकें हुईं और 11-8-78 को अन्तिम रूप से अपनी सहमति दे दी। जहाँ तक इस कार्यालय को ले जाने का सवाल है, यह बहुत छोटी चीज है। मुख्य मुद्दा यह है कि किसी तरह से समझौता हो जाये। हमने जापान की कम्पनी से भी बातचीत की है, एच0 एम0 टी0 से भी बात जारी है जिससे अगर कोई व्यवधान आ जाये, तो अन्तिम रूप से उसको लगाया जा सके।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

ले-लैण्ड कम्पनी के साथ जो समझौते की बात थी, उसमें टर्म और कण्डीशन्स क्या थीं और किन कारणों से वह विफल हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

पहले इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री बरदराजन थे, उनसे समझौता हुआ था, वह अपूर्ण था और कुछ क्वेरी लेकर बात की गयी। बिलम्ब के आधार पर फीस बढ़ाने की बात थी, लेकिन वह हल हो जाने के बाद 3 मुख्य मुद्दे थे—पहला, यहाँ का जो हिन्दुस्तान मोटर्स है वह भी अपना यहाँ एक डीजल इंजन बना रहा है। यह भी बनाता है और वहाँ से भी आता है, तो पेटेन्ट राइट्स का सवाल उठेगा। दूसरे रायलटी का मसला और तीसरे यह कि अगर हिन्दुस्तान मोटर्स का इंजन कान में लिया जाय तो उसको ले लैण्ड से सर्टिफाई कराते हैं या नहीं। इसलिए तीनों कारणों की छान-बीन करनी जरूरी थी। इसलिए समझौता नहीं हो सका।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आटो ट्रैक्टर्स सार्वजनिक संस्थान है और ले-लैण्ड एक फारेन कम्पनी है। हिन्दुस्तान में तमाम इंजिन बन रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रैक्टर निर्माण के लिए अपने देश में कोई टेक्नोलोजी उपलब्ध है या नहीं और यदि है, तो देशी टेक्नोलोजी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है ? और ले-लैण्ड के साथ जो इंजिनस होगा, कितना होगा ?

श्री राम नरेश यादव—

जहाँ तक यहाँ की टेक्नोलोजी का सवाल है, 1972 से मामला चल रहा है और 28 हार्स पावर के टैक्टर्स बनने थे। यहाँ की टेकनीक्स नहीं थी जिससे ट्रैक्टर्स बन पाते फिर भी अगर एग्रीमेन्ट नहीं हो सकता, तो मेसर्स एच0 एम0टी0 से बात हो रही है, क्योंकि अगर शुरु कर दिया और बाद में कोई डिफीकल्टीज आयीं, तो बाद में दिक्कत होगी इसलिए जो सारी कठिनाईयाँ उन्होंने बतायी थीं, उस आधार पर फिर से बात करने वहाँ गये हुए है और वहाँ से उनके आने पर आगे कार्यवाही की आयगी।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिये एच0 एम0 टी0 तथा अन्य किसी फर्म से बातचीत चल रही है, तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस समझौते के इन्टर होते समय क्या ट्रैक्टर निर्माण की पूरी प्रक्रिया का समझौता नहीं किया गया। वैकल्पिक व्यवस्था करने की शासन को क्यों आवश्यकता पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन यह समझ गया हो कि यह जो एक करोड़ की धनराशि लगाई गयी है इससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिये यह व्यवस्था की गयी हो।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो काल्पनिक प्रश्न है।

श्री मोतीराम—

इस वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, मान्यवर.....

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अभी माननीय उप मुख्य मंत्री ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी का जो समझौता हुआ है वह क्या हिन्दुस्तान मोटर्स से भी है। क्या यह उचित होगा कि हिन्दुस्तान मोटर्स से समझौता करें। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा भेजनी पड़ेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह वैकल्पिक व्यवस्था तो इसलिये है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे यह सूचना मिली कि वह हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं तब जाकर सरकार का ध्यान इस ओर गया कि सदन को यह कहने का मौका न मिले और जनता को भी यह कहने का मौका न मिले कि सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिये इस वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। दूसरे सवाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बार यह सवाल आया था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आपकी आज्ञा से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, एक जड़ का सवाल तो रह ही गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई सवाल नहीं होगा। 15 मिनट हो गये। क्या सब समय इसी में लग जायेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मुख्य प्रश्न तो रह ही गया, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

जड़ का प्रश्न बाद में पूछियेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

बाद में कब पूछा जायेगा क्या फिर से घूम कर यह आयेगा ?

मेरठ जिले के मलियाना निवासी श्री रामदास की हत्या

**4—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 मई, 1979 को मलियाना थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ में किसी हरिजन का कत्ल होने का मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हाँ, तो घटना क्या है ? मारने वाले कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम दास निवासी मलियाना, मेरठ द्वारा थाना रेलवे रोड पर दिनाँक 2-5-79 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई कि लज्जा राम नामक एक लड़के द्वारा चरन लाल के खेत से प्याज उखाड़ने के परिणाम स्वरूप झगड़ा प्रारम्भ हुआ एवं तत्पश्चात चरन लाल, हरी, रमेश दयाल तथा राम निवास द्वारा बन्दूक एवं रिवाल्वर से फायर करने के कारण श्री राम दास हरिजन की मृत्यु हुई एवं अन्य व्यक्ति घायल हुये। इस सूचना पर धारा 302/307, भा0द0 वि0के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर जाकर दो अभियुक्तों को बन्दी बनाया तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। शेष दो नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83, दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं कि 10 तारीख को 82/83 की कार्यवाही जारी कर दिये जाने के कारण श्री रमेशदयाल और श्री राम निवास ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मृतक राम दास ने घटना से पहले एस0एस0पी0 से शिकायत की थीं कि फलाँ फलाँ व्यक्तियों से मेरी जान को खतरा है। दूसरे यह कि घायल व्यक्ति कितने हैं, इसको भी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसी कोई रिपोर्ट या सूचना या पत्र जिसका माननीय विधायक जी ने हवाला दिया, राम दास की ओर से नहीं दिया गया था। जहाँ तक घायल लोगों के नाम है, तो लज्जा राम को चोटे आयीं, गरीब दास को चोटें आयीं, राम दास की मृत्यु हुई, श्रीमती मूरी, ईसोवती, मुख्तयारी, अतरो कुमारी दया व माया तथा सर्व श्री हरवंश, धर्मराज, दर्शन व पप्पू के छर्रे की चोटें लगी हैं। जो उपचार के पश्चात अपने घरों में है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जो घायलों की सूचना दी, तो जितने घायल हुये हैं क्या वह सब हरिजन हैं और उनकी आयु क्या है, क्या उसमें बच्चे और औरतें हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह सही है कि हरिजनों को चोटें आयीं हैं। लेकिन यह कोई ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष ने हरिजनों के साथ जानबूझकर अत्याचार करने की बात की। खेत पर झगड़ा हुआ, यह बात कहना कि वर्ग विशेष ने जानबूझ कर किया, यह गलत है। चूंकि झगड़ा खेत पर हुआ, उन्होंने ज्यादती की और अपराध किया और उस अपराध के फलस्वरूप उनको गिरफ्तार किया गया और वह जेल भेजे गयें।

श्री देव बहादुर सिंह—

उनकी आयु क्या है, बता दें।

(कुछ समय उपरान्त)

श्री रियासत हुसैन—

आयु तो मेडिकल रिपोर्ट में होगी ही ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

राम दास की उम्र 50 वर्ष है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय मंत्री जी पढ़कर आया क ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

हर एक व्यक्ति की आयु इसमें न ीं है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी वास्तविकता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, इस परिवार का मजदूरी का पैसा उन लोगों पर शेष था, तो वह मांगने गये, इस पर झगड़ा हुआ, पहले दिन जिसकी उन्होंने थाने को सूचना दिया और अधिकारियों से कहा कि हमको इन लोगों से भय है। दुबारा जब वह गये, तो उस परिवार के लोगों ने बन्दूकों और रिवाल्वर लेकर फायरिंग करते हुये इस तरह गये कि जिससे बच्चे, औरत और आदमी घायल हुये। इसलिये यह साधारण प्रश्न नहीं है। इस तरह से हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और शासन इतना सुस्त है कि इतने दिनों तक कोई कार्यवाही न करे। इसके अलावा शासन की ओर से उन घायल और मृतकों को कोई सहायता न दी जाय, तो यह गम्भीर बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर मान्यवर, वक्तव्य दिलाया जाय ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आर्म्स वहां इस लड़ाई में इस्तेमाल किये गये है वह जब्त किये गये हैं या नहीं और एफ0 आई0 आर0 में झगड़े का कारण क्या लिखा गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, उनके आर्म्स सस्पेंड और जब्त कर लिये गये हैं। थाने में जो रिपोर्ट लिखाई है, उसको मैं पढ़ रहा हूं— "सेवा में श्रीमान् थानाध्यक्ष, थाना रेलवे रोड मेरठ आज दिनांक 2-5-79 को दिन के करीब एक बजे एक लड़का लज्जाराम पुत्र रघुवीर सिंह अपनी माता को रोटी देन के लिये जो कि एक खेत पर गेहूं काट रही थी गया था और वहां से वे रास्ते में वापिस आ रहा था कि चरनलाल के खेत के खाने के लिय एक प्याज उखाड़ ली उसी बीच में उसी वक्त चरनलाल खेत पर आ गया और लज्जाराम को मारा पीटा यह लिखा है। शुरु में ही मैंने बताया है कि रिपोर्ट इसी ढंग से है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो मारने वाले चरन लाल है क्या वह श्री बनारसी दास के रिश्तदार हैं, इसकी क्या जानकारी करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, केवल प्याज उखाड़ने पर हरिजनों की हत्यायें की जा रही हैं। वैसे तो हरिजनों के उत्थान की बड़ी बातें होती हैं। इसलिये यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व नियोजन राज्य मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*1—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्दन सिंह, एम0 पी0 व श्री बाबू सिंह, विधायक, जनता पार्टी, मुजफ्फरनगर ने भूतपूर्व नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह) पर भ्रष्टाचार के अरोपों से सम्बन्धित दिनांक 3 मार्च, 1979 को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो पत्र क्या था और उसकी जांच किसने की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसा कोई शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, श्री बाबू सिंह, विधायक, श्री चन्दन सिंह, एम0पी0 और स्वयं मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जानबूझकर चूंकि उसमें गंभीर आरोप है, इस लिये उसको बतलाना नहीं चाहती है, क्या यह सही है ? उस पत्र की कापी मेरे पास भी है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता जो कह रहे है लेकिन उन्होंने पत्र में नहीं लिखा है कि मेरी भी कोई दरख्वास्त है । इन्होंने जो प्रश्न किया है कि श्री चन्दन सिंह, एम0 पी0 और श्री बाबू सिंह, एम0 एल0 ए0 का क्या कोई शिकायती पत्र है । तो बताया कि ऐसा कोई पत्र नहीं है । स्वयं ही इन्होंने नहीं कहा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाबू सिंह जिनका जिक्र है, उनका कोई पत्र माननीय मंत्री जी को उपलब्ध नहीं है ? तो क्या माननीय मन्जूर अहमद का कोई शिकायती पत्र माननीय मंत्री जी को उपलब्ध है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक एम0 पी0 और बाबू सिंह जी ने शिकायती पत्र भेजा है कि श्री लक्ष्मण सिंह पर चलने वाले डकैती के मुकदमें को सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी के बाद भी वापस लिया गया कि नहीं ? मान्यवर, डकैती का मुकदमा चला और इसको वापस ले लिया । तो मैं जानना चाहता कि क्या इनके मुकदमों को वापस लिया गया कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न से यह नहीं उठता ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, यह लक्ष्मण सिंह जी का मामला है । जो शिकायती-पत्र है, उसमें देहरादून के पत्र का भी जिक्र है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न से यह नहीं उठता । चाहें तो दूसरी सूचना अलग से दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पत्र उपलब्ध नहीं है। क्या यह सही है कि श्री चन्दन सिंह, एम0 पी0 और श्री बाबू सिंह, विधायक ने श्री चौधरी चरण सिंह को पत्र लिखा था और जिसकी एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा था ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई इन्क्वायरी हुयी और हुयी तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसको तो वह इन्कार कर चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उन्होंने इन्कार किया है कि कोई डायरेक्ट पत्र नहीं मिला। मेरे पास उसकी फोटो स्टेट कापी है। पत्र माननीय चौधरी चरण सिंह जी को लिखा गया और उसकी एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई शिकायती पत्र संसद सदस्य का और विधायक का जो चौधरी साहब को लिखा गया और जिसकी एक प्रति मुख्य मंत्री जी को भेजी गयी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई इन्क्वायरी हुयी ? और यदि इन्क्वायरी हुयी तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी कोई प्रति मान्यवर, प्राप्त नहीं हुयी ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या इस घटना से संबंधित किसी प्रकार का कोई पत्र माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बता दिया कि नहीं प्राप्त हुआ। एक बात तो उन्होंने बता दिया कि नहीं मिला। अस्वीकार कर दिया।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी जो बताया गया कि माननीय चौधरी साहब को कोई पत्र लिखा गया और उसकी प्रति मुख्य मंत्री को भेजी गयी, तो क्या उसकी फोटो-स्टेट कापी माननीय मन्जूर अहमद के पास है ? अगर है, तो क्या माननीय मन्जूर साहब उसको पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं उस पत्र को, जो कि माननीय मुख्य मंत्री को भेजा गया था, जिसमे गम्भीर आरोप लगाये हैं, अगर सदन के पटल पर रख दूं तो क्या उसको लोकायुक्त को भेजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसको सदन द्वारा नहीं भेजते। लोकायुक्त को भेजने के दूसरे नियम हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको माननीय मन्जूर अहमद को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ, श्री चन्दन सिंह का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ, श्री बाबू सिंह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, कृपया वे यह बता दें कि क्या इस संबंध में किसी का पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? फाईल देखकर बता दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इस पर समय क्यों नष्ट किया जा रहा है, आगे चलिये।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मंजूर जी ने जो पत्र आपको दिया है, अब तो वह सदन की सम्पत्ति बन गयी। आप ही जरा पढ़ कर सुना दें। यह सदन सुनना चाहेगा, आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं। मैंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। वे रख गये हैं।

आगरा जिले के फिरोजाबाद में श्री मुमताज व अन्य की हत्या

*2--श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में दिनाँक 8/9 अक्तूबर, 1978 की रात्रि में 9 बजे लगभग पुलिस चौकी नासबंदान के निकट कस्सादान की पुलिया पर पुलिस भेष में हथियारों से लैस कुख्यात डाकू दल ने हमला बोल दिया जिसमें मुमताज उर्फ चिकना व एक 12-14 वर्षीय लड़का व एक महिला को गोली लगी, जिसमें चिकना की घटना स्थल पर ही मौत हुई तथा दो घायलों ने बाद में दम तोड़ दिया, और क्या डाकू दल जिसकी संख्या 15-20 की थी गालियां देते, हथियारों का प्रदर्शन करते सरे आम बाजार से पुलिस चौकी के सामने से गुजरते चले गये? यदि हां, तो डाकू दल के खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि डाकू दल नगर फिरोजाबाद में ही शरण लिये हुये हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-10-78 को 11-30 बजे रात्रि श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री अब्दुल गफूर, निवासी मोहल्ला हाजीपुरा, आगरा द्वारा थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर इस आशय की सूचना अंकित करायी गयी कि लगभग 10-30 बजे रात्रि 5 नामजद एवं 5-6 अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके भाई श्री मुमताज की मुहम्मदगंज में हलवाई युसूफ की दुकान के सामने गोली मारकर हत्या की गई तथा एक आठ-नौ साल के बच्चे को घायल किया गया। उक्त सूचना के आधार पर धारा 147/148/149/307/302, भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत करके विवेचना आरम्भ की गई। उक्त बच्चे की अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह सही नहीं है कि डाकू दल चौकी के सामने हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ निकल गया।

विवेचना के उपरान्त 4 नामजद एवं प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। विवेचना से एक अभियुक्त की नामजदगी सही नहीं पाई गई। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 5 नामजद और 5-6 गैर नामजद, 4 आदमी नामजद तो थे, एक के खिलाफ चार्जशीट दी गई और एक आदमी निर्दोष पाया गया और मामला कोर्ट में विचाराधीन हो गया। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को पुनः पढ़कर यह बतायें कि शेष अभियुक्तों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? वे अदालत में हाजिर हुए या नहीं हुए?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जो 5 नामजद व्यक्ति लिखाये गये थे, उनमें जब विवेचना की गई तो एक व्यक्ति उस दिन जेल में पाया गया जिसका नाम सद्दू है, शेष चारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी 6 लोग, बादशाह पुत्र नवाब खां, निवासी साड़पुर, थाना शिकोहाबाद,

मैनपुरी, 2—बुन्दा, पुत्र कादर बख्श, निवासी मोहल्ला गंज, थाना फिरोजाबाद उत्तर, आगरा, 3—शेख, पुत्र शमशुद्दीन, निवासी तीसपुरा, थाना फिरोजाबाद उत्तर, आगरा 4—छोटे उर्फ दरोगा, पुत्र मिट्ठू खां, निवासी बगला सिकन्दर, थाना सिकन्दरपुर, एटा 5—जमील, पुत्र यासीन, निवासी गड्डा, थाना फिरोजाबाद उत्तर, आगरा, 6—राहत, पुत्र हाफिज, निवासी नगला मुल्ला, थाना भटसेना, जिला आगरा, चूंकि यह नामजद तो थे नहीं इनकी विवेचना की गई और फिर इनकी गिरफ्तारी की गई। इस तरह इन दसों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 को गिरफ्तार किया गया और 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन 169 की कार्यवाही के अन्तर्गत इसमें से कुछ अभियुक्त छूट गये, क्योंकि शिनाख्त कार्यवाही उन पर रखनी पड़ी चूंकि इनको नामजद तो किया नहीं गया था। नियम 166 के अन्तर्गत वे छोड़ दिये गये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि बादशाह, जिसका निवास थाना शिकोहाबाद, मैनपुरी बताया गया है, ऐसा डकैत है जिसने सैकड़ों डकैतियाँ की हैं। फिरोजाबाद में इस का खुद का मकान है और यह पुलिस का संरक्षण पाये हुए था। और जब इस आदमी का लड़का मर गया तो यह बादशाह उस के घर गया और उसके तकिये में पाँच हजार रुपये रखे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह सब पुलिस की जानकारी में होता रहा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो पुलिस वहाँ पर ड्यूटी में थी वह अपने कपड़े वहीं छोड़ कर डर के मारे भाग आयी।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि बादशाह नाम का व्यक्ति जाना हुआ डकैत है, यह बात सही है इसके नाम से ही बादशाह गग एक कुख्यात गैंग है, लेकिन मृतक मुमताज उर्फ चिकना जो मारा गया वह इसी गैंग का सदस्य था, उन में आपस में अनबन हो गयी, जिस कारण उसकी हत्या करने की कोशिश की गयी और हत्या की गयी। मान्यवर, लेकिन अदालत की कार्यवाही में हम क्या कर सकते हैं। अदालत की कार्यवाही अपनी तरह से चलती है। 169 के तहत, चूंकि किसी गवाह ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, वह रिहा कर दिया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जिस समय चिकना दफनाया जा रहा था और बादशाह मौजूद था पुलिस अपने कपड़े छोड़ कर भाग आयी इसकी शिकायत मैंने एस0 एस0 पी0 से, आई0 जी0 से की थी उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह सूचना तो नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जाँच करा ली जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि घटनास्थल से चौकी नासबंदान कितने फासले पर है और क्या जिन लोगों ने व्यक्ति को मारा है वे पुलिस के वेष में थे या नहीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, पास ही है ज्यादा दूर नहीं है।

आपातकाल के पुलिस अधीक्षकों व मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण संबंधी कथित राजाज्ञा

*3—श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि कोई सरकारी राजाज्ञा ऐसी है कि जो अधिकारी जिस स्थान पर आपातकाल में नियुक्त थे उन्हें वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया जाये ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रदेश में कितने पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट आपातकाल से एक ही स्थान पर आज तक कार्यरत है और उन्हें स्थानान्तरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है कि जो अधिकारी जिस स्थान पर आपातकाल में नियुक्त थे उन्हें वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि कोई राजाज्ञा है, माननीय मंत्री जी ने जबाव दिया है कि नहीं ? दूसरा मेरा प्रश्न था कि सरकार की जानकारी में यह बात है कि प्रदेश के कितने पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट आपातकाल में एक ही स्थान पर आज तक कार्यरत है, इसका जबाव नहीं आया। अधूरा जबाव आया है। पूरा जबाव नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उन्होंने कहा है कि राजाज्ञा नहीं है तो जितने प्रश्न हैं वह इससे नहीं उठते ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं जबाव दे रहा हूं। जो प्रश्न का उत्तर है वह अपन में पूर्ण है। जब राजाज्ञा नहीं थी तो उससे यह प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपातकाल की अवधि में नियुक्त निम्नलिखित दो जिलों के जिला मजिस्ट्रेट अभी तक उसी जनपद में कार्यरत हैं—

बाराबंकी—श्री हरि शंकर, आई0 ए0 एस0, 25–2–77 से

उन्नाव—श्री बी0 डी0 माहेश्वरी, आई0 ए0 एस0, 1–2–77 से

सामान्यत: जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे तीन वर्ष में इनका स्थानान्तरण किया जाता है ।

श्री औसान सिंह—

पुलिस अधीक्षक के बारे में बता दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

एस0 पी0 के बारे में बताता हूं। श्री अहमद हुसैन, पुलिस अधीक्षक, इटावा। यह इटावा में 5–7–76 स नियुक्त हैं इनके स्थानान्तरण के आदेश हो चुके हैं।

श्री राज मगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार उन अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देगी जिन्होंने एमरजेंसी में इन्द्रा गाँधी का साथ दिया और आज जनता पार्टी के शासन में कौशिक जी के साथ भी एडजस्ट कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इस बात की कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गयी कि जो अधिकारी आपातकालीन स्थिति में थे उनको हटा दिया जाय। लेकिन जो समायोजन होता है, उसके स्थायी तथा अस्थायी मानक होते हैं। क्या यह सही है कि गत वर्ष वार्षिक समायोजन के अवसर पर जो स्थानान्तरण के मानक निर्धारित हुए थे, तो यह तय हुआ था कि जो जिलाधिकारी आपातकालीन स्थिति से अपने स्थान पर है उनको हटा दिया जाय, अपने उस स्थान से तो फिर एस० पी० इटावा में कौन सी विशेषता पाई गई कि उनको अपने स्थान से नहीं हटाया गया ? क्या यह सच है कि इस बीच एक से अधिक बार सन्दर्भित एस० पी० का स्थानान्तरण हुआ, फिर उसे रोक दिया गया ? तो स्थानान्तरण क्यों हुआ और फिर क्यों रोक दिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मानक निश्चित करने का मतलब यह नहीं है कि कोई ब्लैककेट नियम है। आपातकालीन स्थिति में किसी अधिकारी की इस प्रकार की शिकायतें थीं, तो उनको अवश्य हटाया गया लेकिन इस प्रकार से तमाम सूबे में यह धारणा करके हम चलें कि आपातकालीन स्थिति के अन्दर सारे अधिकारी दोषी थे, तो न तो यह स्वाभाविक है और न व्यावहारिक है कि सब पर ऐक्शन ले लिया जाय। जहाँ तक इस ट्रांसफर का सवाल है, ट्रांसफर एक तरफा नहीं होता। इटावा के एस० पी० का ट्रांसफर किया गया है लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाने से जिसका चयन किया गया था, उसमें बिलम्ब हो गया। उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो उन्हें भेज दिया जायगा।

*4—श्री संगम लाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

(प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर।)

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यह चौथे क्वेश्चन का क्या हुआ ? इसका उत्तर तो हमें मिला ही नहीं। आपने प्रश्न संख्या 5 कैसे ले लिया ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसको काट दिया गया है क्योंकि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 और यह प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 4 एक से ही हैं। इसलिये प्रश्न संख्या 4 को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो गयी है। इसका विषय वही है जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नं० 3 का है।

श्री श्याम धर मिश्र—

नियमावली के अन्तर्गत हमको सूचना देनी चाहिये थी। हमें प्रश्न करने का अधिकार है और खड़े होने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, कान आवाज से फटे जा रहे हैं माइक को ठीक कराने की कोशिश करें।

गोंडा जिले के श्री राजकुमार सिंह की हत्या एवं उनके द्वारा बन्दूक के लाइसेन्स हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

*5—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद गोंडा के भूतपूर्व विधायक के पुत्र श्री राज कुमार सिंह (मृतक) ने अपनी हत्या होने के सन्देह में हत्या

के पूर्व दिनाँक 1 दिसम्बर, 1978 को बन्दूक का लाइसेन्स प्राप्त करन का प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो किन कारणों स ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह सही है कि जनपद गोंडा के भूतपूर्व विधायक के पुत्र श्री राज कुमार सिंह ने बन्दूक के लाइसेन्स हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनाँक 1-12-78 को दिया था परन्तु उस प्रार्थना पत्र में हत्या होने का सन्देह नहीं व्यक्त किया गया था। प्रार्थना पत्र पर जाँच चल रही थी। अतएव लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जा सका।

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि बन्दूक के लाइसेन्स के लिये एक फार्म होता है। उस फार्म में कहीं यह नहीं छपा रहता कि उनकी हत्या होने का सन्देह है या नहीं है। उसमें तो सिर्फ तात्पर्य लिखा रहता है कि क्यों लिया जा रहा है। मान्यवर, जो लाइसेन्स लेना चाहते हैं वे सिर्फ यही लिखते हैं 'सुरक्षा के लिये'। तो क्या उन्होंने सुरक्षा के लिये लिखा था या नहीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जैसा माननीय विधायक ने स्वयं कहा सामान्यतः सभी सुरक्षा के लिये लिखते हैं और मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि चूंकि उसने यह लिखा था इसलिये उसकी जाँच न करायी गई हो। जाँच करायी जाती है। इसके अलावा कोई विशेष बात होती है तो वह अपना अलग से प्रार्थना पत्र देता है जो कि नहीं मिला है।

श्री मोती लाल देहलवी—

जब उसने लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया था, तो उसमें उसन अपने पिता का नाम लिखा था। जब लाइसेन्स लिया जाता है, तो उस समय पिता का नाम लिखा जाता है, तो उन्होंने फार्म पर अपने पिता का नाम भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 भगेलू सिंह लिखा था ? यदि लिखा था तो मान्यवर, इसकी हत्या हुई है अप्रैल में और लाइसेंसी ने दरख्वास्त दी दिसम्बर, 78 में। 4 महीने के बाद हत्या हो गयी। अगर उसके पास बन्दूक होती, तो फिर वह अपनी सुरक्षा कर सकता था और हत्या नहीं हो सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उसने अपने पिता का नाम भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 भगेलू सिंह फार्म में लिख दिया, तो फिर लम्बी जाँच करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या पुलिस को यह जानकारी थी कि 2 गुट काम कर रहे हैं—एक गुट विधायक और उनके लड़के का जिनकी जान-माल का खतरा है.....

(व्यवधान)

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज कुमार सिंह को जिलाधिकारी और दूसरे कर्मचारी जो है वे सब जानते है कि वे भगेलू सिंह के पुत्र हैं। लेकिन एक स्थिति यह भी है कि माननीय भगेलू सिंह के ऊपर एक हत्या का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उसी के आधार पर वहाँ के थानेदार ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें यह अंकित किया गया है कि चूंकि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये लाइसेंस देना ठीक न होगा।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 श्री भगेलू सिंह के लड़के की हत्या हो चुकी है क्योंकि उनको लाइसेन्स नहीं मिला। अगर उन्हें बन्दूक मिल जाती, तो उनकी जान बच सकती थी। क्या माननीय मंत्री जी वहाँ के थानाध्यक्ष को आदेश देंगे माननीय विधायक के दूसरे लड़के को बन्दूक दे देंगे ताकि उनकी तो जान बच सके ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसमें उचित एवं आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम उमापुर के श्री राम समुझ यादव के यहां कथित डकैती

*6—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमापुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में श्री राम समुझ यादव के यहाँ 21–22 फरवरी, सन 1979 ई0 को कोई डकैती पड़ी ? क्या यह सही है कि उसी रात को मणीपुरा, थाना लमुआँ, जिला सुल्तानपुर में एक सोनार की दूकान जिसका मकान सोनपुरा में भी है, पर माल बेचते हुए पकड़े जाने की डर से भगा तथा गाँव के लोगों ने मुकाबिला कर तीन डाकुओं को मार डाला तथा एक को पकड़ लिया ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मामले म कुछ और लोग पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

ऐसी कोई डकैती कथित तिथि को श्री राम समुझ यादव के यहाँ नहीं पड़ी।

जी हाँ। घटना 22–2–79 की है। इस मामले स संबंधित एक व्यक्ति और पकड़ा गया है।

औद्योगिक निगमों के हटाये गये अध्यक्ष

*7—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के अधीन चलने वाले सभी 17 औद्योगिक निगमों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो यह आदेश कब किया गया तथा यह बर्खास्तगी करने का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। केवल चार निम्नलिखित निगमों के अध्यक्षों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक निगम से संबंधित आदेश की तिथि उसके नाम के सामने नीचे अंकित हैं। इन निगमों के अध्यक्षों को मुख्यतः जनहित में हटाया गया है:—

1—उ0 प्र0 निर्यात निगम 18–4–1979
2—उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम 17–4–1979
3—उ0 प्र0 वस्त्र छपाई निगम 18–4–1979
4—उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम 6–4–1979

वाराणसी जिले के ग्राम लक्ष्मीपुर के श्री मंहगी एवं श्री सहती की हत्या

*8—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी के महंगी एवं सहती उम्र क्रमशः 30 वर्ष एवं 23 वर्ष की दिनांक 6 अप्रैल, 1979 की

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रात गोली मार कर हत्या कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो हत्या का कारण क्या है तथा इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इनके परिवारों को पेन्शन भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 6–4–79 को ग्राम लच्छीपुर थाना मिर्जामुराद (वाराणसी), निवासी श्री श्री ने थाना मिर्जामुराद पर सूचना दी कि 5/6–4–79 की रात में जमीन संबंधी मामले को लेकर नामाँकित दो तथा दो अन्य व्यक्तियों ने उनके सगे भाई महंगी व चचेरे भाई सहती को बन्दूक से मार कर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना मिर्जामुराद पर धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के अधीन अपराध पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई। नामाँकित एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई तथा दूसरे नामाँकित व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उक्त मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा की गई है तथा पेंशन देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, गोहाना, जिला मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र

*9—श्री माधव (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता व श्री जसवीर सिंह विधायक का दिनाँक 15 दिसम्बर, 1978 का संलग्नक प्रार्थना-पत्र श्री राजन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राइमरी पाठशाला, गोहाना, थाना फरिहा, जनपद मैनपुरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ0 आई0 आर0 थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज न करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन द्वारा उक्त अध्यापक की प्रथम सूचना की रिपोर्ट दर्ज कराके विवेचना कराई गई ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, ग्राम गोहाना, थाना फरिहा का एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 4–8–78 श्री जसवीर सिंह माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र दिनाँक 14–12–78 के साथ प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच कराई गई। जाँच से किसी हस्तक्षेपीय अपराध का बनना नहीं पाया गया। अतः अभियोग कायम नहीं किया गया।

*10—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*11—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित।]

*12—श्री अजीत सिंह सेठी—

[7–5–79 में अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित।]

देवरिया जिले के कुलकुला मेले में औरतों की कथित लूट

*13—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के अन्तर्गत कुलकुला स्थान पर आयोजित चैतराम नवमी के ऐतिहासिक मेले में इस वर्ष हजारों असामाजिक तत्वों ने महिलाओं के साथ शर्मनाक अमानवीय व्यवहार कर, लाखों की लूट-पाट की तथा ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट (श्री नागेश्वर नाथ) की भूमिका के विरुद्ध अनेक आरोप-पत्र शासन को प्राप्त हुये ? यदि हाँ, तो मुख्य आरोप क्या हैं और घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराई जायेगी ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। इस वर्ष कुलकुला मेले में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई और नहीं कथित ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई आरोप पत्र शासन को प्राप्त होना प्रतीत हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के स्थायीकरण संबंधी निर्णय

*14—श्री हरिशचन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरप्रदेश सरकार ने ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को जिनकी सेवायें तीन वर्ष अथवा उससे अधिक हो चुकी हैं स्थायी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हाँ, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*15—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित।]

चुर्क एवं डाला सीमेंट कारखानों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*16—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाला चुर्क सीमेन्ट फैक्टरियों में नियमित कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों में इस समय अनुसूचित जातियों की संख्या का अनुपात क्या है ? क्या यह अनुपात सरकारी कोटे के हिसाब से है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

चुर्क एवं डाला सीमेन्ट कारखानों में नियमित कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मिला कर इस समय अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्रमशः 16.04 तथा 16.3 प्रतिशत है, जबकि निर्धारित कोटा 18 प्रतिशत है। कारपोरेशन द्वारा आरक्षण संबंधी शासन के आदेश का पालन किया जा रहा है। कमी का कारण यह है कि अधिकांश पद तकनीकी हैं जिनके लिये वांछित योग्यता एवं अनुभव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति कभी-कभी प्रयास करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाते तथा पुरानी नियुक्तियाँ सदैव चलती रहने के कारण पदोन्नति एवं नई नियुक्तियों के रूप में कोटे को पूरा करने का सीमित अवसर ही उपलब्ध है।

विधान परिषद् के सदस्यों का नाम निर्देशन

*17—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के 2 रे मंगलवार के प्रश्नकर्त्ता के ताराँकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1978 में नामनिर्देशित विधान परिषद् के सदस्यों की साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षे में उपलब्धियाँ क्या हैं ?

श्री बनारसी दास—

जैसा कि इसके पूर्व प्रथम सत्र 1979 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 2 के संदर्भ में कहा गया था, नवम्बर, 1978 में नाम निर्देशित विधान परिषद के सदस्य सामाजिक सेवा तथा साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। उपरोक्त सदस्य दूसरे सदन के सदस्य हैं एवं श्री राज्यपाल द्वारा नामाँकित किये गये हैं। अतएव, उनकी उपलब्धियों की अधिक व्याख्या करना उपयुक्त न होगा।

फैजाबाद जिला जज द्वारा लिपिकों का चयन एवं जातिवार विवरण

*18—श्री जय शंकर पांडेय (जिला फैजाबाद)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सिविल कोर्ट में जिला जज द्वारा वर्ष 1977–78 तथा 1978 से 10 मार्च, 1979 (10 मार्च, 1979) तक कुल कितने लिपिकों का चयन किया गया है ? चयन का आधार क्या है ? और इस चयन किये गये लिपिकों में हरिजन, मुसलमान, पिछड़ी जाति तथा सवर्ण कितने ह एवं सवर्ण में जातीय संख्या कितनी-कितनी है ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

फैजाबाद सिविल कोर्ट में जिला जज द्वारा वर्ष 1977–78 में लिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु कोई चयन नहीं किया गया।

वर्ष 1978–79 में 10 मार्च, 1979 तक लिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु 63 अभ्यर्थियों की एक सूची बनाई गई जिसमें से अब तक 24 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

यह चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर हुआ है।

चयन किये गये 63 अभ्यर्थियों में 9 हरिजन, 6 मुसलमान, 13 पिछड़ी जाति के तथा 35 सवर्ण हैं। 35 सवर्ण में से 7 ब्राह्मण, 2 क्षत्रीय, 1 सिक्ख तथा 25 कायस्थ है।

फतेहपुर जिले के ग्राम मलवां के श्री गनेश सिंह व कल्लू व श्री राम किशन की हत्या

*19—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 26/27 जनवरी, 1979 की रात में ग्राम भदवा, थाना मलवाँ, जिला फतेहपुर में सर्वश्री गनेश सिंह व उनके दो कर्मचारी रामकिशन व कल्लू हरिजन की हत्या की गई है ? क्या इस हत्याकांड के मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हत्यारों का पता गुप्तचर विभाग से करवाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबू सिंह, निवासी ग्राम महवा, जनपद फतेहपुर ने दिनांक 27–1–79 को थाना मलवाँ पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि गांव के दक्षिण तरफ 5 फरलांग दूर उसके हार मछवा में स्थित ट्यूबवेल पर वादी के भाई गनेश सिंह और दो नौकर राम किशुन चमार व कल्लू लोध प्रतिदिन सोते थे और उस रात ना मालूम किस समय उक्त तीनों का कत्ल कर दिया गया। वादी ने शंका व्यक्त की कि यह कत्ल मेधवा पासी व सुरेन्द्र लोध ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात में किया है। इस सूचना पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अब तक की विवेचना से वादी द्वारा सन्देही व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य न उपलब्ध होने तथा घटना का कोई चश्मदीद गवाह न होने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश की अपराध शाखा को मामले की विवेचना में जिला पुलिस को सहयोग देने एवं मार्ग दर्शन करने के आदेश दे दिये गये हैं।

बांदा मालखाने के शस्त्रों की चोरी

*20—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बाँदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा मालखाने से सन् 1979 में कुछ आर्म्स चोरी गये थे ? यदि हाँ, तो चोरी गये आर्म्स की संख्या कितनी है और शासन ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और यह चोरी कब हुई थी ? इस चोरी की जानकारी शासन को कब हुई ?

श्री बनारसी दास—

जिला मैजिस्ट्रेट, बांदा के पत्र दिनांक 20 मार्च, 1979 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी तथा मार्च, 1979 में नजारत माल खाने में रखे हुए शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने पर 13 शस्त्रों की कमी पाई गई। इस मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी जा रही है।

मेरठ जिले के ग्राम किठोर के श्री अनवार हुसैन की हत्या

*21—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक अनवार के लड़के मंजूर हुसैन ग्राम जड़ौदा, थाना किठौर, जिला मेरठ ने थाना किठौर में दिनाँक 29 दिसम्बर, 1978 को कोई नामजद रपट लिखाई थी? यदि हाँ, तो रिपोर्ट क्या है? क्या यह भी सही है कि रंजिश की बिना पर ग्राम प्रधान श्री साजिद हुसैन को पकड़ कर दिनाँक 17 मार्च, 1979 का थाना किठौर में बन्द कर दिया गया? जिसकी शिकायत ाई महीने पहले ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारियों से की थी? यदि हाँ, तो आधार क्या है?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। श्री अनवर हुसैन की हत्या के संबंध में पंजीकृत अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 की विवेचना के मध्य इस बात का साक्ष्य उपलब्ध हुआ कि उक्त हत्या के मामले में साजिद हुसैन, ग्राम प्रधान की साजिश है अतः उन्हें दिनाँक 17-3-79 को बन्दी बनाया गया। श्री साजिद हुसैन के भाई का इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री साजिद हुसैन को उक्त मामले में गलत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की विवेचना की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 296 पर।)

आगरा जिले के फिरोजाबाद में कोयले का ब्लैक

*22—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कोयला की चोरबाजारी में प्रति बोझ पर 12,000 रुपये का ब्लैक है? यदि हाँ, तो कोयला की चोरबाजारी को रोकने की सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

शासन को इस बात की जानका ी नहीं है कि फिरोजाबाद में प्रत्येक बोझ (वैगन) पर 12,000 रु0 ब्लैक है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय होगा कि इस साल हर जनपद में कोयले की अत्यन्त कमी है। जितनी स्पान्सरिंग उद्योग निदेशालय से हुई है उसके अनुपात में बहुत कम कोयला डाइरेक्टर रेल मूवमेन्ट, कलकत्ता द्वारा प्रचलित किया गया है।

मिर्जापुर, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री की कोयले के अभाव में बन्दी

*23—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला सीमेंट फैक्ट्री एवं चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, कोयले के अभाव में 8 अप्रैल, 1979 से बन्द हो गयी है? यदि हाँ, तो कितने बोरी सीमेंट के उत्पादन की कमी हुई और कितने का कुल नुकसान हुआ?

श्री राम नरेश यादव—

अप्रैल, 1979 से कोयले की कमी के कारण चुर्क की चार मिलों में से दो मिलें तथा डाला की दोनों मिलें बन्द हो गई थीं।

कोयले के अभाव के कारण माह अप्रैल, 1979 में चुर्क कारखाने में 12720 टन सीमेंट (2,54,400 बोरी) तथा डाला में 17,336 टन सीमेंट (3,46,720 बोरी) के उत्पादन का कुल नुकसान हुआ।

*24—श्री रवीन्द्र सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित।]

स्वर्गीय सरदार जोगेन्द्र सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान के दाह संस्कार में राजकीय सम्मान का न दिया जाना

*25—श्री अजीत सिंह सेठी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि स्व0 सरदार जोगेन्द्र सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल के निधन पर बहराइच में अर्थी उठाते समय प्रदेश सरकार की ओर से कोई सम्मान (गार्ड आफ आनर) आदि दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता की ओर से इस विषय पर कोई पत्र अप्रैल, 1979 के प्रथम सप्ताह में मिला ? यदि हाँ, तो पत्र में उठाये मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बनारसी दास—

स्व0 श्री जोगेन्द्र सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान का दाह-संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे। स्थानीय पुलिस रेडियो कार्यालय से जिलाधिकारी, बहराइच को उक्त आदेश देर से प्राप्त होने के कारण दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं हो सका ?

प्रश्नकर्त्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

*26—श्री देव बहादुर सिंह—

[30-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 41 द्वारा उत्तरित।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी एवं डाला सीमेन्ट फैक्टरी का उत्पादन

*27—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन स्थिति के पूर्व तथा आपात-कालीन स्थिति में उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि0, चुर्क, डाला, जिला मिर्जापुर का उत्पादन कितने-कितने प्रतिशत रहा और अब कितने प्रतिशत है ?

श्री राम नरेश यादव—

आपातकालीन स्थिति से पूर्व वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में चुर्क में सीमेन्ट का उत्पादन क्रमशः 65.69 तथा 62.93 प्रतिशत तथा डाला में क्रमशः 61.20 तथा 57.10 प्रतिशत था।

आपातकालीन स्थिति में वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में चुर्क में सीमेन्ट का उत्पादन क्रमशः 80.10 तथा 80.45 प्रतिशत एवं डाला में क्रमशः 79.00 तथा 74.2 प्रतिशत था।

अब वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में चुर्क में सीमेन्ट का उत्पादन क्रमशः 70.03 तथा 70.07 प्रतिशत एवं डाला में क्रमशः 67.7 तथा 61.7 प्रतिशत रहा।

*28—श्री जयशंकर पाँडेय—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित।]

जेल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के वर्दी एलाउन्स और ड्यूटी आवर्स में विषमता

*29—श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जेल अधिकारियों को कोई वर्दी एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हाँ, तो उनके और पुलिस अधिकारियों के वर्दी एलाउन्स में अन्तर का क्या कारण है ? क्या उसका समयबद्ध भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

जी हाँ ।

दोनों विभागों के अधिकारियों के कार्य और कार्य-क्षेत्र में अन्तर होने के कारण वर्दी-भत्ते में अन्तर है ।

जी हाँ ।

*30--श्री मित्रसेन--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जेल अधिकारियों के तथा पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल (ड्यूटी आवर्स) में कोई अन्तर है ? यदि नहीं, तो उनके वेतन मानों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हाँ ।

प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हरदोई जिले के ग्राम मुरैला मजरा शुक्लापुर भगत निवासी श्रीमती जय देवी के घर पर कथित डकैती

*31--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 23 मार्च, 1979 को ग्राम मुरैला, मजरा शुक्ला भगतपुर, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में एक हरिजन परिवार में डकैती पड़ी थी ? यदि हाँ, तो इसमें अभी तक कितने मुल्जिम गिरफ्तार कर जेल भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मुरैला मजरा शुक्लापुर भगत, थाना बिलग्राम जिला हरदोई की श्रीमती जय देवी की तहरीरी रिपोर्ट पर दिनांक 23-3-79 को थाना बिलग्राम पर धारा 395 भा0 दं0 वि0 का एक अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना से उक्त घटना सही नहीं पाई गयी । अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई व अपराध खारिज करने की रिपोर्ट दी गई ।

पडरौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड

*32--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष पडरौना तहसील के ग्राम चितहा, बबुइया-हरपुर बहोरापुर, मिश्रौली पकड़ी बुजुर्ग, सेमरिया, अमवा खास, बरवा पट्टी में भीषण अग्नि-कांड में पच्चीस लाख की सम्पत्ति जल कर स्वाहा हो गई ? यदि हां, तो उक्त तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड (अग्निशामक दस्ता) की स्थायी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, पडरौना तहसील के कथित ग्रामों में इस वर्ष अग्निकांड की दुर्घटनायें हुईं, जिनमें लगभग 7,45,000 रु0 की अनुमानित क्षति हुई । इस तहसील के मुख्यालय पर फायर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

कानपुर शहर में यशोदा नगर नामक कालोनी का निर्माण एवं विकास कर की दर

*33--श्री मोती राम--

क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर शहर में मछरिया गांव के पास यशोदा नगर नामक कालोनी बनाने वाले व्यक्तियों को शासन ने दस लाख वर्ग मीटर खाली भूमि की लैण्ड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत माफी दी है और अभी और भूमि की माफी देना विचारा-धीन है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि इस भूमि पर विकास

कर केवल 4 रुपया प्रति वर्गमीटर लगाया गया है जबकि विकास प्राधिकरण की विकास दर इससे मिली भूमि पर 30 रुपये से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हमीरपुर में जमुना व बेतवा नदियों के बालू के ठेकेदार, श्री महेन्द्र सिंह पर कथित बकाया धनराशि

*34---श्री मोती राम---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत दो वर्षों में सर्वश्री मेवा सिंह व महेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति कानपुर एवं हमीरपुर की जमुना व बेतवा नदियों के बालू व मौरम के ठेकेदार थे और इन व्यक्तियों पर ठेके की रकम का साढ़े सत्रह लाख रुपया शासन का शेष था ? क्या यह सही है कि शासन ने उक्त बकाया रकम माफ की है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह भी सच है कि डिफाल्टर होने के बावजूद इन व्यक्तियों को उपरोक्त नदियों के साथ गंगा नदी की बालू का भी ठेका इस वर्ष दिया गया है जबकि अन्य लोग अधिक रकम पर ठेका लेने को तैयार थे ?

श्री राम नरेश यादव---

कानपुर जनपद में गत दो वर्षों में सरदार मेवा सिंह व महेन्द्र सिंह के नाम मौरम बालू का न कोई ठेका था और न इन पर कोई धनराशि बकाया है। जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर में श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में समस्त बालू मौरंग का ठेका था।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त व्यक्तियों को गंगा नदी का बालू का ठेका नहीं दिया गया है, अतः अन्य व्यक्ति के मुकाबिले जो अधिक रकम पर ठेका लेने को तैयार थे, उन्हें ठेका देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फैजाबाद के सिविल लाइन स्थित नजूल भूमि की कथित बिक्री

*35---श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

क्या आवास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में सिविल लाइन्स स्थित नजूल की भूमि को वर्ष 1978-79 में बेच दिया गया है ? यदि हां, तो इस नजूल भूमि को बेचने का आधार क्या था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

फैजाबाद जनपद सिविल लाइन्स स्थित नजूल भूमि को सरकार द्वारा नहीं बेचा गया है। इसलिए बेचने के आधार का प्रश्न नहीं उठता।

*36---श्री रणवीर सिंह तथा श्री ब्रे। नारायण अहेरवार---

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

जालौन जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत कत्ल एवं डकैती

1---श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद के कालपी, कदौरा, आटा तथा चुर्खी थाने में पिछले वर्ष 1978 में कितने कत्ल तथा डकैती के अपराध हुए ? यह अपराध पिछले दो वर्ष की तुलना में अधिक है। क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि पुलिस कितने अपराधों का पता लगाकर अपराधियों को पकड़ने में सफल रही है ?

श्री बनारसी दास—

वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 297 पर)

होम गार्ड के कम्पनी कमाण्डरों का मानदेय

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नागरिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड के नागर क्षेत्रीय कम्पनी कमाण्डरों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में कोई मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? इस सम्बन्ध में राजाज्ञा कब तक घोषित होगी ?

नागरिक सुरक्षा मन्त्री (श्री देवराम)—

जी हाँ ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है। वर्ष 1979–80 का आय-व्ययक पारित होने तथा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही राजाज्ञा जारी की जा सकेगी ।

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[22–8–78 को तारांकित प्रश्न संख्या 56 द्वारा उत्तरित ।]

श्री राम सेवक मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, रामपुर का स्थानान्तरण

4—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि श्री राम सेवक मिश्र, एस0 डी0 एम0, रामपुर का स्थानान्तरण किन कारणों से स्थगित किया गया और क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 15 नवम्बर, 1978 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास— –

श्री राम सेवक मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, रामपुर का स्थानान्तरण अग्रिम आदेश होने तक प्रशासकीय कारणों से स्थगित कर दिया गया था परन्तु उन्हें रामपुर से स्थानान्तरण करने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 25–11–78 का एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। चूंकि श्री मिश्र का रामपुर स्थानान्तरण पहल स ही शासन के विचाराधीन है अतएव उक्त पत्र म इस सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दु पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

सीतापुर जिले के ग्राम सिधौली के श्री ओम प्रकाश महेश्वरी के मकान पर डकैती

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 व 11 नवम्बर, 1978 की रात्रि में सीतापुर जिले के थाना सिधौली के ग्राम सिधौली में एक गम्भीर डकती पड़ी जिसमें लगभग 3 लाख का माल लूट लिया गया ? यदि हाँ, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओम प्रकाश महेश्वरी निवासी कस्बा सिधौली जिला, सीतापुर ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 11–11–78 को उनके घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों म डकती डाली जिसमें चौकीदार के मुह में कपड़ा ठूंसे जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना सिधौली, जिला सीतापुर में मुकदमा अपराध संख्या 370, धारा 460 भारतीय

दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया। विवेचना में चार अभियुक्त प्रकाश में आये। इनमें दो अभियुक्त कार्यवाही शिनाख्त में छूट गये अन्य अभियुक्त छोटेलाल व बाबू पासी क विरुद्ध धारा 460 का आरोप पत्र दिनाँक 28-1-79 को प्रेषित किया गया। अभियुक्त छोटे लाल के विरुद्ध 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिनाँक 30-12-78 को प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। विवेचना में 94,240 रु0 का माल लूटा जाना पाया गया।

वाराणसी जिले में कालीन इकाइयों का रजिस्ट्रेशन

6—श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद में कालीन व्यवसाय के कुल कितने रजिस्टर्ड फर्म हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

वाराणसी जनपद में कालीन व्यवसाय के अन्तर्गत कुल 282 इकाइयाँ औद्योगिक इकाई के रूप में, उद्योग विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना फरह, जिला मथुरा के अभियुक्त श्री चरन सिंह की जमानत पर रिहाई

8—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 122/78, धारा 399/402 भा0 द0 वि0, थाना फरह, मथुरा की विवेचना कर्ता द्वारा निर्धारित समय से पूरी न करने से अभियुक्त चरन सिंह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (3) के आधार पर जमानत पर मुक्त हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। संबंधित विवेचनाकर्त्ता को थानाध्यक्ष के पद से पदावनत कर दिया गया है और प्रश्नगत मामले में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कान्स्टेबिलों की सेवा शर्तों में सुधार किये जाने पर विचार

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस के कानिस्टेबिलों की सेवा शर्तों में सुधार तथा उन्हें कुछ सुविधाएं देने के बारे में कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री बनारसी दास—

पुलिस के कान्सटेबुलों की सेवा शर्तों में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है वरन उन्हें कतिपय सुविधाएं दिये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ? ये सुविधाएं निम्नवत् हैं—

1—जिला पुलिस व पी0 ए0 सी0 की शाखाओं में नियुक्त कर्मचारी, जो रविवार एवं छुट्टियों का उपयोग नहीं कर पाते है, को एवंज में प्रत्येक माह के वेतन के साथ एक दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाना।

2—थानों में नियुक्त कान्सटेबुलों को साइकिल क्रय करने हेतु प्रेषित करने के उद्देश्य से साइकिल के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 150 रु0 जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाना।

3—थानों पर नियुक्त व ट्रैफिक पुलिस के कान्सटेबिलों को 4 रु0 प्रतिमाह की दर साइकिल भत्ता दिया जाना।

4—पुलिस दल की विभिन्न शाखाओं में नियुक्त कान्सटेबिल, जो वर्दी धारण करते है, को धुलाई भत्ता दिया जाना ।

श्री आर० के० पुनेठा, थानाध्यक्ष, सदर बाजार, मथुरा की नियुक्ति एवं उनकी चरित्र पंजिका

10—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 पुनैठा, सब-इन्सपेक्टर वर्तमान थाना अध्यक्ष, सदर बाजार (मथुरा) की नियुक्ति मथुरा में किन प्राविधानों के अनुसार हुई है और श्री आर0 के0 पुनैठा की चरित्र पुस्तिका नये सिरे से बनाई गई ? यदि हाँ, तो पुलिस मैनुअल के आधार पर पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी की गयी ? यदि हाँ, तो कब और किस तिथि की ?

श्री बनारसी दास—

श्री आर0 के0 पुनैठा, सब-इन्सपेक्टर वर्तमान में पुलिस लाइन मथुरा में नियुक्त है । उनकी नियुक्ति मथुरा में अनुकम्पा के आधार पर हुई है । यह सत्य है कि श्री आर0 के0 पुनैठा, सब-इन्सपेक्टर की चरित्र पंजिका नये सिरे से बनाई गई है । पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 305 में दिये गये, प्राविधानों के अनुसार पुलिस अधीक्षक खोई हुई चरित्र पंजिका के बारे में, नई चरित्र पंजिका पर उसके खोने का कारण लिख देते हैं । इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

मथुरा-वृन्दावन विकास अधिकरण द्वारा किया गया विकास कार्य

11—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापना दिवस से जनवरी, 1979 तक क्या-क्या विकास के कार्य किए तथा अब तक इस पर कुल कितना धन व्यय करने के लिए शासन से मिला तथा कितना धन विकास पर व्यय किया गया और वह व्यय मद क्या-क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मथुरा-वृन्दाबन विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापना से जनवरी, 1979 तक क्षेत्र के सुनियोजित विकास की एक योजना 6.5 करोड़ रु0 की तैयार की है जिसका कार्यान्वियन 4 चरणों में किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना के प्रथम चरण के लिए तलपट मानचित्र, आगणन, भवनों के डिजाइन, पंजीकरण नियम आदि तैयार कर लिये गये हैं ।

जनवरी, 1979 तक मथुरा-वृन्दाबन विकास-प्राधिकरण को 25 लाख रुपये का ऋण और 1 लाख रुपये का अनुदान शासन द्वारा दिया गया ।

उपरोक्त अवधि में वेतन व भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्य विविधि मदों पर लगभग 4.07 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

थाना सादाबाद, जिला मथुरा द्वारा बरामद किया गया चोरी का माल

12—श्री हुकम चन्द तिवारी—

क्या सरकार यह बताएगी कि अपराध संख्या 342/78, धारा 395, 397 भा0 दं0 संहिता, थाना सादाबाद, जिला मथुरा, जो सामान चोरी गया था उसकी बरामदगी किन-किन तारीखों में किन-किन अभियुक्तों से हुई थी और दिनाँक 5 फरवरी, 1979 तक बरामद किए हुए सामान की कार्यवाही शिनाख्त विवेचना अधिकारी द्वारा कराई गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग अन्तर्गत धारा 355/397 भा0 दं0 वि0 के संबंध में दिनांक 25–12–78 को अभियुक्त रुकमा, दिनांक 28–12–78 को अभियुक्त आसो, दिनांक 29–12–78 को अभियुक्त सोना व दिनांक 2–1–79 को अभियुक्त राजन के निशाँन देही पर माल बरामद हुआ। दिनांक 27–12–78 को अभियुक्त वीरन्द्र सिंह के कब्जे से भी माल बरामद हुआ।

दिनांक 5–2–79 तक माल की कार्यवाही शिनाख्त नहीं हो पाई क्योंकि उक्त अभियोग के विवेचनाधिकारी का स्थानान्तरण हो गया था और वे दिनांक 17–1–79 को स्थानान्तरण पर चले गये थे तथा विवेचना अन्य विवेचक के सुपुर्द है।

लखीमपुर के मार्ग रजागंज-मल्लिया के बीच कत्ल सहित बस की लूट

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 26 मार्च, 1979 की सायंकाल राजकीय परिवहन की एक बस जो लखीमपुर जिले में रजागंज तथा भल्लिया के बीच डाकुओं द्वारा लूट लिया गया तथा एक यात्री की हत्या भी कर दी गयी ? यदि हां, तो घटना क्या है ? यात्री बसों में सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति श्री ऋषि कुमार अग्रवाल जिनके पास झोले में लगभग 11,000 रुपये थे को लेकर तीन बदमाश जबरदस्ती बस रोक कर उतर गये और छीना-झपटी होने पर श्री अग्रवाल को गोली मार दी जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। घटना से संबंधित दो अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं तथा तीसरे अभियुक्त तथा लूटे हुये धन की तलाश जारी है। बसों की चेकिंग एवं कानवाय के रूप में पुलिस संरक्षण में गाड़ियों के गन्तव्य स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था की गई है ?

आपातकाल में मुजफ्फरनगर में गोलीकाण्ड

14—श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के दौरान मुजफ्फरनगर में खालापार मुहल्ले में हुए गोली काण्ड में (पुलिस द्वारा गोली वर्षा) कौन-कौन व्यक्ति मारे गये थे तथा कौन-कौन घायल हुये थे ? क्या मृतकों अथवा घायलों के आश्रितों को शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में उल्लिखित घटना की जांच कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा की जा रही है। घटना में हताहतों की संख्या भी आयोग का विचारार्थ विषय है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रश्न में वांछित सूचना देना संभव नहीं है।

वाराणसी जिले के कतिपय थानेदारों के विरुद्ध अदालत में चल रहे इस्तगासे

15—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के थाना फूलपुर तथा और कई थाने के थानेदारों के ऊपर वाराणसी की अदालतों में इस्तगासे चल रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे थानेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि थाना रोहनियां मिर्जा मुराद, बड़ागांव, फूलपुर, चोलापुर के थानेदारों के खिलाफ एस0 एस0 पी0,

वाराणसी, डी0 आई0 जी0, वाराणसी तथा गृह मन्त्री तथा आई0 जी0 को दसियों प्रार्थना पत्र सन् 1978 में जनता द्वारा दिए गए हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना क अनुसार वाराणसी जिले के कतिपय थानों की पुलिस के विरुद्ध अदालतों में इस्तगासे चल रहे हैं। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त दोषी पाए गए पुलिसजनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न में उल्लिखित थानों की पुलिस के विरुद्ध वर्ष 1978 में प्राप्त शिकायती पत्रों पर वृत्ताधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक (देहात) द्वारा जांच की गई। उनमें से तीन मामलों में अभी जांच प्रचलित है तथा शेष मामलों में जांच से आरोप सही नहीं पाए गए।

परगना मजिस्ट्रेट, वाराणसी उत्तरी द्वारा बन्दूक के प्रार्थना-पत्र का निरसन

16--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाहाकिम उत्तरी वाराणसी के थाना फूलपुर, बड़ागांव, रोहनियां, मिर्जामुराद के क्षेत्रों से जनवरी, 1978 से लेकर 15 जनवरी, 1979 तक कितनी बन्दूक की दरख्वास्तों को तहसीलदार वाराणसी तथा एस0 पी0, वाराणसी न रिकमेण्ड करके परगनाधीश, उत्तरी के यहां भेजा और परगनाधीश उत्तरी न 6 माह के अन्तर्गत, 90 फीसदी प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है कि पार्टी बन्दी है ? ऐसा क्यों ?

श्री बनारसी दास--

परगना मैजिस्ट्रेट, उत्तरी वाराणसी के कार्यक्षेत्र में थाना फूलपुर तथा बड़ागांव आते हैं। जनवरी, '78 से लेकर जनवरी, 1979 तक इन थानों से संबंधित आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस हतु 110 प्रार्थना पत्र पुलिस एवं तहसीलदार की संस्तुति सहित परगना मैजिस्ट्रेट, उत्तरी को प्राप्त हुये। इनमें से 18 मामलों में परगना मैजिस्ट्रेट, उत्तरी ने अपने स्तर पर जांचोपरान्त गांव में पार्टीबन्दी होने के कारण लाइसेन्स स्वीकृति हेतु संस्तुति नहीं की जिसके आधार पर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये।

17-18--श्री ऊदल--

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित।]

जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को दिया गया विज्ञापन

19--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में उसकी क्या नीति है ? क्या यह सही है कि सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध प्रदेश की बहुत सी स्वायत्तशासी संस्थाएं (जिला परिषद् तथा नगरपालिकाएं आदि) आज भी अनअप्रूव्ड समाचार पत्रों को विज्ञापन दे रही है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद की जिला परिषद् तथा विभिन्न नगर पालिकाओं तथा टाउन एरियाओं द्वारा वर्ष 1978 में ऐसे कितने विज्ञापन कितने अनअप्रूव्ड समाचार पत्रों को दिए गए और उन पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री बनारसी दास--

शासकीय विभागों के समस्त विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो संलग्नक में हुई निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।

जिला परिषदें तथा नगरपालिकाएं सर्वथा स्वायत्तशासी संस्थान होने के कारण अपने विज्ञापन किन्हीं भी समाचार पत्रों को देने के लिये स्वतंत्र हैं। इसमें शासन का हस्तक्षेप संभव नहीं है।

यह प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 298 पर)

योजना आयोग द्वारा भेजी गयी मार्ग-निर्देशिकाएं

20—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना आयोग ने राज्यों को पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और क्या राज्य सरकार उन सिद्धान्तों को कार्यान्वयन की दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

योजना आयोग ने 1978-83 की योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये जून, 1978 में विस्तृत मार्ग-निर्देशिकायें (Guide lines) सभी राज्यों को भेजी थीं । इन मार्ग-निर्देशिकाओं में निम्नांकित सामग्री दी हुयी है:—

(क) राज्य योजना के प्रारूप के प्रस्तुतीकरण के लिये प्रस्तावित फारमेट (Format) ।

(ख) योजना के प्रमुख मदों की पारस्परिक प्राथमिकताओं और प्रासंगिक नीतियों पर टिप्पणियां ।

(ग) परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय दर्शाने हेतु रूप-पत्र ।

(घ) योजना के कुछ प्रमुख तत्वों के संबंध में निर्देश । इन प्रमुख तत्वों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास आदि सम्मिलित हैं ।

(च) वर्ष 1979-80 तथा उसके उपरान्त जारी रहने वाली आयोजनागत योजनाओं के लिये एवं आयोजनागत और आयोजनेतर के बीच परिव्यय के आवंटन के संबंध में हिदायतें ।

उपरोक्त मार्ग निर्देशिकायें भेजते समय योजना आयोग ने इस बात पर भी बल दिया था कि राष्ट्रीय योजना के प्रारूप में इंगित उद्देश्य एवं विकास की रणनीति आदि को भी ध्यान में रखते हुये राज्य की योजना तैयार की जाय । राष्ट्रीय योजना के प्रधान उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

(क) बेरोजगारी और पर्याप्त अल्प रोजगारी को समाप्त करना ।

(ख) जनसंख्या के सबसे अधिक गरीब वर्गों के जीवन स्तर को पर्याप्त उन्नत करना ।

(ग) इन आय समूहों के लोगों की कुछ मूल आवश्यकताओं की राज्य द्वारा व्यवस्था जैसे स्वच्छ पेयजल, प्रौढ़ साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देख भाल, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीनों के लिये ग्रामीण आवास और शहरी गन्दी बस्तियों के लिये न्यूनतम सेवायें ।

राज्य सरकार ने योजना आयोग द्वारा प्रसारित उपरोक्त मार्ग-निर्देशिकाओं तथा राष्ट्रीय योजना के प्रारूप में उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1978-83 की योजना का एक प्रारूप तैयार कर योजना आयोग को जनवरी, 1979 में प्रेषित कर दिया था । इस योजना के परिव्यय के सम्बन्ध में योजना आयोग से एक बार विचार-विमर्श हो चुका है । विचार-विमर्श का यह क्रम अभी अन्तिम रूप से समाप्त नहीं हुआ है तथा परिव्यय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर आवश्यकतानुसार पुनः पूर्व प्रेषित योजना में संशोधन आदि करने के उपरान्त उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

अपराध एवं शान्ति व्यवस्था हेतु गोरखपुर में सांसदों एवं विधायकों की बैठक

21--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपराध एवं शान्ति व्यवस्था पर विचार करने हेतु पुलिस कार्यालय, गोरखपुर में सांसदों व विधायकों की बैठक 26 दिसम्बर, 1978 को हुई थी ? इससे पूर्व 6 माह में क्या और भी बैठकें हुई थीं ? बैठक में क्या-क्या सुझाव आये तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए जिला पुलिस ने क्या कदम उठाया ?

श्री बनारसी दास--

26-12-78 को बैठक आहुत थी । इससे पूर्व 17-6-78 तथा 30-9-78 को ऐसी बैठकें आयोजित की गई थी । इन बैठकों में जो सुझाव आये तथा उन पर कार्यवाही करने के लिये जिला पुलिस द्वारा जो कदम उठाये गये उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 299 पर)

गोरखपुर के ग्राम नारायनपुर के कुएं में पायी गयी लाश

22--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1979 के दूसरे तीसरे सप्ताह में गोरखपुर जिले के शिकरीगंज थाने के नारायनपुर गांव के एक कुयें से किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गयी थी । क्या पुलिस जांच से मृतक का नाम व पता ज्ञात हो सका ? परीक्षा में हत्या के विषय में क्या रिपोर्ट मिली ? पुलिस ने अन्तिम में क्या निष्कर्ष निकाला ?

श्री बनारसी दास--

जनवरी, 1979 में नहीं, बल्कि दिसम्बर, 78 में ग्राम नरायनपुर के उत्तर पश्चिम के सीवान में एक कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गयी थी । पुलिस जांच से मृतक का नाम व पता अभी तक ज्ञात नहीं हो सका । शव परीक्षा से मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया । इस संबंध में पंजीकृत मुकदमा अभी विवेचनाधीन है ।

तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में मन्त्रि मण्डल के उप-समिति का गठन

23--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवाओं में नियुक्त तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण तथा अननुमोदन हेतु गठित मन्त्रि मंडलीय उप समिति का गठन कब हुआ तथा अब तक उसमें नियमितीकरण सम्बन्धी कितने मामलों का निस्तारण कर दिया है ?

श्री बनारसी दास--

सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण तथा अभियन्त्रण विभागों के कतिपय सेवा सम्बन्धी अन्य मामलों पर विचार करने के लिये जनवरी, 1978 में मंत्रि परिषद् की उप समिति का गठन हुआ ।

तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण के बारे में प्रासंगिक नियमावलियाँ 14-5-79 को प्रख्यापित कर दी गई हैं ।

मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा व्यक्गित मामलों का निस्तारण अपेक्षित नहीं है । इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार नियमावलियों के माध्यम से नियमितीकरण के बारे में व्यवस्था लागू कराई जा रही है ।

24--श्री जगन्नाथ सिंह--

[4थ मंगलवार के लिये स्थगित]

आगरा जिले के ग्राम लाल दरवाजा के बालक नन्दलाल की चढ़ायी गयी बलि

25--श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत महीने में फतेहपुर-सीकरी, जिला आगरा के शाही महलों में गड़े रानी जोधा बाई के खजाने के सोना व जेवरात प्राप्त करने के लालच में एक योगी पन्थी साधू ने 8 वर्षीय अबोध बालक नन्दलाल की बलि चढ़ा दी ? यदि हाँ, तो घटना के तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 6 मार्च, 1979 को श्री यादराम निवासी लाल दरवाजा, थाना फतेहपुर-सीकरी ने थाना फतेहपुर-सीकरी पर सूचना अंकित कराई कि दिनाँक 5 मार्च, 1979 को उसके आठ वर्षीय पुत्र नन्द लाल को सायंकाल स्कूल से लौटते समय तीन नामजद व्यक्तियों द्वारा बहला फुसलाकर ले जाया गया है। इस सूचना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 363, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 6 मार्च, 1979 को एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसने अपराध स्वीकार करते हुये बताया कि धन प्राप्ति के लिये भैरो देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उक्त बालक की बलि चढ़ाई गई। उसने अपराध में चार अन्य व्यक्तियों का हाथ होना बताया। अपराध में चार अन्य अभियुक्त की निशानदेही पर बालक का शव बरामद किया गया। विवेचना से अभियोग धारा 302/120, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत होना पाया गया। दिनांक 6 मार्च, 1979 को तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध व शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध मफरूरी में आरोप-पत्र दिनाँक 21 मार्च, 1979 को प्रेषित किया गया।

26--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम रायपुर, अताईपुर आदि में प्लास्टिक की सीटी बजाने से बच्चों की कथित मृत्यु

27--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्च-अप्रैल, 1979 में जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज तहसील के ग्राम रायपुर, अताईपुर, लोनाबाग, शमशाबाद क्षेत्र के अनेक बच्चे आधा इंच लम्बी प्लास्टिक की सीटी बजाने के कारण अकाल में ही काल कलवित हो चुके हैं। यदि हाँ, तो नौनिहालों की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी हृदय विदारक घटनाओं की रोकथाम हेतु तत्काल इसकी जाँच कराकर कारगर कदम उठाए जायगें ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च-अप्रैल, 1979 में जिला फर्रुखाबाद में कायमगंज तहसील के ग्राम रामपुर, अताईपुर, लानाबाग, शमशाबाद क्षेत्र में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना की सूचना जिला प्रशासन को नहीं प्राप्त हुई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

घड़ियाल विस्थापन केन्द्र की स्थापना एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि

28--श्री बाबूलाल वर्मा, श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री औसान सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1974 में डा0 वस्टर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में कहीं-कहीं घड़ियाल विस्थापन एवं प्रजनन फार्म स्थापित किये गये हैं ?

अब तक इस योजना पर कुल कितना व्यय हुआ तथा कुल कितने बच्चे पाले गए और कहाँ-कहाँ भेजे गए ? इस योजना को मुख्य-मुख्य उपलब्धि एवं उपयोगिता अब तक क्या रहीं ?

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 300 पर)

प्राविधिक, शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, दक्षता रोक पारण एवं उनका स्थायीकरण

29—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती) तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, दक्षता-रोक पारण के किन-किन अधिकारियों या कर्मचारियों के मामले दिनाँक 15 सितम्बर, 1978 तक कितनी-कितनी अवधि से और किन कारणों से अनिर्णीत रहे थे? सरकार इसका कब तक निस्तारण कर देगी ?

30—श्री ओम प्रकाश तथा श्री बाबूराम वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, अनुदेशक, व्याख्याता, अध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य के कितने पद स्थायी हैं ? उन पदों के सम्मुख कितने अधिकारी एवं कर्मचारी स्थायी कर दिए गए हैं? वे अधिकारी या कर्मचारी जो स्थायीकरण के पात्र है और उनके सम्वर्ग के स्थायी पद भी है, उन्हें सरकार ने किन कारणों से स्थायी नहीं किया है और उन्हें कब तक स्थाई कर देगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

ऐसे मामले शासन के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में रहते हैं तथा कुछ सूचना महालेखाकार से भी प्राप्त करनी पड़ती है। शासन के सामने जो भी मामला आता है उसे शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है।

रामपुर, मथुरा, जिला सीतापुर के तुलसीदास मन्दिर के निर्माण की मांग

31—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि पिछली सरकार द्वारा वर्ष 1976 में रामपुर, मथुरा, जनपद सीतापुर में तुलसीदास मन्दिर को ऐतिहासिक मन्दिर घोषित करके पर्यटन विभाग द्वारा मन्दिर का निर्माण कराने की योजना सरकार के विचाराधीन थी? यदि हाँ, तो आज तक इस मन्दिर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में कितना कार्य पूरा किया जा चुका है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1976 में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं थी और न वर्तमान समय में है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न एजेन्डे में प्रश्न संख्या 34 पर था और उसका जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा भ्रामक और अपूर्ण है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आकर बात कर लें।

लखनऊ की तहसील मोहन लाल गंज में शारदा सहायक परियोजना पर जमालपुर ददुरी ग्राम के पास साइफन बनाये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

लगभग दो वर्षों से तहसील मोहनलाल गंज के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर ददुरी और बलसिंह खेड़ा की 80 प्रतिशत कृषि भूमि पानी से डूबी हुई है। शारदा सहायक परियोजना के निकलने से तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जमालपुर ददूरी ग्रामहीन और शारदा नहर और एक और शारदा सहायक परियोजना के निकलने के कारण टापू बन गया है। फसलें न उगा पाने के कारण उक्त ग्रामों के लोग भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं। वर्षा के पूर्व यदि शारदा सहायक नहर पर साइफन न बनाया गया तो भुखमरी के कारण सैकड़ों लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जायेंगे। भूतपूर्व सिंचाई राज्य मंत्री तथा मौजूदा वित्त मंत्री जी के मौके के निरीक्षण एवं साइफन निर्माण के आश्वासन के बाद भी साईफन नहीं बना।

अतः मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अविलम्ब सम्बन्धित ग्रामों की दशा को देखते हुये वर्षा के पूर्व शारदा सहायक परियोजना पर जमालपुर ददुरी ग्राम के सामने साईफन बनवाकर पीड़ित जनता को राहत देने की कृपा करें।

उन्नाव के डी० एस० एन० कालेज, परीक्षा केन्द्र पर घुसकर अराजक तत्वों द्वारा प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाए उठा ले जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डी0एस0एन0कालेज, उन्नाव परीक्षा केन्द्र पर अराजक तत्वों द्वारा परीक्षा कक्ष में घुस कर जबरन प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं को उठा कर ले जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल दिनाँक 21 मई को लगभग दो दर्जन अराजक तत्व एक परीक्षा कक्ष में, जिसमें 84 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था है, जबरन घुस गये और बी0 काम0 प्रथम वर्ष के व्यवसायिक हिन्दी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकायें लेकर चले गये। इस परीक्षा केन्द्र पर यह पहली घटना नहीं थी वरन इसके पूर्व भी कई बार इस प्रकार की घटनायें घट चुकी हैं किन्तु खेद है कि पुलिस प्रशासन उन्नाव द्वारा इतनी भी व्यवस्था नहीं की गई कि वह निरीक्षकों एवं केन्द्र व्यवस्थापक की इस अव्यवस्था को रोकने में मदद करती। कल की घटना से उन्नाव जनपद के छात्रों एवं जनता में व्यापक क्षोभ एवं नाराजगी उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार की मिलती-जुलती घटनायें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों पर बराबर घटती रहती है जहाँ परीक्षार्थी चाकू की नोक पर निरीक्षकों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को धमका कर खुलेआम नकल कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम शुक्ल]

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन से अपील करता हूं कि वह कानपुर विश्वविद्यालय के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पुलिस फोर्स की समुचित व्यवस्था करें जिससे जहाँ एक ओर नकल रोकी जा सके वहाँ दूसरी ओर निरीक्षकों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों में व्याप्त भय एवं आतंक को समाप्त किया जा सके। मेरा आप से यह भी अनुरोध है कि कल 21 मई को डी0 एस0 एन0 कालेज, उन्नाव में घटी घटना के विषय में शासन को सदन में वक्तव्य देने का निर्देश देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

प्रदेश में सीमेन्ट का अभाव एवं चोर बाजारी से जनता में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

प्रदेश में सीमेन्ट के अभाव तथा चोर बाजारी के कारण जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश स्तर पर सीमेन्ट की वितरण प्रणाली नियमित न होने के कारण चोर बाजारी व जखीरेबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। जरूरतमन्द व्यक्तियों को सीमेन्ट नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में सरकार द्वारा निर्माण कार्यों में भी सीमेन्ट के अभाव के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है। वस्तुतः प्रदेश में सीमेन्ट का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न होने की स्थिति है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश में सीमेन्ट के वितरण को नियमित कर दें तथा अभाव को पूरा करने का युद्धस्तर पर प्रयत्न किया जाना चाहिये। मान्यवर, यह गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री सामान्य प्रशासन संस्थान को राजस्थान स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा देहली में दिये गये वक्तव्य के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, दिनांक 20 मई, 79 को प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास ने नयी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन का शिलान्यास करते हुए सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया कि मंसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री सामान्य प्रशासन संस्थान को केन्द्र द्वारा अन्यत्र ले जाने का षडयंत्र किया जा रहा है जो कि मंसूरी को उजाड़ने का कुचक्र है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्थान को राजस्थान में स्थानान्तरित किया जा रहा है और इस हेतु राजस्थान में किसानों की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गयी है।

मान्यवर, यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश का हित व्याप्त है। इससे सारे देश में चिन्ता व असंतोष व्याप्त हो गया है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री को अविलम्ब वक्तव्य प्रेषित करना चाहिये।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं बेहतर होगा कि यदि सदन में इस संबंध में प्रकाश डाल दें, यह जनहित और प्रदेशहित में होगा। वह यहाँ पर बैठे हैं मान्यवर, अगर आप जरा भी इशारा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वह सूचना देना चाहें, तो दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक दो मर्तबा असफल प्रयास किया गया। पहली मर्तबा, जब श्रीमती गाँधी प्रधान मंत्री थी, लाल बहादुर एकेडमी को यहाँ से अन्यत्र हटाने का प्रयास किया गया। उसके बाद दुबारा गत वर्ष प्रयास किया गया और मेरे पूर्व अधिकारी श्री राम नरेश जी यादव ने तत्कालीन गृह मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और वह स्थगित हुआ। अब तीसरी मर्तबा भारत सरकार ने निर्णय किया है कि मंसूरी स्थित लालबहादुर एकेडमी को हटाकर जयपुर लाया जाय। इस संबंध में मैंने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है और उन्होंने यह निश्चय किया है कि मंसूरी की अपेक्षा ऐसी जगह इस इन्स्टीट्यूट को ले जाना उपयुक्त होगा जहाँ पर ट्रेनीज को ग्रामों में ट्रेनिंग पाने का अवसर मिल सके। मैंने इस संबंध में पुनः उन्हें पत्र लिखा है और साथ ही मैंने अपने प्रदेश के सहयोगियों से अनुरोध किया है जो वहाँ पर मंत्रि परिषद् के अन्दर हैं। यह हमारा यकीन है कि इस लालबहादुर एकेडमी का बनाने में अब तक करीब 4—5 करोड़ रुपया भारत सरकार का इसमें व्यय हो चुका है और हमने भी उनकी सहायता की है भवन आदि एक्वायर करने में। दूसरी जगह जब यह एकेडमी बनेगी, तो फिर इसमें करीब 4—5 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि मंसूरी से इसको हटाने से पहाड़ की आर्थिक व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः हमने उनसे अनुरोध किया है, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार करके इस आदेश का निरस्त करने का कोई निर्णय नहीं हुआ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

जो मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, उसमें अन्तर्निहित भावना का हम विरोधी दलों की ओर से पूर्ण समर्थन करते हैं। यह बड़े आश्चर्य का प्रश्न है कि बार-बार इस विषय को क्यों उठाया जाता है, जबकि मंसूरी में एक बड़े शान्त वातावरण में प्रशिक्षण होता है और उसके ट्रेनीज को पूरे भारतवर्ष में काश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण पर जाने का अवसर मिलता है, जो आवश्यकीय होता है। उनको भ्रमण कराकर भारत के कोने-कोने का ज्ञान कराया जाता है, उनकी आन दि स्पाट ट्रेनिंग होती है। उनकी फील्ड की ट्रेनिंग बिलकुल अलग से होती है। इसलिये मुझे विश्वास है कि अब इसे बार-बार नहीं उठाया जाएगा और जैसा अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा, बड़े प्रभावशाली हमारे लोग केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हैं, वह भी इसे उठायेंगे और चुप नहीं रहेंगे। इसे यहाँ से हटाया नहीं जायगा।

सरकार द्वारा बस्ती प्लास्टिक उद्योग संस्थान के लिए अध्यापित की गई भूमि को संस्थान द्वारा बेच दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अजीत सिह सेठी (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान बस्ती प्लास्टिक उद्योग संस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संस्थान को चलाने हेतु सरकार ने सन् 1976 में 80 एकड़ जमीन अर्जित करके दी थी। इस कारण लगभग दो सौ किसान भूमिहीन हो गये यह जमीन सर्किल रेट के अनुसार लगभग 5 लाख रूपया मुआवजा के रूप में देकर इस आश्वासन से जमीन ली गई थी कि प्रत्येक परिवार को इस रोजगार में नौकरी मिलेगी।

संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विफल हुआ। आज तक प्लास्टिक का कोई उद्योग वहाँ न चल सका अब संस्थान अपने उद्देश्यों को छोड़कर इसी भूमि के क्रय विक्रय का कार्य कर रहा है। उदाहरणार्थ सेन्ट्रल वेयर हाउस को अस्सी एकड़ भूमि साढ़े पाँच लाख रुपये में दी गई है जिसका निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

उजाड़े गये दो सौ गरीब किसान परिवारों में से 140 परिवार बिलकुल भूमिहीन हो गये हैं। इनके पास अब जीविका उपार्जन की गम्भीर समस्या खड़ी है। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप जी से ये किसान लोग मिले तथा अपनी दुखभरी कहानी पेश की और बताया रोजगार मिलना तो दूर किनार, अब तो हमें जमीन भी नहीं मिल रही है।

अतः मेरा आप द्वारा सरकार से अनुरोध है कि जिस कार्य के लिए जमीन इस संस्थान को ी गयी थी वह कार्य तथा उद्देश्य संस्थान पूरा नहीं कर पा रहा है। अतः अपने उद्देश्यों से उल्लंघन कर इस संस्थान की जमीन को बेचने का कोई हक नहीं है। ऐसा करने से वह संस्थान किसानों के साथ जुल्म कर रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करके वह जमीन उन गरीब किसान परिवार को वापस लौटायी जाय।

कतेहपुर के बिन्दकी नगर में विद्युत् आपूर्ति में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगन्नाथ सिंह (जिला कतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये विद्युत् मंत्री, उत्तर प्रदेश का ध्यान जिला कतेहपुर के बिन्दकी नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिन्दकी नगर में नगरपालिका है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को बहुत बड़ा बाजार लगता है और भारी संख्या में व्यापारी व किसान इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कई जूनियर हाई स्कूल, राजकीय कन्या बिद्यालय तथा राजकीय अस्पताल हैं। यहाँ पर नं0 1 का पुलिस स्टेशन है। बिद्युत् परिषद् का उप प्रखंडीय कार्यालय भी है। इसके अलावा सरकारी बसों का डिपो भी है, जहाँ से हर दिशाओं में बसें जाती हैं। इस नगर की आबादी मौजूदा हालत में 40,000 लगभग है। तहसील होने के कारण पूरे क्षेत्र के मुकदमेबाज कचेहरी आते हैं। परन्तु खेद है कि सरकार द्वारा इस नगर में बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है। बिजली बमुश्किल 4--5 घंटे ही उपलब्ध हो पाती है परन्तु इसका भी कोई समय नियत नहीं है। बिजली न आने के कारण पानी के सम्पूर्ण नल भी बन्द पड़े रहते हैं। गर्मी का सीजन है। बाहरी लोग पानी की कमी से अकसर परेशान रहते हैं।

इसलिये मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं कि बिन्दकी को बहरी क्षेत्र घोषित किया जाय तथा शीघ्र ही बिजली सप्लाई की व्यवस्था ठीक करायी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बिजली मंत्री श्री रेवतीरमण सिंह जी उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण आश्वासन इस सम्बन्ध में देने की कृपा करेंगे।

21 मई, 1979 को दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने तथा नारे लगाने वाले व्यक्ति, श्री घनश्याम राय को कारावास की सजा दिये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि अब हम एक न्यायालय के रूप में इस सदन के अवमान के प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय सदस्यों से गम्भीरता और शालीनता की अपेक्षा की जा रही है। सदन में कल दीर्घा से एक व्यक्ति ने पर्चे फेंके तथा दीर्घा में नारे लगाये जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। मार्शल ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया और सदन के 21 मई, 1979 के निश्चयानुसार जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा गया और आज मार्शल उक्त व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में कारागार से ले आये हैं। चूंकि यह घटना सदन के सामने हुई थी, अतः सदन इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है।

मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे उक्त व्यक्ति को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(अभियुक्त को मार्शल सदन में लाये और कठघरे में खड़ा किया।)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका.....

(अभियुक्त ने "इंदिरा गांधी जिन्दाबाद," के नारे लगाये। श्री मन्जूर अहमद, सदस्य विधान सभा ने इन नारों को दोहराया। अभियुक्त ने आगे "विमान अपहरणकर्त्ताओं को रिहा कराओ, स्पेशल कोर्ट वापस लो, वापस लो, भ्रष्टाचार समाप्त करो," के नारे लगाये।)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका क्या नाम है ?

अभियुक्त—

मेरा नाम घनश्याम राय है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहाँ के रहने वाले हैं ?

श्री घनश्याम राय—

आजमगढ़ का रहने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने 21 मई, 1979 को सदन की दर्शक दीर्घा में किस प्रकार प्रवेश किया ? क्या आप दर्शक दीर्घा में बिना प्रवेश-पत्र के आये थे या किसी छद्म नाम से प्रवेश-पत्र प्राप्त करके प्रवेश लिया था ? यदि दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र के साथ प्रवेश किया था तो वह किसके माध्यम से जारी किया गया था और उस प्रवेश-पत्र का आपने क्या किया ?

श्री घनश्याम राय—

प्रवेश पत्र, पर्चे फेंकते समय नीचे गिर गया। जिस विधायक से मैंने प्रवेश-पत्र लिया उनका मैं नाम नहीं जानता।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपने 21 मई, 1979 को सदन की दीर्घा से पर्चे फेंके और नारे लगाये थे ?

श्री घनश्याम राय—

हाँ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो पर्चे दर्शक दीर्घा से सदन में फेंके वह किस प्रेस से छपाये थे ?

श्री घनश्याम राय—

उस प्रेस का नाम भी मुझे मालूम नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

उक्त पर्चों को छपाने में किन-किन व्यक्तियों ने आपको सहयोग दिया ?

श्री घनश्याम राय—

किसी ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप जानते हैं कि आपके इस कार्य से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ ?

श्री घनश्याम राय—

जब सदन की कार्यवाही होती है तो सदन का अवमान आप लोग स्वयं कर रहे हैं। मैंने कोई अवमान नहीं किया। मैंने जनता तक अपनी आवाज पहुंचायी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि पर्चे फेंक कर आपने सदन का अवमान किया है ?

श्री घनश्याम राय—

मैंने कोई अवमान नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल, कृपया इनको बाहर ले जायें।

श्री घनश्याम राय—

मैं इस तरह से वापस नहीं जाऊंगा।

(इसके उपरान्त मार्शल गार्ड्स की सहायता से श्री घनश्याम राय को उठाकर सदन से बाहर ले गये।)

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री घनश्याम राय ने 21 मई, 1979 को 12 बजकर 22 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा मंडप में पर्चे फेंक कर, दर्शक दीर्घा में नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया। अतः सदन यह निर्णय करता है कि इस अवमान के लिए श्री घनश्याम राय जिला आजमगढ़, को सत्र की शेष कालावधि के लिए, सपरिश्रम कारावास का दंड दिया जाय और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में कारावासित किया जाय।

अभी आपके प्रत्यक्ष सदन का अवमान किया है। इस सदन की गरिमा रखने के लिए यह प्रस्ताव रखा है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मुझे खेद है कि एक आवश्यक कार्य से मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, पिछले दिन जब यह घटना हुयी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय आप न्यायालय के रूप में बैठे हैं। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। माननीय नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनना चाहिए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जहाँ तक सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रश्न है अनेकों बार पिछले 20–25 वर्षों में जबसे मुझे याद है, इस प्रकार की घटनायें घटित होती रही हैं और यह सदन समय-समय पर उनके बारे में निर्णय लेता रहा है। जहाँ तक कार्यवाही में बाधा डालने का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि बाधा नहीं डालना चाहिये। चाहे उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, चाहे माँग किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसके पीछे कितनी ही सत्यता क्यो न हो, सदन के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिये। जब हमारे आज के शासक दल के लोग इधर विरोध पक्ष में बैठते थे, वे इधर विराजमान थे और हम सत्ता पक्ष में उधर बैठते थे, इस सदन की कार्यवाही भरी हुई है आप मंगा कर देख लें, कई बार इसी प्रकार से पर्चे फेंकने की घटनायें हुई हैं, उनके पक्ष की ओर से पर्चे फेंके जाते रहे हैं, तो उस समय आप देख लें हम किस प्रकार से विचार करते थे, उसका इतिहास आप देख लें। माननीय मुख्य मंत्री जी पहले संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार उनके सामने भी यह प्रकरण आये हैं। आप भी मान्यवर, इस सदन में सन् 52 से हैं और इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि किसी को पर्चे फेकने के जुर्म में इतनी अवधि के लिये और सपरिश्रम दंड देने का प्रस्ताव आया हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस समय यह प्रस्ताव आता है तो यह सदन किसी दल विशेष का नहीं रहता, एक कोर्ट के रूप में बैठता है। इसलिये मैं यह अपेक्षा करता था कि इस दंड के मामले में माननीय नेता सदन या माननीय संसदीय कार्य मंत्री हम लोगों से भी विचार विमर्श करेंगे। मुझसे या हमारे किसी प्राधिकारी से तथा दूसरे किसी विरोधी पक्ष के नेता से परामर्श नहीं किया गया। सजा कितनी होनी चाहिये इसके लिये उनको परामर्श अवश्य करना चाहिये था। उसके बाद सजा का प्रस्ताव लाया जाता तो अच्छा रहता। अब तक जितनी भी घटनायें हुई हैं उनमें सदन के उठने तक का ही दंड दिया गया है या भर्त्सना करके छोड़ दिया गया है। मेरा यह निवेदन कि इस प्रस्ताव को आज स्थगित किया जाये और कल इसे ले लिया जाये। रिगरस इम्प्रीजन्मेन्ट में चक्की आदि दलना होता है। बड़े-बड़े कोर्ट भी आजकल सपरिश्रम का दंड नहीं दे रहे हैं। इस सदन के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रस्ताव आया है कि सपरिश्रम दंड और वह भी इतने दिनों के लिये दिया जा रहा है। यह सत्र अभी तो 12 या 15 जून तक चलेगा। धारा 144 तोड़ने में भी किसी को इतना भारी दंड नहीं दिया जाता। यहाँ भी बहुत से उधर ऐसे सदस्य बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ पर्चे फेंके होंगे.....(व्यवधान) मगर किसी को इतनी सजा नहीं दी गयी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांत रहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस निर्णय को स्थगित किया जाय।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब तक आपने यह न कहा हो कि इस संबंध में आपका क्या निर्णय है, उसके पहले भी नेता सदन ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित कर दिया जाय। आज तक इस प्रसंग में जितने निर्णय हुए, उसकी सूची मंगाई जाय, नेताओं की मीटिंग बुलाई जाय, तब इस संबंध में निर्णय किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह घटना सदन के सामने हुई थी और इससे सदन का अवमान हुआ था, अपराध तो सिद्ध ही हो गया था। मैंने कहा था जो यह सदन निश्चित करे, तो माननीय नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कल सदन में जो पर्चा फेंका गया, वह मान्यवर, निश्चित रूप से सदन का अवमान है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इस तरह की कार्यवाही सदन में पिछले दिनों भी होती रही। आज भी जो काण्ड हुआ, वह अपराध दण्डनीय है। इसमें दो मत नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि दण्ड कितना दिया जाय, दण्ड का जो क्वाँटम है, उसमें विवाद है। मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा, वह बड़ा कठोरतम प्रस्ताव है। मैं यह चाहता हूं कि जितने नेता है, उनकी मीटिंग बुला कर तथा और पिछले जो रिकार्ड्स है, उनको देख लें या आप ही उसको कम कर दें या विचार करके अन्य कोई निर्णय ही ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मुझे लगता है थोड़ा परिश्रम है । जब मैं स्वयं अध्यक्ष पद पर पीठासीन था, कई घटनाएं हुईं, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना हुई, उसके बाद यह परामर्श किया गया और यह सब लोगों का एक तरह से मतैक्य था कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं हों, तो सख्त दण्ड देना चाहिए और उस वक्त जब मैं अध्यक्ष था मेरे कक्ष में बैठकें हुई थीं, उस वक्त यह निर्णय हुआ था, क्योंकि यह परिपाटी बढ़ती चली जा रही हैं और मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, माननीय नारायण दत्त कहने लगे सपरिश्रम । सपरिश्रम अंग्रेजी में दो तरह के शब्द हैं, सिम्पिल इम्प्रिजनमेन्ट और रिग्रस इम्प्रिजनमेन्ट, हिन्दी में उसे सपरिश्रम कहते हैं । तो सिर्फ सिम्पिल इम्प्रिजनमेन्ट उन धाराओं में होते हैं, जैसे 107, 108 की कार्यवाही या नजरबन्द लोग हैं, लेकिन अन्यथा जो भी दण्ड मिलता है, वह सपरिश्रम का मतलब चक्की नहीं, अब कहीं चक्की नहीं, कहीं जेल के अन्दर कोल्हू नहीं । सपरिश्रम का मतलब खेतों में काम करना, झाड़ू लगाना, कागज काटना है । तो यह मुझे आश्चर्य होता है, इसमें भी मतभेद करें कि सजा सपरिश्रम न हो, तो सपरिश्रम आखिर किसलिये न हो और फिर आखिर यह सजा है और फिर यह कहा कि नेताओं से परामर्श नहीं हुआ । अब तक जितने प्रस्ताव सदन के अन्दर आये सजा देने के लिए, क्या कभी परामर्श हुआ था ? आप यह समझिये कि बार-बार की तकलीफ से बचेंगे । जिस प्रकार का यह कर रहे थे मैं समझता हूं कि बार-बार इनको फिर इस तरफ प्रयास नहीं करना पड़ेगा ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

इस समय हम यहां न तो विरोधी दल के रूप में बोल रहे हैं न मुख्य मंत्री जी शासक दल की ओर से । यहां पर हम अदालत के रूप में बैठे हैं । इस तरह की जो घटनायें हैं, प्रजातंत्र के लिए बड़ी घातक हैं ।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

यही मैं कहने जा रहा हूं । हम इन लोगों से उम्मीद करते हैं, अनुशासित रहें लेकिन माननीय सदस्य किस तरीके से सदन को चला रहे हैं, यह आप देखिये . . . . .

(व्यवधान)

यह भी लीजिये, यह भी लीजिए, यह भी लीजिये । अपने आप मिसाल बना रहे हैं और खुद इनकरेज कर रहे हैं । इस युवक ने सदन का अवमान किया, इसमें दो राय नहीं । इस मामले को दलगत प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । नाम नहीं लूंगा, मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी पर्चे फेंके ।

एक सदस्य—

चप्पल फेंके थे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक छोटी बात मुख्य मंत्री जी ने कही कि रिग्रस इम्प्रिजन्मेन्ट 117 में आता है । मैं उनकी नालेज में लाना चाहता हूं कि कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का होता है तो हमेशा सिम्पिल इम्प्रिजन्मेन्ट होता है । कभी रिग्रस इम्प्रिजिन्मेन्ट नहीं हुआ । इसलिए 117 में नहीं होता तो उसमें प्राविधान है । सिम्पिल इम्प्रिजेन्मेन्ट होता है । जो जरूर होना चाहिये लेकिन ऐसा हो जिसमें सदन एक मत हो । एक ऐसा मसला जिसमें विरोध खड़ा हो गया, क्वान्टम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए, एक प्रयास कर लीजिये। आज ही तमाम नेताओं को बुला कर के क्वान्टम आफ इम्प्रिजनमेन्ट को तय कर लीजिये। तो मेरा निवेदन है कि आपने ज्यादा प्रपोज किया था इस संबंध में कोई कन्सेशन्स होना चाहिये, उसके आधार पर कोई निर्णय लेना चाहिए। नेताओं की बैठक बुला लें और उसमें यह प्रश्न तय हो जाये।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी सजा के बारे में आपके सामने सुझाव किये हैं उसमें दो राय नहीं हो सकती क्योंकि यह जुर्म केवल पर्चा फेंकने का नहीं है, सदन का अवमान है। सदन के समक्ष घनश्याम नामक व्यक्ति ने जिस तरह का बर्ताव किया उसके हिसाब से जो सजा है वह ठीक है, मुनासिब है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन केवल इतना है कि यदि मुख्य मंत्री जी की समझ में आवे कि जितना दोष उस व्यक्ति का नहीं है उतना आजमगढ़ की जलवायु का है, वहां की जलवायु ही कुछ ऐसी है, तो मैं चाहूंगा कि वह आजमगढ़ की जलवायु को ध्यान में रखते हुये कुछ सजा कम कर सकें तो अच्छा होगा। मेरे बहुत माननीय सदस्य भी बैठे हुये हैं, हम भी रहे हैं। तो इस आधार पर मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अगर अपनी सजा में कुछ कमी कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि अभी तक केवल एक दिन की सजा हुई है इससे अधिक नहीं हुई है, यह बात सही नहीं है। इससे पहले भी इसी माननीय सदन में एक दिन से अधिक सजा हुई है। पिछले वर्ष में ही 7 दिन की सजा का प्रस्ताव आया था, इस संबंध में बहुत से सदस्यों ने कहा था कि अधिक सजा हो। आप यह भी देखें कि नियमावली के नियम 73 (6) में कारावास की सजा का प्राविधान है। यह प्राविधान नहीं है कि सपरिश्रम कारावास होगा या साधारण कारावास होगा। आई0 पी0 सी0 में भी दिया है। रिगरस इम्प्रिजनमेन्ट का स्पष्ट प्राविधान होता है अन्यथा यह समझा जाता है कि साधारण कारावास की सजा होगी। सजा कितने दिन की हो इसमें कोई बात नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या नियम 73 के उपनियम (6) को देखते हुए यह उचित नहीं होगा कि यह सजा केवल साधारण कारावास की रहे।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, हम लोग यहां न्यायालय के रूप में बैठे हैं इसलिये यहां जज की हैसियत से हम काम करते हैं। तो किसी व्यक्ति की नीयत को हमें देखना चाहिये। हम लोग हमेशा राजनैतिक तरीके से ही देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने सदन का ध्यान आकर्षित किया। यह घटना कल घटी है। अगर माननीय तिवारी जी इस तथ्य को जानने की कोशिश किये होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मत उन्होंने व्यक्त किया है, यह मत व्यक्त न करते। यह उन्होंने किसी राजनैतिक उद्देश्य से, किसी लक्ष्य से यह काम किया होगा तो निश्चित रूप से हमको उसकी भावना का आदर करना चाहिये। हमको देखना चाहिये कि क्या उस व्यक्ति ने राजनैतिक दृष्टिकोण से, आपके सदन की कार्यवाही के प्रति क्षोभ व्यक्त करने के लिये या जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिये यह कार्य किया है या दूसरी नीयत से किया है। मेरी जहां तक जानकारी है जिस तरह से माननीय सदस्य देवरिया ने संकेत किया है। मैं कहना चाहता हूं आजमगढ़ की धरती पर विक्षिप्त भी पैदा होते हैं। हमने भी कुछ न कुछ ऐसे काम किये हैं कि समाज का पथ प्रदर्शन किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह लड़का आई0 कांग्रेस से संबंधित जरूर है, यह विक्षिप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विक्रम राय]

है, इसका दिमाग असंतुलित है । आये दिन अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं । माननीय तिवारी जी के पास बहुत से इस जनपद के नेता आते हैं। यह कहीं ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन करता है, कहीं तहसील पर, आये दिन रोज यही काम करता रहता है, कहीं तो अनशन पर बैठ जायगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरफ तिवारी जी संकेत कर रहे थे अगर वह राजनीतिक उद्देश्य से किया होता, अगर उसका उद्देश्य कांग्रेस (आई) की जो भावना है या जो कांग्रेस (आई) इस समय प्रदेश के अन्दर अपना प्रतिबिम्ब समाज को दिखाना चाहती है, अगर उस भावना को व्यक्त करना है तो जरूर उसके साथ राजनीतिक व्यवहार होना चाहिये । इस समय आप वह राजनीतिक वातावरण पैदा करना चाहते हैं जहां जनतांत्रिक व्यवस्थाएं भंग हों। तो मेरा कहना है कि वह विक्षिप्त लड़का है इसलिये पूरी सजा को आप स्वीकार करें ताकि जेल में उसकी दवा की व्यवस्था हो सके ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो घटना माननीय सदन के सामने हुयी है और सदन उस पर विचार कर रहा है उस संबंध में दो तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, इन आंखों ने सन् 62 से लेकर अब तक इस सदन के अन्दर बड़े बड़े ऊंचे टाइप के ड्रामें देखें हैं जिसको कि सदन के अपमान की संज्ञा दी जा सकती है । श्रीमन्, इसी सदन के अन्दर केशव सिंह जी यहां पेश हुये थे जिन्होंने दुनियाँ में एक प्रकार का इतिहास बना दिया ऐसी घटनाओं के संबंध में । जब केशव सिंह जी यहां पेश हुये थे तो उनके सारे कुर्ते पर डाक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्दाबाद लिखा हुआ था। जहां आज इंदिरा गांधी जिन्दाबाद का नारा लगा वहीं डाक्टर लोहिया जिन्दाबाद के बहुत नारे लगे हैं और काफी बार सुने गये हैं ।

एक सदस्य—

आपने लगाये हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं अपनी जगह पर हूं लेकिन आप लोग भटक गये हैं और इसीलिये यह सारी चीजें आपको सुननी पड़ रही हैं । तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन गैलरीज के अन्दर पूरे प्रदेश की जनता आकर बैठी है और हमारे माननीय सदस्यों का जो भाषण देखती है तो उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध है कि वह न करें । हमने जूते फिकते, मारे जाते देखा है । आज मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोनकर जी उस जगह पर बैठे थे और इस जगह से जूता फिककर उनके पास गया था । तो इस तरह की घटनायें नयी नहीं हैं । इससे सदन का अपमान होता है इसी में दो राय नहीं है। माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है और माननीय केशरी नाथ जी ने जो ध्यान नियम 73 (6) की ओर दिलाया तो उसमें हमारा अधिकार रिगरस इम्प्रिजनमेन्ट का है नहीं । जब केवल इंप्रिजनमेंट लिखा जायगा तो यह समझा जायगा कि वह सिंपिल इम्प्रिजनमेन्ट है। जब तक कोई न्यायालय कारावास के पहले रिगरस नहीं जोड़ेगा तब तक उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जायगा यह पूरी जुडीशियरी की मान्यता है और केशव सिंह के मामले में मेरा जहां तक ख्याल है कि 7 दिन का कारावास दिया गया था लेकिन सिंपिल कारावास था । इस तरह के प्रश्न बराबर उठे हैं लेकिन रिगरस इम्प्रिजनमेन्ट का प्रस्ताव कभी सदन ने पारित नहीं किया। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय नेता सदन इस पर पुनर्विचार करें और सब लोगों को बुलाकर एक कांसेस जिसमें कोई विरोध न हो, उसके मुताबिक प्रस्ताव लायें जिससे सारा माननीय सदन सहमत हो । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिये, कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कितना दंड दिया जाय माननीय नेता सदन सारे लोगों को बुलायें, अगर नहीं तो मेरा अमेन्डमेंट है कि यह दंड तीन दिन का हो।

*श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है उनका कहना है कि यह निश्चित तौर पर सदन का अपमान है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह कि यदि उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया होता कि जानबूझ कर उसने काम में बाधा डाली और उसकी यह नीयत थी कि उसने इसलिये पर्चा फेंका है कि उसकी जो भावनायें थीं उनके प्रकटीकरण के लिये यह काम किया और अपना गुनाह कबूल कर लेता, तो ठीक था। मान्यवर, अभी तक जितने लोग इस प्रकार के मामले में सजा पाये हैं उन सब ने स्वीकार किया है कि मैंने जानबूझकर बाधा डाली है। लेकिन इसने उसके विपरीत आचरण किया है। उसने 420 भी किया है। किसी विधायक से उसने पर्चा लिया, दीर्घा में जाने के बाद उसको छिपाया है, इसलिये अभी तक जितने मामले हुये हैं उनसे यह मामला भिन्न है। अतः मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उससे मैं सहमत हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सदन में जो पर्चा फेंका गया और जो नारे लगाये गये ऊपर से तो मान्यवर, यहां बैठे एक सदस्य श्री मंजूर अहमद ने उनको शाबासी दी। आज भी जब वह नवयुवक यहां आया तो नारे लगाया जिसके जवाब में मंजूर अहमद ने भी नारा लगाया। मैं समझता हूं कि मान्यतायें कुछ ऐसी भी हुआ करती हैं जो सरकार और विरोध पक्ष में बैठे होने से बदला नहीं करती हैं। मैं जो सुन रहा था तो सब ने एक राय से कहा है कि इससे सदन का अपमान हुआ है। लेकिन मान्यवर, मतभेद एक बात पर है कि सजा कठोर दी जाय या कम दी जाय। मैं तो इस राय का हूं कि जब लोग समझते हैं कि बड़ा काम हुआ है तो उसी के मुताबिक सजा को भी कबूल करना चाहिये। वह कायर होते हैं जो सजा के बारे में रहम की भीख मांगते हैं। इसलिये जब सारे लोग इस राय के हैं कि सदन का अपमान हुआ है तो इस बात पर असहमति व्यक्त करना कि सजा कठोर नहीं बल्कि कम हो, तो यह छोटे स्तर की बात होगी।

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ऊपर दीर्घाओं में जो लोग बैठते हैं उनमें शांति व्यवस्था के संबंध में यहां एक इन्सपेक्टर, ओम प्रकाश भार्गव है, जिनके रहते यहां रोज इस तरह की घटनायें हो रही हैं। मुझे निश्चित जानकारी है कि यहां जो सुरक्षा सिपाही हैं उनमें गुटबाजी हो रही है। इसलिये उनके द्वारा इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं मान्यवर, आपसे और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां जो इस तरह की गुटबाजी पुलिस में हो रही है, इन्सपेक्टर के चलते, उसको रोकें, नहीं तो यहां चौथे पांचवें दिन इस तरह की घटनाएं होंगी। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी प्रदर्शन किया गया, पर्चा फेंका गया, आपके सामने किया गया। वह तो जब हम लोग कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय आप सदन का अपमान करते हैं, तो आप पर आरोप लग जाता है, इसलिये जो नवजवान यहां आये थे उनसे जब आपने पूछा कि सदन का आपने अपमान किया तो उसने कहा कि सदन का अपमान तो आप करते हैं। अगर सदन का अपमान आप लोग करते हैं तो आरोप लगता है। अगर कोई माननीय सदस्य करता है तो आरोप लगाया जाता है कि विशेषाधिकार भंग हुआ और सदन की अवमानना हुयी। तो अगर एक अजनबी सदन के समक्ष आकर सदन का अपमान करता है, तो वह बहुत बड़ी बात हो गयी। तो मेरा निवेदन है कि विशेष अदालतें बनेंगी या नहीं बनेंगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

उनकी प्रेस कान्फरेन्स कब पूरी होगी, इसको नहीं जानता, लेकिन जनतांत्रिक प्रणाली में 5/10 लोग, जनता के चुने हुये लोग बैठकर विचार करते हो और उनके विचारों को अगर कोई प्रभावित करता है, तो यह ठीक नहीं। अब उसमें हो सकता है कल कोई रियासत साहब को कह दे कि हम तुमको अन्दर नहीं जाने देंगे। या कोई आजमगढ़ का नहीं बल्कि नैनीताल का आदमी आकर माननीय नारायणदत्त तिवारी का मुंह अपनी मुट्ठी से बांध लें कि हम तुमको नहीं बोलने देंगे, तो क्या होगा ? तो अगर जनतांत्रिक परम्परा में जबकि हम विधान सभा में बैठ कर विचार कर रहे हैं और हमको उस तरह से विचार करने की इजाजत नहीं दी जायेगी तो कैसे, संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी हो पावेगी। यह बुनियादी सवाल है और इसी नजरिये से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जो भी अपराध कबूल किया गया है, या नहीं किया गया, लेकिन सारे लोगों की राय है कि सदन की उसने अवमानना की है, तो माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर काफी समय हो गया है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुझे लम्बी बात नहीं कहनी। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय देव बहादुर सिंह जी ने कहा और सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति ने, उस नवयुवक ने, सदन का अपमान किया है, सदन के समक्ष आपका अपमान किया, मान्यवर, हमारा अपमान किया और पूरे सदन का अपमान किया---इसमें दो राय नहीं है। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह तो निश्चित है कि इसमें एक राय नहीं है कि कितनी सजा दी जाय। मैं नहीं समझता कि इसमें वोटिंग की जाय कि कितने पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। सत्ता दल में और विरोधी दल में इस बात को लेकर बंटवारा किया जाय, यह ठीक नहीं। मूल बात यह है कि उसने अपराध किया है। तो अगर उचित हो तो नेता सदन और नेता विरोधी दल इस बात पर चर्चा कर लें कि क्या सजा हो, कितनी सजा हो, तो ठीक होगा। हो सकता है कि हमी लोग कहें कि आप सही हैं। अभी शतरुद्ध प्रकाश जी ने बड़े अच्छे तर्क दिये। लेकिन इस पर पूरा विचार किया जाय और एक ऐसी चीज अपनायी जाय, जो असुन्दर न हो, अच्छी हो।

श्री बनारसी दास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि यह दलील देना कि जब इस पक्ष के लोग उधर बैठे हुये थे तो उस वक्त भी इस तरह की घटनायें होती थीं और मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ श्री रियासत हुसैन जी का कथन है कि सदन के माननीय सदस्य भी प्रायः ऐसा ही करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिये नियमावली में है। केवल अजनबी के लिये नहीं, बल्कि माननीय सदस्यों के लिये भी प्राविधान है। यही नहीं, सदन के अपमान पर अध्यक्ष ने स्वयं निष्कासित किया है और इंगित करने पर माननीय सदस्यों को दंडित भी किया गया है। यही नहीं, बल्कि संसद सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी और उससे पहले श्री सुब्रामनियम को पूरे सदन के काल के लिये निष्कासित किया है। मैं फिर तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि यह कोई सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष का प्रश्न नहीं है। अभी वे अगर पूछ लें, बिना शर्त के वह क्षमा माँगें और यह कहें कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित करता हूं और मैं हमेशा अपने व्यवहार को संयत रखूंगा, तो यहाँ नाटक का अवसर नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कहते हैं परामर्श करने के लिये। मैं कोई सजा नहीं देना चाहता। नेता विरोधी दल, क्योंकि नारों से वह उन्हीं का सदस्य लगता है, वे जाकर उससे मालूम करें और अपने आपको आश्वासन दें। विरोध करने में भी नैतिक साहस चाहिए। श्री घनश्याम राय का आचरण भी अनैतिक है। उनके पास जो दीर्घा पास था, वह फाड़कर फेंक दिया गया। उनके नाम का कोई पास नहीं लिया गया है, गलत नाम से पास लिया और जिस वक्त दीर्घा में गार्ड लोग गये, उसको फाड़ कर फेंक दिया। हमने भी कानून तोड़ा है, सन् 1941 में सत्याग्रह करते थे, लेकिन हम कानून तोड़ने के बाद कोई डिफेन्स नहीं देना चाहते, आप जो सजा देना चाहते हों, दीजिये। महात्मा गांधी का 1942 में ट्रायल हुआ तो जज से उन्होंने कहा कि मैंने नियम को तोड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप मुझको अधिक से अधिक दंड दें। इसलिये मैं कहता हूं कि केवल इस वजह से इसका विरोध करना ठीक नहीं है कि आप विरोध पक्ष में बैठे है, स्थान का तो बड़ा अन्तर पड़ता ही है। अगर आप शराब की दुकान के पास चले जायें तो भावना अलग होगी, मस्जिद में जायें रियासत हुसैन साहब, तो भावना दूसरी होगी, गंगा जी के किनारे जायें तो भावना दूसरी होगी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते थे कि हिन्दू मुसलमान भारत माता की दो आंखें है. वही विभाजन की बात करने लगे। जब उनसे पूछा गया तो कहने लगे "आई हैव बीन बर्न टु दि नर्सरी आल्सो।" मैं कहता कि कम के कम श्याम धर जी, धर्मदत्त जी और यह नारायण दत्त जी तो सत्ता पक्ष में रहे हैं और फिर आज विरोध पक्ष में हैं उनके लिये तो इस प्रकार की बात करना आचरण को एक तरह से डाइल्यूट करना है। आप कहते हैं यह सिम्पुल बात है। नियमावली में साफ लिखा है कि सत्रावसान तक सजा दी जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन---

आज तक किसी को भी इस माननीय सदन ने इस तरह की सजा नहीं दी है।

श्री बनारसी दास---

पहले कई दफे इस तरह की घटनायें हुई, हरिशचन्द्र जी ने एक प्रस्ताव रखा, केशरी नाथ जी ने एक बार प्रस्ताव रखा, मेरे पक्ष में खुद विचार हुआ कि यह घटनायें रोज-रोज होती हैं इसलिये इस पर सख्त सजा होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सजा का कोई प्रश्न ही नहीं है यदि शाम को माननीय उपाध्यक्ष महोदय ले लें और नेता विरोधी दल जाकर उनसे लिखवा लायें कि मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिन्दा हूं। मैं माफी मांगता हूं। तो यह प्रस्ताव समाप्त कर दिया जाएगा और उनको माफ कर दिया जाएगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि तीसरी बार नेता सदन बोल रहे हैं इसी विषय पर पहले एक बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया, फिर बीच में एक बार बोले, फिर तीसरी बार बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष---

बीच में किसी ने स्पष्टीकरण मांगा था तो उन्होने उसका उत्तर दिया। यह जो मुख्य मंत्री जी ने सुझाव रखा है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह नेता विरोधी दल या विरोध पक्ष के सदस्यों के सुझाव मांगने के लिए खड़े हों तो ठीक है लेकिन यह 3-4 बार इन्टरविन करते हैं, यह माननीय नेता सदन का अधिकार नहीं है। यह अनौचित्यपूर्ण कार्य हो रहा है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे तो 10-12 सदस्य खड़े हो गये। हमें भी अधिकार होना चाहिए कि जितनी बार वे खड़े हों उतनी बार हम भी खड़े हों। उन्होंने महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और कहां-कहां की बातें यहां रख दीं, उनसे इसका सम्बन्ध क्या है ?

श्री बनारसी दास—

आप माफी मांगते हैं या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज तक किसी नेता विरोधी दल से इस तरह की मांग नहीं हुई । जिस प्रकार की जिम्मेदारी यह लेने की बात कर रहे है, यह एक तरीका है बात को टालने का । यह माननीय मुख्य मंत्री जी अपने शस्त्रागार से एक शस्त्र निकाल रहे हैं । हम जानते है कि किस दृष्टिकोण से यह कर रहे हैं। अगर जितनी भी बातें सत्तापक्ष के सदस्य करते हैं, उसके बारे में वे लिखकर देने को तैयार हों अगर वे सत्तापक्ष के किसी एक सदस्य के व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हों तो मैं भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अगर माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल मिलकर यह तय कर दें तो भी नहीं चलेगा । मेरा कहना यह ह कि सदन का कार्य संचालन किस तरह से हो, इसकी जिम्मेदारी आप पर है । यह आपको देखना ह कि इस पर कोई एक राय बनाई जा सके। आप अपने कक्ष में थोड़ी देर के लिए तमाम नेताओं को बुला लीजिए, अगर संभव हो सके तो एकमत राय हो जाय, यदि संभव न हो तो मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर मतदान करा दीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

शाम को ले लीजिये यह ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं सूचना के लिए यह जानना चाहता हूं कि आपके कक्ष में इस बारे में कभी कोई मीटिंग हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष के यहाँ मीटिंग हुई हो, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन 18 अप्रैल, 1978 को माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया था कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें दोहरायी जायेंगी तो सोचना पड़ेगा सख्त से सख्त सजा देने के लिए। और यह परिपाटी पड़ गयी है कि ये दर्शक गैलरी में आते हैं और परचे फेंकते है, ना लगाते हैं और यह समझते है कि जब सदन उठेगा तब तक की सजा होगी । इससे इस प्रकार की घटनाओं को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और मैंने स्वयं श्यामधर जी से इस बात को पूछा था कि क्या होना चाहिए ।

10 मई, 1978 को 7 दिन की सजा दी गई थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसी प्रकार सन् 67, 58, 51....

श्री रियासत हुसैन—

7 दिन की सजा रिगरस थी या सिम्पल इंप्रिजनमेन्ट था ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि यह सदन . . . .

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन । इस मसले पर राय देने के लिये मैं भी दो-तीन बार खड़ा हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया । इस मसले को रफा दफा किया जाना चाहिए था । इसे गंभीर रूप दिया जा रहा है। मान्यवर, इस मसले में जो विरोधी पक्ष की ओर से भावनायें व्यक्त की गयी हैं उन भावनाओं को सामने रखते हुये अगर माननीय नेता सदन अपना दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा प्रस्ताव नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि . . . .

श्री रियासत हुसैन—

मैंने अमेन्डमेंट दिया है तीन दिन के कारावास के लिए उसे पहले लिया जाय . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारा प्रस्ताव है कि इस बारे में आप अपने कक्ष में मीटिंग बुला लीजिए। आज इस विषय को स्थगित किया जाय और कल फिर इसे ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मुनासिब नहीं है। श्री रियासत हुसैन का संशोधन पहले प्रस्तुत करता हूं।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैंने स्वयं अपना संशोधन दे दिया है। अगर माननीय नेता विरोधी दल इस बात का आश्वासन दें कि श्री घनश्याम राय क्षमा माँगे तो इस पर विचार करने के लिये आप शाम 5 बजे तक इसके लिए माननीय नेता विरोधी दल को अवसर दिया जाय क्षमा माँगने के लिए और वह यह कहें तो यह सदन आज शाम तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। और . . . . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

विषय. . . . . .

श्री बनारसी दास—

और इस बीच में उनसे लिखित क्षमा ले लेंगे। माननीय नेता विरोधी दल से पूछ लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर माननीय नेता सदन इस गलत फहमी में हैं कि वह अपने इस कूट तर्क से सदन को आश्वस्त कर लेंगे तो वह बड़ी परेशानी में हैं। श्रीमन्, इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ वह कराना चाहते हैं वह यह समझते हैं कि जिम्मेदारी ले लेंगे। श्रीमन्, मुस्करा रहे हैं जरा देखिये. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मुस्कराना अच्छा है, बुरा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उनमें बदले की भावना अभी तक महसूस नहीं हुई, आगे हो जाय मैं नहीं कह सकता। तो श्रीमन्, इस पर पुनर्विचार कर लें, अपने कक्ष में मीटिंग बुला लें और इसे कल ले लें। मैं लिखित माफी माँगने की जिम्मेदारी क्यों लूं? सदन के सदस्यों की जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हों तो मैं भी लूं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

रियासत हुसैन साहब ने जो राम मनोहर लोहिया की बात कही कि पूरे कपड़ों में उनका नाम लिखा था। डाक्टर लोहिया के नारे लगाने वाले कभी सजा से मुंह नहीं मोड़ते, कभी माफी नहीं माँगते। यह रियासत साहब सजा से क्यों डर रहे हैं? मुख्य मंत्री जी जो सजा दे रहे हैं उसे स्वीकार करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अब आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री घनश्याम राय ने 21 मई, 1979 को 12 बजकर 22 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा मंडप में पर्चे फेंक कर, दर्शक दीर्घा में नारे लगा कर सदन

[श्री उपाध्यक्ष]

की कार्यवाही में बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया। अत: सदन यह निर्णय करता है कि इस अवमान के लिये श्री घनश्याम राय, जिला आजमगढ़ को सत्र की. . . .

श्री रियासत हुसैन—

पहले मेरा संशोधन लिया जाय तीन दिन का, तब मूल प्रस्ताव आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

शेष कालावधि के लिये सपरिश्रम कारावास का दंड दिया जाय और उन्हें जिला कारागार लखनऊ में कारावासित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित करने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

"नहीं" की संख्या अधिक है. . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं विशेषाधिकार भंग की सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं की संख्या अधिक है। लिहाजा मैंने घंटी बजाने का आदेश दिया है।

(घंटी बजते रहने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। विभाजन के लिये ेस नहीं करता।

श्री बाबू बदरे—

घंटी बन्द करवा दें जब वह विभाजन का प्रस्ताव वापस ले र हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मत करवा लिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा —

जब प्रस्तावक प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं तो फिर घंटी बन्द करवा ही दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई खिलवाड़ नहीं है। आपने एक मर्तबा कहा कि "नहीं" की संख्या अधिक है तो घंटी बजवा ी गयी और अब विभाजन होकर ही रहेगा।

श्री गनेशी लाल चौध ी (जिला सीतापुर)—

अब आपको अधिकार भी नहीं रह गया है।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

(प्रश्न पुन: उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले श्री घन श्याम राय के समर्थक, श्री मन्जूर अहमद को भी सजा दिये जाने की मांग

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला—वाराणसी)—

मैं नियम 63 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. . . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

चार-चार और पाँच-पाँच सदस्य एक साथ खड़े होंगे तो कैसे सदन चलेगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम 63 में लिखा है कि किसी सदस्य के अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से—किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा। परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। मान्यवर, जो सदन की परम्परा है कि सदन के अन्दर किसी सदस्य को नारा नहीं लगाना चाहिये। कल जिस समय पर्चे फेंके गये थे उस समय माननीय मंजूर अहमद ने परचा फेंकने वाले को, जिसको दंडित किया गया, शाबासी दी और उसका समर्थन किया। आज भी जब यह सदन न्यायालय के रूप में परिवर्तित था उस समय भी उन्होंने नारे लगाये और "इंदिरा गाँधी जिन्दाबाद" का नारा लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि नारा लगाना वर्जित है और एक व्यक्ति जब वह सदन का अवमान करे और उसकी सदन का अवमान करने की नीयत हो तो वह सदन का अवमान होता है। [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह सदन का अवमान हुआ है जो कि सदन की निगाह में है। मैंने देखा है, राजेन्द्र कुमार जी ने भी देखा है और भी माननीय सदस्यों ने देखा है तो मैं कहना चाहता हूं और जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा है अगर कोई अपराध करता है तो अपराध को स्वीकार भी करना चाहिए। माननीय मंजूर अहमद साहब ने सदन का अवमान किया है इसलिये वे कहें कि उन्होंने सदन का अवमान किया है और सदन ही उन्हें कठोर दंड ।

एक सदस्य—

मन्जूर अहमद को भी सजा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इस पर विचार कर लिया जायेगा। आप बैठिये।

राम नरेश यादव मंत्रि मंडल के भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को मंत्री पद पर मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरी बात सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं इस प्रश्न के अन्तराल में दो बार खड़ा हो चुका हूं। उनके पहले मैं खड़ा हो गया था। इसलिए कृपया आप मुझे सुन लें, बार-बार खड़ा होकर प्रार्थना कर चुका हूं और आप आज्ञा नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को बुला लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं उसी कड़ी के संबंध में बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके बाद आपको बुला लूंगा।

नोट—(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कल मैंने नियम 110 (3) के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया था जिसकी आपने इसलिए अनुमति नहीं दी थी क्योंकि मैंने उसकी लिखित सूचना नहीं दी थी। कल ही मैंने सायकाल सूचना भेज दी और आपके कक्ष में मिल कर स्थिति स्पष्ट की थी और डाकूमेन्ट भी दिखाये थे। मान्यवर, उसी विषय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 193 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें मान्यवर, स्पष्ट दिया हुआ है कि "यदि राज्य की विधान सभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्य के लिए अर्ह नहीं हूं अथवा अनर्ह कर दिया गया हूं"।

मान्यवर, "मैं अनर्ह कर दिया गया हूं," इसी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा यही निवेदन था कि आप देखें कि कोई सदस्य यह जानते हुए कि वह अनर्ह है या अनर्ह कर दिया गया है इसके लिये नियमावली के नियम 7 में आपको अधिकार मिला है। मैं आपकी आज्ञा से नियम 7 पढ़ना चाहता हूं उसमें स्पष्ट है, मान्यवर, कि "अनुच्छेद 193 के उपबन्धों के अधीन दंड विधि या विधान कोई भी व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष यह निश्चित करें कि वह अनुच्छेद 193 के अधीन दोषी है एतदर्थ उपबद्ध शास्ति का भागी होगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। कल आपने इस पर कहा कि अगर आप समझते हैं कि कोई डिस्क्वालिफाई हो गया है, अनर्ह हो गया है तो आपको राज्यपाल को लिखना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि नियम 7 के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बता दें कि वह कौन हैं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने अपने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में जितने भूतपूर्व राज्य मंत्री थे। उनमें सब को आज भी वही सुविधायें दी जा रही हैं जो अनुच्छेद 195 के तहत सदन के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं से अधिक हैं जो कि उनको नहीं मिलनी चाहिये। चूंकि वह मिल रही हैं इसलिए कान्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद 195 तथा 191 के तहत वह आफर आफ प्राफिट होल्ड करते हैं। उस पर मैं कह रहा हूं कि अगर वे अनर्ह हो गये यह विनिश्चय करना नियमावली के नियम 7 के अन्दर आपको अनफैटर्ड राईट है। संविधान में उस परिस्थिति की परिकल्पना भी नहीं की गई है जिसमें राज्यपाल विनिश्चय करे और आप उसे अमान्य करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह घोषणा किसकी है? यहाँ आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उनके बारे में इसमें कहाँ है कि घोषणा हुई कि यह सदस्य नहीं रहे?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है उसमें मैंने स्पष्ट हवाला दिया है। मैंने जिक्र किया है जो आपके संज्ञान में आ गया है। इसमें मैंने दो बातें दी थीं एक तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दूसरा नियम 300 के तहत औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना दी। आपके कार्यालय में मैंने श्री प्रभुनाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी को 24 अप्रैल, 1979 के पत्र की प्रतिलिपि और श्री प्रेम चन्द्र जैन के 2 मई के पत्र की प्रतिलिपि भेजी है, जिसके तहत राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों राज्य मंत्रियों का वे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो उनको पहले मिलती थीं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो मंत्री लोग अपना पद छोड़ गये, उनको अपना आफिस छोड़ने के केवल 15 दिन बाद तक इन सुविधाओं को भोग

करन का अधिकार है और जहाँ इस अवधि का उल्लंघन हो जाता है, वहाँ आर्टिकिल 191 तुरन्त हरकत में आ जाती है और उसके बाद वह अनर्ह हो जाते हैं। तो वह अब अनर्ह हो गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी घोषणा तो संविधान के आर्टिकिल 192 में है कि राज्यपाल करेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं इस संबंध में दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा 25 साल की अवस्था में विधायक के लिए चुनाव हो गया और उसके दो साल बाद यानी 27 साल की आयु में मैं आई0ए0एस0 की परीक्षा में आ गया और ज्वायन भी कर लिया और फिर आफिस आफ प्राफिट होते हुए भी मैं यहाँ आकर बैठता हूं, तो उस समय आप आर्टिकिल 192 में राज्यपाल को कार्यवाही करने के लिए नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको आर्टिकिल 193 तथा नियमावली के नियम 7 में निर्बाध अधिकार प्राप्त हैं उन्हें लिखने का कि इन्होंने आफिस आफ प्राफिट कर लिया है, इस लिए यह सदन में नहीं बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम 300 में औचित्य का प्रश्न ऐसे विषय पर उठा सकते हैं, जो इस माननीय सदन में विचाराधीन हो। तो यह प्रश्न सदन में विचाराधीन तो नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, आप नियम 300 भी देख लें—"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान क ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" मान्यवर, मैंने आपके ही पुस्तकालय में मानक हिन्दी शब्दकोश देखा है। उसके प्रथम संस्करण, खण्ड-3 के पृष्ठ 635 व 636 पर "प्रवर्तन" का अर्थ दिया हुआ है नई बात, नया कार्य, नये सिरे से प्रचलित करना। तो अब आप देखें एक नई परम्परा इस सदन में प्रचलित की जा रही है कि भूतपूर्व राज्यमंत्रियों को जो आर्टिकिल 195 के तहत सुविधाओं के भागीदार नहीं हैं, उन्हें उन सुविधाओं को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यह नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है आप सारी लीगल पोजीशन सुन लीजिए, उसके बाद आप जो व्यवस्था देंगें वह मुझे शिरोधार्य होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो आप अपनी बात कह चुके हैं....

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आप अपने जजमेन्ट में कह दें कि यह लागू नहीं होता है, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन तो लें, मुझे आप अपनी बात कहने का पहले पूरा अवसर दें यह मेरा राईट है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरे संज्ञान में ले आए। मैंने कहा संविधान के अनुच्छेद 192 में राज्यपाल को अधिकार है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, 192 में राज्यपाल का अधिकार असीमित नहीं है। उस पर सीमा का बन्धन है। वह सीधे निश्चय नहीं कर सकेंगे, उनके पास मामला रेफर होगा तो उनको एलेक्शन कमीशन के पास ओपीनियन के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि नियमावली के नियम 7 में आप पर कोई ऐसी सीमा नहीं है। इस संबंध में आई0ए0एस0 का एक केस उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम 7 पढ़िये। नियम 7 में यह है, कोई भी व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में वह यह निश्चय करें कि वह अनुच्छेद 193 के अधीन दोषी है। अनुच्छेद 193 के अधीन दोषी है या नहीं, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। इसका निर्णय लेने वाले राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सुन तो लें।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मंत्रि पद की सुविधाएं आफिस आफ प्राफिट में आती ही नहीं। यह मिस्कन्सीव्ड है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियम 7 के अन्तर्गत आपको ही विनिश्चय करना है, 193 आर्टिकिल की तहत वह लोग अनर्ह हो गये हैं। यह निवेदन है। उसके लिए आर्गुमेन्ट्स ऐडवांस कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

जब चुनाव हो जायगा तब वह खत्म हो जायंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि क्यों अनर्ह है और कैसे जानते हैं। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, इगनोरेंस आफ ला इज नो एक्सक्यूज। अगर न जानें तो यह प्लीड नहीं कर सकते। सरे किसी भूतपूर्व राज्यमंत्री की घोषणा नहीं है कि उन सुविधाओं को नहीं ले रहे हैं। तीसरे 24 अप्रैल, 1979 का प्रभुनाथ मिश्र का पत्र और 2 मई, 1979 का हेमचन्द्र जैन का पत्र है, जिनकी प्रतिलिपि आपके कार्यालय में है, उन पत्रों से जाहिर है, हाँ यह अवश्य है कि ऐसे राज्य मंत्री दो श्रेणियों में आते हैं, जिनका जिक्र श्री प्रभु नारायण मिश्र के पत्र में है। कुछ राज्य मंत्री हैं जिनकी सुविधाएं वापस कर ली गयी थीं। उन्होंने शिकायत किया तब माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दिया कि जो सुविधाएं उनका थीं वह उनको वापस दी जायं। कुछ राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनकी सुविधाएं वापस नहीं हुई थीं और माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दिया कि उनकी सुविधाएं वापस न ली जायं। मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि बैक डेट में माननीय मुख्य मंत्री सब चीजों को रेगुलराइज करने के लिये उन राज्य मंत्रियों से लिखा रहे हैं कि हम किराया देने को तैयार हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि सारे रेकार्डस को मंगा कर देख लें ताकि मैनिपुलेशन न हो सके। उनको देखने के बाद, कानूनी परिस्थितियों के अध्ययन के बाद आर्टिकिल 193 में अनर्ह हो गये हैं तो नियम 7 के अन्तर्गत आप इस बात का विनिश्चय करें कि अनर्ह हो गये हैं। आर्टिकिल 195 में वह सारा प्राविजन दिया हुआ है कि हमको क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? वह राज्य मंत्री, राज्य मंत्री नहीं रह गये, उनकी स्थिति विधान सभा के सदस्यों के अलावा कुछ नहीं है। आर्टिकिल 191 के तहत जैसे ही उन्होंने अपनी पूर्व की सुविधाओं को लिया वैसे ही वह अनर्ह हो गये। कानूनी स्थिति यह है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी ने कई बार आरोप किया है। एक बार कह चुके हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही है, नियम 300 में औचित्य के बारे में वह कह रहे हैं।

श्री नेम सिंह चौहान—

आप निर्णय दें औचित्य के प्रश्न पर।

श्री उपाध्यक्ष—

यह निर्णय तो लेना ही है। लेकिन हम को सुनना तो पड़ेगा, ना। श्री तिवारी अब समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आफिस आफ प्राफिट है या नहीं इसमें मान्यवर, आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, मेरे सामने है किताब, वर्ड्स ऐंड फ्रेजेज लीगली डिफाइंड। इसमें मान्यवर, पेज 25 पर हैल्सबरीज लाज का रेफरेंस है, जिसमें है—टु माई माइंड, एन आफिस आफ प्राफिट इन दि आर्डिनरी सेन्स आफ दि वर्ड इज.....

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारीजी, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ का पद है या नहीं। यह हम घोषित नहीं कर सकते।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मेरा यही निवेदन है। नियम 7 के तहत आप अधिकारी है। आप विनिश्चय कर सकते हैं कि आफिस आफ प्राफिट उन्होंने लिया या नहीं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मेरे पास बासूज कमैन्टरी औन दि कौन्सस्टीट्यूशन आफ इंडिया है। इसमें मान्यवर, आप पृष्ठ 570 व 572 पर जो डैफिनिशन्स दी हैं, आफिस आफ प्रौफिट की उनको देखें। और तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि "औक्सफोर्ड डिक्शनरी" मेरे हाथ में है। उसमें बहुत सी डैफिनिशन्स के अलावा इसके बारे में है "पीस आफ काइन्डेन्स"—"दया का टुकड़ा।"

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न उससे संबंधित नहीं है।

(शोर)

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैंने भी आपको नियम 7 में सूचना दी है। कृपया मुझे सुन तो लें क्योंकि मुख्य मंत्री जी को उत्तर देने में आसानी होगी और बार-बार उनको कष्ट देने की आवश्यकता न होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

वही विषय है।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

नियम 7 में आपको श्रीमन्, दिया है। आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी नहीं कर रहा हूं लेकिन सदन की व्यवस्था तो चलानी है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर —

मान्यवर, जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको नेता सदन मान भी लेंगे। मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय तोमर जी मुझे अत्यन्त खेद है कि जब आपने एक नोटिस मेरे पास भेजी तो इस प्रकार से सदन का समय जो इतना मूल्यवान है, न लें। मेरा कथन है कि माननीय तिवारी जी ने यदि नियमावली को गौर से पढ़ा होता और संविधान को समझने की कोशिश की होती तो सदन का इतना समय नष्ट न होता। मान्यवर, आपको अधिकार दिया गया है। नियम 7 के अन्तर्गत लिखा है कि "अनुच्छेद 193 के उपबन्धों के अधीन दंड विधि या विधान—कोई भी व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष यह निश्चित करें कि वह अनुच्छेद 193 के अधीन दोषी है एतदर्थ उपबद्ध शास्ति का भागी होगा।" तो आपको अधिकार है संविधान के खंड 193 के अनुसार। वह क्या कहता है, मैं पढ़े देता हूं:

193 Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 188 or when not qualified or when disqualified.

यदि शपथ लेने से पहले या जब वह क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालिफिइड है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठता है और एसेम्बली के अन्दर वोट देता है या कौन्सिल आफ स्टेट में बैठता है जबकि उसने आर्टिकिल 188 का पालन नहीं किया है और वह जानता है कि वह सक्षम नहीं है और वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए अनर्ह कर दिया गया है तो उसको वर्जित किया जाता है, संविधान में इन प्रोविजन के अनुसार।

तो इसका निर्णय आप करेंगे उसके बारे में जो व्यक्ति यहाँ पर बैठता है या उल्लंघन करता है ?

आपने हवाला दिया आर्टिकिल 191 का। उसमें लिखा है कि :

Disqualification for Membership

A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of State" अगर वह आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है। फिर आपने आर्टिकिल 195 कोट किया। उसमें तो केवल यह है कि सदस्यों का वेतन आदि क्या होगा। उनकी उपलब्धियाँ क्या होंगी आदि। अगर वह आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है और डिस्क्वालीफाइड है तो उस बारे में निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति या गवर्नर को है और वे इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। यहाँ पर बालू पर एक भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले नियम 7 पढ़ दिया, फिर 193 उससे चिपका दिया। 191 का हवाला दिया। अगर कोई पागल है या डिस्क्वालिफाइड है तो उसका निर्णय अध्यक्ष नहीं करेगा।

मुझे श्रीमन्, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर कभी 303 में, कभी विशेषाधिकार के नाम पर, कभी किसी तरह, कुछ लोग केवल निराधार आक्षेप करने की दृष्टि से, किसी तरह से उसे औचित्य के दायरे में लाकर और इसीलिये कि वह अखबारों में निकले, प्रश्नों को यहाँ उठाने की चेष्टा करते हैं। किसी को अगर अधिक सुविधायें मिल रही हैं तो उसके भी नियम हैं। कोई सदस्य अगर किसी कोठी में रहता है तो उसे नहीं मिलना चाहिये तो उसके लिये नियम है, उसे पेनाल्टी के रूप में किराया देना होगा। पार्लियामेन्ट में भी यह है, श्री महावीर त्यागी को अनुमति दी गयी, मैं भी उन लोगों केसाथ रहा हूं, मैंने देखा है कि किस तरह का व्यवहार वहाँ किया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने पाण्डित्य का दुरुपयोग भी कर सकता है, किन्तु इस प्रकार सदन के समय का दुरुपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर माननीय तिवारी जी समझते हैं कि कोई डिस्क्वालीफाइड है तो वे राज्यपाल महोदय को प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आफिस आफ प्राफिट का भी कानून बना है, उसकी एक कमेटी भी है जो विचार करती है। इसमें न डिस्क्वालीफिकेशन का सवाल है और न ही इस पर आफिस आफ प्राफिट की जो कमेटी है उसने विचार किया है। नियम 7 के अन्दर तो आप तब विचार कर सकते हैं जब कि कोई स्ट्रेन्जर यहाँ सदन में आकर बैठ जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ओथ न ली हो। आपको यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि कौन क्वाली-फाइड है, कौन नहीं। इसलिये यह प्रश्न औचित्य का नहीं है, अनौचित्य का है। इसके अन्दर न तो कोई तर्क है और न कोई औचित्य। यह अनावश्यक सदन का समय लिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये, मैंने आपको लिख कर भी दिया है। मान्यवर, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय नेता सदन भी चुन कर आये हैं और हम लोग भी चुन कर आये हैं। मान्यवर, दसों बार माननीय नेता सदन ने सदन का अवमान किया है। सबसे पहले तो मैं आपको लिख कर देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मसला, कोई भी प्रश्न, कोई भी माननीय सदस्य. . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में, किस तरह से यह ग्राह्य हो सकता है औचित्य के रूप में कि किस तरह से हम. . . . . .

(व्यवधान)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

किस तरह ग्राह्य हो सकता है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पर और भी सदस्य हैं, जिन्होंने कांस्टीट्युशन आफ इंडिया पढ़ा है। मान्यवर, माननीय नेता सदन को जानकारी नहीं है। मान्यवर, नियम 7 है, माननीय नेता सदन से आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मखौल उड़ाते हुए तिवारी जी से कहा कि इन्होंने नियम 193 ठीक से नहीं पढ़ा। मैं इसे पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या पढ़ना चाहते हैं आप ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

नियम 7 में आपको अधिकार दण्ड देने का है।

श्री उपाध्यक्ष---

संविधान के अनुच्छेद 193 के बारे में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि बैठने या मत देने के लिए अर्ह न हो, तो इसका निर्णय लेने वाले तो राष्ट्रपति या राज्यपाल है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मान्यवर, सुन लें, आप सहमत होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, वही तर्क दोहरा रहे हैं, जो माननीय तिवारी जी दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जो तिवारी जी तर्क दे चुके हैं, उनके अतिरिक्त यदि कोई तर्क हो तो उसको दें। एक तो सदन के सामने विचाराधीन कोई प्रश्न हो, उसके बारे में आप औचित्य का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न इन्होंने क्या उठाया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इन्होंने भी मुझे भेजा था।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, सुनने के धैर्य तो हो, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 193 के बारे में कहा कि उसका निर्णय करने का फोरम दूसरा है। मान्यवर, नियम 7 में आपको इस लिए अधिकार दिया गया है कि अनर्हता अर्जित करने पर कोई सदस्य ..... (व्यवधान) इसका निर्णय आप देंगे। नियम 7 में आपको अधिकार है और आपके अधिकार में यह लिखा है .....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

एक चीज मान्यवर.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो बातें तिवारी जी ने कही है उसी को आप दोहरा रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह तर्क ये एक हफ्ते से दे रहे हैं। यह सदन में व्यवधान हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

चतुर्वेदी जी, आप बैठें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, एक ऐसा बजट आया है, तो उसको आना चाहिए। हाउस का समय एक हफ्ते से बराबर ऐसे ही लिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न तो तोमर जी ने उठाया है।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, 193 में अनर्हता अर्जित करने के बाद .....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

आप इनको बैठाईये। आप मुझे सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बतायें कि इसे हम किस प्रकार औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्राह्य कर सकते हैं ?

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फ्रेन्च कान्स्टीट्यूशन, कनाडियन कान्स्टीट्यूशन में

(शोर)

गवर्नमेन्ट को अनर्हता के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया जायेगा तो इलेक्शन कमीशन को रेफर करेगा और मान्यवर, आप.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका लिखा नहीं जायेगा ।

(शोर)

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(भीषण शोर)

माननीय श्री सोहन वीर सिंह तोमर, यह आपका बड़ा गलत तरीका है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने जो औचित्य के प्रश्न पर आपत्ति उठायी है और तर्क दिया है कि नियम 300 के अन्तर्गत इसे ले सकते हैं, नियम 300 में लिखा है कि जब कोई विषय सदन के समक्ष विचाराधीन हो तभी हम विचार कर सकते हैं और दूसरे संविधान के आर्टिकिल 192 में साफ लिखा है कि किसी सदस्य की अनर्हता का निर्णय राष्ट्रपति या गवर्नर करेंगे और जब यहां राय आयेगी तभी नियम 7 के अन्तर्गत हटा सकते हैं । वैसे हमें कोई अख्तियार नहीं है । आप अगर चाहते हैं तो आप राज्यपाल को प्रतिवेदन भेज सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन से विचार-विमर्श करके उस पर निर्णय ले सकते हैं । इसलिये मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूं ।

(शोर)

अब मैं निर्णय ले चुका हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में अब कुछ न कहें, आप कोई दूसरा औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं, क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने मेरा नाम लिया.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तिवारी जी कहा होगा । मेरा इशारा रवीन्द्र नाथ तिवारी की ओर था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इतना महत्वपूर्ण विषय है और जो इस शासन के बारे में जो तरीका चल रहा है इसके बारे में कहना चाहूंगा, क्या आप मना कर देंगे ?

(शोर, निर्णय हो चुका है की आवाजें)

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न पर मैंने निर्णय ले लिया है। यह ग्राह्य होने के योग्य नहीं है इसलिये मैंने इसे अग्राह्य कर दिया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैंने आपको सूचना दी थी क्या आप मुझे समय दे रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आपने निर्णय केवल इतना दिया है कि अर्हता डिस्क्वालीफाईड नहीं है। यह तो आपने एक कानूनी पक्ष के बारे में निर्णय दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो समाप्त हो गया, नेगी जी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नियम 300 के अन्तर्गत विवाद हो चुका है। आपका कानूनी मामला ठीक है। लेकिन जो तथ्य है। क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को क्या वही सुविधायें दी जा रही हैं? मेरा निवेदन है.....

श्री मान सिंह आजाद—

सारी कार्यवाही काट दी जाये, मान्यवर। महज कार्यवाही खराब करने का इनका उद्देश्य है। यह बैठ जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये सदन की कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने मुझे नहीं बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दो मिनट में खतम करता हूं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि अगर आपको उस पर कुछ जानकारी चाहिये तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं।

(श्री केशरी नाथ त्रिपाठी को संबोधित करके) आपकी सूचना कल ले लेंगे।

निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 18 मई, 1979 को निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार, भंग एवं अवमान की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 मई, 1979 को रात्रि को 8 बजकर 25 मिनट पर आकाशवाणी के लखनऊ स्टेशन से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाही की समीक्षा के कार्यक्रम में जो प्रसारण किया गया उसमें यह गलत तथ्य दिया गया कि श्री देव बहादुर सिंह अलीगढ़ काण्ड के संबंध में नेता विरोधी दल के बाद बोले और उन्होंने नेता विरोधी दल के द्वारा कही हुई बातों को दोहराया।

मैंने इस संबंध में निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ से वस्तु, स्थिति की जानकारी मांगी-पर उन्होंने सूचित किया है कि विधान मंडल समीक्षा का आलेख्य नवजीवन के संवाद-दाता श्री हुसैन सिद्दीकी से लिखवाया गया था। आकाशवाणी लखनऊ ने इस बात पर

खेद प्रकट किया है कि उक्त आलेख में कुछ ऐसी बातें थीं जो तथ्यों के विपरीत थीं। उन्होंने सम्बन्धित लेखक से यह भी कहा है कि वे व्यक्तिगत तौर पर माननीय सदस्य से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन्होंने अपनी ओर से माननीय सदस्य से क्षमा याचना की है और यह विश्वास दिलाया है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का कोई इरादा नहीं था।

उपर्युक्त परिस्थितियों में श्री देव बहादुर सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने 18 मई, 1979 को माननीय हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि सीतापुर हरिजन बस्ती में आग के बारे में वे एक सूचना दिनांक 5 मई, 1979 को माननीय उपाध्यक्ष की अनुमति से सदन के संज्ञान में लाये थे, किन्तु इसका अभी तक उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है।

मैंने माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस संबंध में वस्तु-स्थिति की जानकारी देने के लिये कहा। माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने इस संबंध में 21 मई, 1979 को मुझे पूरी पत्रावली दिखायी। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि पूरा प्रयत्न करने पर भी सूचना जिलाधिकारी के यहां से प्राप्त नहीं हुयी। 19 मई, 1979 को जिलाधिकारी को रेडियोग्राम द्वारा तुरन्त सूचना भेजने को कहा किन्तु 21 मई, 1979 तक यह सूचना नहीं आ पायी थी। माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही वह सूचना शासन को उपलब्ध हो जाय, माननीय सदस्य को तुरन्त भेज दी जायगी और उस पर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। किन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि सूचना एकत्र होने में बिलम्ब हो रहा था तो माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि वह अंतिम उत्तर निर्देशानुसार एक सप्ताह के अन्दर माननीय सदस्य को दे देते और यदि अंतिम उत्तर देने में एक माह से अधिक समय लग रहा था तो स्थिति स्पष्ट करते हुये माननीय सदस्य को इसकी भी सूचना दे देते। ऐसा न करना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध 17 मई, 1979 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 1979 के विधान सभा के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानबूझ कर गलत दिया है और सदन को गुमराह किया है। इस संबंध में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तु-स्थिति की जानकारी मांगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने वस्तु-स्थिति बताते हुये कहा है कि दिया गया उत्तर

[श्री उपाध्यक्ष]

सही था और उससे सदन को किसी प्रकार का गुमराह करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

अतः मैं श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

उप मुख्य मंत्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1979 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया थ कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनाँक 21 अगस्त, 1978 और पुनः 7 दिसम्बर, 1978 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्ष 1979 के आय-व्ययक सत्र के अंतिम दिन तक है ;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी ;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1979 के मानसून सत्र के अंतिम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इसमें यह मालूम होना चाहिये कि कितना काम बाकी रह गया है जिसके लिये बार-बार टाइम माँगा जा रहा है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, आप कृपया देखें, 17 अप्रैल, 1978 को यानी एक साल एक महीने पहले यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था। यह संयुक्त प्रवर समिति भी नहीं थी। केवल सेलेक्ट कमेटी थी। श्रीमन्, सदन इसके लिये समय बढ़ा चुका है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके लिये प्रदेश को अपेक्षा थी, हमने इस कोड को बनाने में थोड़ी सहायता की थी तो क्या कारण है और क्या कठिनाई है कि जिसके लिये टाइम बढ़ाया जाय। क्या गारन्टी है कि मानसून के सत्र तक यह आ जायेगा। श्रीमन्, भूमि सुधार कितना महत्वपूर्ण विषय है इस प्रकार इसमें देर हो यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये मंत्री जी हमें आश्वस्त करें कि मानसून सत्र के अन्त तक प्रतिवेदन अवश्य आ जायेगा।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, राजस्व बजट पर विवाद जब हो रहा था तो उस समय भी यह बात आयी थी, लेकिन आपने रोक दिया था किन्तु अब यह अवसर है कि हम पूछ सकें मंत्री जी से कि कम से कम वह यह बतायें कि, क्योंकि हम लोगों को जानकारी है कि अब काम बहुत थोड़ा ही बाकी रह गया है, इतनी लम्बी अवधि क्यों माँग रहे हैं। चूंकि इसमें एक तो उत्तर प्रदेश का अगला सत्र निश्चित नहीं रहता और दूसरे पता नहीं वह सत्र कब होगा और फिर कह रहे हैं कि अन्तिम दिन तक के लिये समय बढ़ाया जाय। तो क्या यह परिपाटी के लिये रख रहे हैं और समय माँगते जा रहे हैं। यदि सचमुच में काम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे तो एक महीने में 4–5 मीटिंगें करके इसका काम खत्म हो सकता है। इसलिये हमको मालूम होना चाहिये कि अब इसमें कितना काम बाकी है।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, सदन को आशा थी कि समिति 31 मार्च, 1979 तक अपना काम पूरा कर लेगी और विधेयक मंजूर होकर 1 अप्रैल, 1979 से यह लागू हो जायेगा परन्तु दो बार पहले समय माँगा गया और तीसरी बार फिर समय माँगा है और अभी तक सदन को मालूम नहीं कि कितना काम बाकी रह गया है। इसलिये समय माँगने से पहले एक डिटेल नोट सदन में आना चाहिये कि अभी कितना काम बाकी है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)––

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रदेश की जनता अपेक्षा कर रही थी कि जल्दी ही इसे लागू कर दिया जायेगा क्योंकि शासन ने घोषणा किया था कि 31 मार्च, 1979 तक इसे तय कर दिया जायेगा। समय बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सी टिकाऊ नहीं है। पहले राजस्व मंत्री चले गये यह दूसरे मंत्री पता नहीं अपने दिन गिन रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी विधेयक के बारे में जल्दी से सदन को अवगत करा दें और समय को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री नारायण सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक शायद माननीय सदस्य नहीं समझते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं करना है। जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1939 का जो रूप था वह चलता आ रहा था जिसको हमने एक छोटी शक्ल में रखने का प्रयत्न किया है। वह तैयार हो चुका है, इसलिये इसमें कोई देर नहीं है। हम चाहते थे कि इस समय आ जाय लेकिन ऐक्ट की बात है, पूरी तरह उसमें कार्यवाही नहीं हो पायी थी, इसलिये अगले मानसून सत्र में हम कह सकते हैं कि आ जायेगा। देर इसलिये हुई जैसे कि एक विधवा को कितना मिलना चाहिये, उसके लड़के को कितना मिले, चूंकि रोज-रोज ऐक्ट बनते नहीं हैं इसलिये इन सब बातों पर विचार में समय लगा किन्तु अब जो समय लिया है उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे कि यह विधेयक हाऊस के सामने आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनाँक 21 अगस्त, 1978 और पुनः 7 दिसम्बर, 1978 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्ष 1979 के आय-व्ययक सत्र के अन्तिम दिन तक है;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1979 के मानसून सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बदायूं के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र के कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी श्री जुगल किशोर की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से आया है जो बदायूं जिले में गुन्नौर क्षेत्र के विधान सभा उप चुनाव के प्रत्याशी, श्री जुगुल किशोर, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है।

चूंकि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के कारण हुयी गिरफ्तारी के ऊपर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और इसमें आक्षेप भी है, इसलिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, उप चुनाव जो चल रहा है, उसकी 3 जून को पोलिंग है। आरोप हत्या के के सम्बन्ध में है और स्वयं पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी बदायूं गये। जो केस 9 महीने से चल रहा है, उसमें 9 महीने बाद इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाना ठीक नहीं। मान्यवर, मैं खुद चुनाव दौरे पर गया था। वहाँ पर आतंक व्याप्त है और इसके लिये चेष्टा भी की जा रही है। तो उम्मीदवार को बीच में गिरफ्तार करना वह भी हत्या के आरोप में, यह सिर्फ इलक्टोरेट को और कार्यकर्त्ताओं को आतंकित करना है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी इस सम्बन्ध में लिखा था, लेकिन उसका कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ और इस प्रकार से कि जब सबसे उच्चतर पुलिस अधिकारी जायं और उम्मीदवार गिरफ्तार हो, यह हमारे कांग्रेस (आई) के आन्दोलन को प्रभावित करना इलेक्टोरेट को प्रभावित करना है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को रोकना और बाधा डालना है। मान्यवर, जब ऐसा गम्भीर काम हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और खेद प्रकाश करें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में इसको अस्वीकार किया है और अगर मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने आक्षेप किया है। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि बदायूं में श्री शिवराज सिंह जी की हत्या हुयी। उनके भाई की हत्या अभी नामांकन से कुछ समय पहले हुयी और इस प्रकार की चार हत्याएं हो चुकी हैं। यह भी विचारणीय है कि यह जो वर्तमान श्री शिवराज सिंह के भाई की मृत्यु हुयी, इसके पहले इनफार्मेशन रिपोर्ट में स्वयं श्री जुगुल किशोर का नाम है। लेकिन पुलिस ने, चूंकि श्री जुगुल किशोर जी विधायक रह चुके हैं, केवल नामजद रिपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक माननीय सदस्यों की जानकारी है जब कोई कत्ल होता है, अगर फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में किसी का नाम हो तो बिना जांच किये हुये 90-99 फीसदी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वहां पुलिस ने इतनी सावधानी बरती और इतना ओवर-कान्सस रही कि श्री जुगुल किशोर का ख्याल किया। विरोधी पक्ष का होने के कारण पुलिस इतना सशंकित थी और इतना डरती थी कि कहीं विरोधी पक्ष के लोगों की दूसरे किस्म की भावना न हो जाय, इसलिये 6 महीने तक जांच करने के बाद जब निष्कर्ष पर पहुंची तो जाप्ता फौजदारी दफा 120 के अन्दर गिरफ्तार किया। तो, अब, श्रीमन्, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो चुनाव के मध्य में क्यों गिरिफ्तार किया ?

श्री बनारसी दास—

यह कोई सरकारी आदेश नहीं है। उसमें बाकायदा जांच हुयी। तो वहां पुलिस ...

विवेचना .... (व्यवधान) .....आम चुनाव करने का मतलब यह नहीं है कि एम0 एल0 ए0 बन जाने के बाद कत्ल करने का या किसी .... (व्यवधान)... आप आक्षेप कर रहे हैं। यह तो कोर्ट निर्णय करेगी आपका अधिकार नहीं है सेशन जज फैसला करता है, हाई कोर्ट फैसला करती है। पुलिस के जितने भी प्रोसीक्यूशन है उनमें कोई 100 फीसदी कनविक्शन तो होता नहीं। आप स्वयं ही सेशन जज बन गये और स्वयं आपने हाई कोर्ट की पावर अपने हाथ में ले ली है। श्री जुगल किशोर एक अभियुक्त हैं और मर्डर का चार्ज उनके खिलाफ है क्योंकि एम0 एल0 ए0 बन गये हैं इसकी वजह से उनको कानून से बिल्कुल छूट नहीं मिल सकती।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ....

श्री उपाध्यक्ष—

अब मांगों पर मतदान शुरू होगा। माननीय मुख्य मंत्री ..... (व्यवधान) ..... मांगों के ऊपर आपका अनुदान है। आप पेश करें.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जुगुल किशोर..... (व्यवधान) ..... सात महीने.....

श्री बनारसी दास—

यह जो विषय है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

निष्पक्ष चुनाव रोके जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्त्ताओं को क्यों रोका जा रहा है .....

श्री बनारसी दास—

माननीय तिवारी जी मुझे श्री जुगुल किशोर और अन्य लोग जो मर्डर के अभियुक्त हैं इनके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना दें। मैं कहता हूं वहां पर आपके कार्यकर्त्ताओं को कोई भी आतंक नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि श्रीमती शांति देवी, एम0 पी0 का फोन वहां से आया कि जुगुल किशोर और आपकी पार्टी के लोग वहां के कार्यकर्त्ताओं पर तरह-तरह के आतंक पैदा कर रहे हैं यह आरोप लगाया गया है। इस तरह निष्पक्ष चुनाव होते कैसे.....

श्री ब्रज बल्लभ (जिला बदायू)—

ऐसी कोई चीज हमारे वर्कर्स की तरफ से नहीं है। बिल्कुल झूठा चार्ज है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पांच मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रायोग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग –पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—मन्त्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,84,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,83,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष मे 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,59,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,49,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,04,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथ श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये 23,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री बनारसी दास]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्षमें अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,00,00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, सामान्य प्रशासन, पुलिस विभाग, सूचना विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, नियोजन विभाग इन सबके 15 अनुदान मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किये। इस सम्बन्ध में मैं विशेषतया सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि सामान्य प्रशासन बिभाग ने कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं जिनसे प्रशासन में लगे हुये कर्मचारियों की सेवाओं में सरलीकरण, सुदृढ़ीकरण और एक नियमितता आयेगी। जो टाइपिस्ट (टंकक) लोग अब तक दैनिक मजदूरी पा थे उसको समाप्त करके नियमित किया जा रहा है और जो तदर्थ नियुक्तियाँ थीं उनको भी समाप्त करके नियमित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक सेवा करते हुए हो गये थे उनकी सेवाओं का नियमितीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से विभागों में जहाँ पर नियमावली नहीं थी उनकी नियमावली भी बनायी गई है। एक हमने मैथेड विभाग खोला है जिसके जरिये अन्य विभागों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी और बराबर इस बात का प्रयास किया जायगा कि लालफीताशाही जो भारी हो गयी है उसको भी समाप्त किया जाय।

श्रीमन्, सतर्कता विभाग में हमने इस बात का निश्चय किया है कि इस विभाग के अन्दर अपनी विवेचना करने का कैडर बिलकुल पृथक हो जिसमें न केवल पुलिस कर्मचारी हों बल्कि जहाँ उसका सम्बन्ध अन्य प्राविधिक विभागों जैसे इंजीनियरिंग और अन्य विभागों से हों वे भी उसके अन्दर लिये जायं ताकि सतर्कता विभाग का कार्य सुचारु रूप से चल सके और उसमें आसानी की जा सके। लोक आयुक्त के पास इस वक्त स्वतंत्र रूप से जाँच करने के लिये कोई मशीनरी नहीं थी तो उसके लिये भी हम इस बात का प्राविधान कर रहे हैं कि लोक आयुक्त के जो प्रश्न उनके सामने विचाराधीन है उनको हल करने में उन्हें मदद मिले।

पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन विषम परिस्थितियों के अन्दर पुलिस कार्य कर रही है उसमें मैं उनकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता हूं। एक सबसे बड़ा कानून जो वर्तमान प्रशासन के सामने रहा है, आज से दो साल पहले हमारे प्रदेश और देश के अन्दर जो काली घटायें छायी हुई थी और प्रदेश जिस प्रकार से असाधारण हो गया था, जितने विधि, नियम, आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 थे वे सब समाप्त हो गये —वह था एक असाधारण कानून मीसा। जिसके जरिये बहुत से अधिकारी निरंकुश हो गये, जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके जो शाँत प्रिय व्यक्ति थे उनका उत्पीड़न किया, उनके अधिकारों का हनन किया—उस को हम विधि के अनुसार समाप्त करेंगे। वे व्यक्ति जिनको असाधारण कानूनों का प्रयोग करने का चस्का लग गया था और साथ ही साथ उन दो सालों के अर्से में बिना विवेचना के मुकदमे चलाये गये और प्रदेश के अन्दर कारबन कापी उपस्थित की गई जिस पर दस्तखत करने बाकी थे और जिस पर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जेल भेजा गया। उसका मैं भुक्तभोगी हूं। मुझ पर मुकद्दमा चला कि मैं पुलिस की मार काट की योजना बना रहा

था, मैं प्रधान मंत्री की हत्या करने को प्रोत्साहित कर रहा था और तार काटने के लिए कह रहा था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

कब चलाया गया। इमरजेंसी में कौन मुख्य मंत्री था ?

श्री बनारसी दास—

आप जब मंत्री थे, तिवारी जी। मुख्य मंत्री कोई हो लेकिन तिवारी जी आप मंत्रि-परिषद् में थे। तो श्रीमन्, श्री राममूर्ति जी मेरे साथ जेल में थे। (व्यवधान) मैं आपके ज्ञान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथ हिम्मत सिंह बरेली जेल में थे। तो इस प्रकार का अभियोग लगाया गया। मुझे इस बात का कोई भय नहीं कि मुझ पर मुकदमा चल रहा है। बहतर होता मुझे मीसा में गिरफ्तार किया जाता लेकिन मुझको शिकायत यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस प्रदेश के जनजीवन से सम्बद्ध रहा हो और सरकार में मंत्री भी रहा हो अगर उसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा चलाया जा सकता है तो फिर आगे चल कर इस पुलिस का क्या हाल होगा। मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार का पुलिस प्रशासन नारायण दत्त जी ने हमको विरासत में दिया। हमारे सामने कठिनाई थी जो लोग असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने के आदी हो गये हैं जो विवेचना के आदी नहीं रहे, जो किसी मुकदमे को अदालतों में भेजने के आदी नहीं रहे, जिनको साक्षी कानून के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रही, ऐसा प्रशासन हमको विरासत में मिला। तो हमारा पहला संकल्प था कि हम यहाँ पर विधि का कानून लायेंगे, डिमोक्रेसी को फिर से पटरी पर लायेंगे जो कि पटरी से उतर गई थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखनी की स्वतंत्रता और गरिमा को अक्षुण बनायेंगे।

श्रीमन्, यह अत्यन्त गुरुतर कार्य है, मुझे श्री देवबहादुर सिंह जी को कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक तंत्र को कायम रखने के लिये दलों की आवश्यकता है, सजग जनमत की आवश्यकता है, सजग प्रेस की आवश्यकता है। तो जब तक वह अवस्था नहीं आती जिसकी मार्क्स ने राज्यों का विलीनीकरण और गाँधी जी ने जिसे रामराज्य कहा था तब तक जन प्रयोग की आवश्यकता होगी। श्रीमन्, तिवारी जी बड़े पंडित है, मैं उनके समान अपने को पंडित नहीं समझता हूं। जब वह अपने मंत्रिकाल में पुलिस विभाग को समाप्त नहीं कर पाये और पुलिस बजट उनको पेश करना पड़ा तो मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए तो यह अत्यन्त कठिन है कि मैं नैतिक बल के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर एक संकल्प मात्र से लोगों की हिंसा की प्रवृत्ति को अहिंसा में परिवर्तित कर दूं और उनको शाँत नागरिक बना दूं। तो श्रीमन्, एक बड़ा दुखद कर्त्तव्य हो जाता है शाँति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए कि पुलिस का प्रयोग किया जाय। अगर देव बहादुर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं तो यदि वह यहाँ पर बैठे होते तो वह भी यही कहते....

श्री देव बहादुर सिंह (नैनीताल)—
आप भी वही दोहराना चाहते हैं।

श्री बनारसी दास—
श्री देव बहादुर जी इतना जरूर समझते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा पुलिस की निष्ठा, पुलिस की अनुशासन प्रियता के साथ टेम्परिंग का प्रयास न किया जाए। आलोचना का अर्थ किसी बात को ट्रेनिंग करके उसको सुन्दर बनाना है। तो आलोचना का मतलब विध्वंश कतई नहीं हो सकता है। आलोचना सृजनात्मक होनी चाहिए। माननीय नेता विरोधी दल स्वयं एक तरह के शासन के, प्रशासन के अंग होते हैं और इसीलिए इंग्लैण्ड में उन्हें हर मैजस्टी अपोजीशन कहते हैं। उनका प्रोटोकाल सब मंत्रियों के समान है। अतः यह उनका कर्त्तव्य नहीं है कि वह उस कुर्सी पर बैठकर पुलिस को लेकर शासन की इस प्रकार की आलोचना करें, जिससे पुलिस का मनोबल गिरे.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—
ऐसा कब किया है ?

श्री बनारसी दास—
मैं अपील करता हूं कि न करें। मैं पहले से ही कह रहा हूं.....(व्यवधान)... आज कुछ तत्व इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के अनुशासन पर, उसकी प्रतिनिष्ठा पर दबाव पड़े, वह कमजोर बने। कल जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी के दल के लोगों ने देहरादून में इस प्रकार के नारे लगाए कि पंजाब पुलिस जिन्दाबाद, मध्य प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद और यू0पी0 पुलिस की भर्त्सना की। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के प्रोवोकेशन पुलिस की सत्यनिष्ठा पर, डिसिपलिन पर प्रहार नहीं है तो क्या है ? सन् 1973 में अपने प्रदेश में पी0ए0सी0 के अन्दर विद्रोह हुआ था, जब कमलापति त्रिपाठी, जो आज विरोध पक्ष के राज्य सभा में नेता है, यहाँ पर मुख्य मंत्री थे। उस वक्त वह निर्णय पंडित जी का था, बाद में जितने उत्तराधिकारी मंत्री आए, उन्होंने और आज भी कुछ लोगों ने प्रयास किया, जो विद्रोह था, उसको शहीद दिवस के नाम से मनाने का और जो राजनैतिक दलों के लोग थे, उन्होंने उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की।

श्री देव बहादुर सिंह—
आपकी पार्टी के थे ?

श्री बनारसी दास—
मैंने तो यही कहा कि राजनैतिक दलो के लोग थे। मेरी पार्टी में भी कुछ लोग हो सकते हैं, जिन पर पुरानी सोहबत का असर हो सकता है। ऐसी बातें कभी-कभी भूल से हो जाती हैं। आपको स्मरण होगा, सन् 1967 में जब संविद आई, तो मैंने देखा, मैं यहाँ बठा था, उन्होंने मुझे सम्बोधित किया—माननीय मंत्री जी। तो उनकी आदत थी, क्योंकि विरोधी पक्ष में रहे थे इस प्रकार हममें से भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं। आज भी मौजूदा परिस्थिति में पुलिस ने जो कार्य किये हैं, वह सराहनीय है। एक साल के अन्दर 1956 डकैतों से मुठभेड़ हुई जिनमें 369 डकैत मारे गये और 7,616 डकैत पकड़ें गये तथा 4,077 फायर आर्म्स पकड़े गये। जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक 734 डकैतों से मुठभेड़ हुई, 166 डकैत मारे गये और 2,731 गिरफ्तार किये गये हैं तथा 795 फायर आर्म्स पकड़े गय हैं। प्रिवेन्टिव ऐक्शन–109 में 9,686 आदमी गिरफ्तार किये गये और 110 में 1,350 पकड़े गये। इसके अलावा अन्य प्रिवेन्टिव कानूनों के अन्तर्गत प्रदेश में करीब 3 लाख 33 हजार व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1 जनवरी से लेकर अब तक 109 में 2,892 आदमी गिरफ्तार किये गये। जो हथियार पकड़े गये, वह भी काफी तादाद में हैं। देशी बन्दूक 1,796, अंग्रेजी बन्दूक 882, देशी पिस्तौल 12, 203, अंग्रेजी पिस्तौल 180, देशी रिवाल्वर्स 224, अंग्रेजी

संख्या 3—मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग —ऋण और अग्रिम

रिवाल्वर्स 74 बरामद कर पकड़ी गई है। तो श्रीमन्, पुलिस ने जिन परिस्थितियों में वस्तुओं का सामना किया है कभी-कभी दंगे भी हुए हैं। पुलिस ने अपने को खतरे में डाल कर वहाँ पर शान्ति बनाने की कोशिश की है।

यह भी मै कहना चाहता हूं कि पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है वह अन्य कर्मचारियों के समान नहीं हैं। अन्य नौकरों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, साधारण पुलिस का कांस्टेबुल, सब इन्सपेक्टर और अन्य अधिकारी, 89 छुट्टियों से वंचित रहते हैं, जो अन्य कर्मचारियों को प्राप्त है। इसलिये पहले हमने यह किया था कि जो अन्य कर्मचारियों का 14 दिन आकस्मिक छुट्टी मिलती है, इसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया जाय। फिर हमने अपने बजट में इस बात का प्राविधान किया कि 12 दिन का उनको अतिरिक्त वेतन दिया जाय। लेकिन सब परिस्थितियों के ऊपर विचार करने के बाद हमने यह निर्णय किया कि केवल 89 दिन उनको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, तो एक महीने का अतिरिक्त वेतन सभी पुलिस कांस्टेबिल्स को दिया जाय और उनकी जो आकस्मिक छुट्टी थी वह 14 दिन की हो। इसके अतिरिक्त हमने यह भी निश्चय किया कि जिनको यूनिफार्म मिलती है, आई0 पी0 एस0 वगैरह को कोई भत्ता था, पी0 ए0 सी0 के लोगों की मुफ्त वर्दी धुलाने की व्यवस्था थी। लेकिन साबुन आदि का खर्चा जो करीब 4–5 रुपये महीने था हमने निर्णय किया कि कांस्टेबुल, हेड कांस्टेबिल, सब को दस रुपये धुलाई का भत्ता दिया जायगा और जो पी0 ए0 सी0 के कर्मचारियों के लिए, जिनके लिए धुलाई की व्यवस्था है, उनको जो अपने पास से पाँच रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती थी वह सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त हमने यह निर्णय किया है कि अब तक सामुदायिक बीमा में, अवसर पड़ने पर किसी भी कांस्टेबिल को 12 हजार मिलता था और सब इन्सपेक्टर को 12 हजार था। हमने निर्णय लिया कि सामुदायिक इन्श्योरेंस की रकम 23 हजार से कम न हो। फिर डीवाई0 एस0 पी0 को 30 हजार ही। इस सम्बन्ध में हमने यह भी निश्चय किया कि जनरल इंश्योरेंस कम्पनी जो ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, उनसे न करके, भारत सरकार की अनुमति लेकर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम खुद अपना निगम बनाएं जिसमें उनका जो पैसा कटे आखिर में उनको वह पैसा मिल सके और सरकार के संसाधन भी बढ़े। यह निर्णय हम पहले कर चुके हैं कि जो लोग कर्त्तव्य पालन में, मैदान में मारे जायेंगे उनके भाई या लड़के को प्रतियोगिता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर उनको सेवा के अंदर ले लिया जायगा। इसके अतिरिक्त हमने यह निर्णय किया कि पुलिस वालों को इस वक्त आवासों की जो सुविधा है, वह करीब-करीब बहुत जगह 8–10 फीसदी है।

हमारे पास पैसा है लेकिन भवन बनने में शिथिलता रही है। हमारे आई0 जी0 पुलिस ने सुझाव दिया कि एक अलग निगम उनके लिए मकान बनाने के लिए बना दिया जाय। उसमें कुछ कठिनाइयाँ थीं। तो हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए एक अलग से अधिकारी कायम कर रहे हैं जो भवनों को

[श्री बनारसी दास]

बनाएं। जितनी धनराशि हमने भवन बनाने के लिये दी है, इसके बारे में हमने यह निश्चय किया है कि हम 20 करोड़, 10 करोड़ चौथे वर्ग के कर्मचारियों के लिए तथा 10 करोड़ रुपया पुलिस के आवास बनाने के लिए अलग से एक निधि बनायेंगे और निधि कर्जे के तौर पर विद्युत् विभाग को दे दी जायगी और इस पर विद्युत् विभाग से हमको दो करोड़ रुपया सालाना ब्याज मिलेगा। एक करोड़ रुपये सालाना से बराबर पुलिस कर्मचारियों के मकान बनायेंगे। एक करोड़ रुपये से चौथे क्लास के कर्मचारियों के मकान बनायेंगे तो इस तरीके से मकान बनाने की सुविधायें होंगी। आप जानते हैं कि वेतन आयोग स्थापित करने की घोषणा मेरे सहयोगी, वित्त मंत्री ने, अपने बजट भाषण में की है। वह पुलिस वालों के वेतन-क्रमों का भी पुनरीक्षण करेगा लेकिन जो पुलिस की अन्य कठिनाइयां हैं, जिनके लिए हम पहले से निर्णय कर चुके थे पुलिस महानिरीक्षक और उनके महानिरीक्षकों ने काफी समय से अनुरोध किया था कि जो पुलिस वालों की समस्याओं को समझने में कभी-कभी देरी होती है इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी जाय। उसके लिए हमने फैसला कर लिया है। अब ये प्रश्न उसमें तय हो जाया करेंगे। उस समिति में गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और वित्त सचिव होंगे ताकि वे इनके निर्णय शीघ्र कर सकें। इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम जानते हैं कि जल्द निर्णय होंगे।

अभी हाल में गाजियाबाद जो एक नया जिला बना है, पी0 ए0 सी0 और पुलिस की बैरेक्स को बनाने का प्रश्न था। उसके लिये भी हमने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, वह वहाँ जाकर देखकर निर्णय करेगी ताकि और जो वहाँ पर अन्य काम हैं जैसे जेल बनना, कलक्टोरेट का बनना या और ऐसे ही अन्य कार्य हैं, उनको आसानी से और शीघ्र आरम्भ किया जा सके। हमारी पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, जिन परिस्थितियों में काम किया है उसके लिए मैं महानिरीक्षक और उनके अधीन जितने भी सेवक और हैं, उन सब को मुबारकवाद देता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व मैं आजमगढ़ गया था। जिस बहादुरी के साथ कई दस्युओं को मारकर वहाँ पर उनका आतंक समाप्त किया, वह सराहनीय है। इसी प्रकार से गाजियाबाद में कई डाकुओं को जिन्होंने एक-एक डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की डकैती की थी बड़ी सतर्कता से उन्हें मारा ही नहीं बल्कि जो माल डकैत ले गये थे उसको बरामद भी किया और जिनके घरों पर डकैती पड़ी थी उन्होंने भी 500 रुपये का इनाम उनको दिया। तो पुलिस ने बड़ी सतर्कता से, कर्त्तव्य-निष्ठा से और उत्सर्ग भावना से काम किया है। पुलिस के विभाग और मिलिटरी में उनकी यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। यह उनका सोचना कुछ हद तक सही है कि जो विभाग के लोग यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, सरकार को मजबूर कर देते हैं, लेकिन जिनकी ड्यूटी 24 घंटे और विषम परिस्थितियों के अन्दर हो उनको पीछे रखा जाता है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आवश्यकताओं के प्रति हमेशा सचेष्ट रहें। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र वर्तमान परिस्थितियों में और भाषण की स्वतंत्रता इस सदन में उसी वक्त तक सुरक्षित है जब तक कि पुलिस के पहरे से और मिलिटरी से सुरक्षित हैं। जैसे ईरान के अन्दर हुआ या अन्य जगहों पर हुआ। अगर पुलिस और फौज में अनुशासन नहीं है तो न भाषण की स्वतंत्रता और न लोकतंत्र ही चल सकता है। उसका विकल्प क्या होगा, वह अत्यन्त ही भयानक है। इसलिये यह हमारा कर्त्तव्य है कि जितनी कमियाँ हैं, उनको बतलायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमने अनुशासन भंग करने के लिए कोई दंड नहीं दिया। एक आई0 ए0 एस0 को सस्पैन्ड किया, 3 डीवाई0 एस0 पी0 को एडवर्स इन्ट्रीज दी और वेतन वृद्धि रोकी और डिस्सीप्लिनरी ऐक्शन लिया। आई0पी0 एस0 के चार के खिलाफ और पी0सी0एस0 सात के खिलाफ ऐक्शन लिया। नौन-गजेटेड कर्मचारियों के खिलाफ भी ऐक्शन लिया, उनको डिस्चार्ज, निलम्बन किया और अन्य प्रकार के दंण्ड भी दिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर इनकी

संख्या 3—मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस); अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

संख्या 7,214 हो जाती है । हम चाहते हैं कि पुलिस में अनुशासन आये, पुलिस में जो बुराइयाँ हैं वह दूर हों, पुलिस सही माने में जनता की पथ-प्रदर्शक बने, सलाहकार और रक्षक बने, मित्र और मददगार बने और हमारा साथ ही यह भी प्रयास है कि पुलिस में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पुलिस की महान परम्पराओं को कलंकित करते हैं उनको दंडित किया जाये।

मान्यवर, अभी आई० जी० (पी०) और पुलिस कमीशन के अध्यक्ष श्री धर्मवीर और उनके साथी यहाँ आये थे। उनकी एक शिकायत यह थी कि पुलिस के प्रशासन में विशषकर सब इन्सपेक्टर लेविल पर राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता चला जाता है। मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूं कि जो शिकायतें आती हैं उनकी जाँच न की जाये, लेकिन मैं यह अत्यन्त विनम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम लोग, राजनैतिक लोग, पुलिस और फौज में राजनैतिक दखल देंगे तो यह उचित न होगा। बहुत से मामलों में हमें आई० जी० (पी०) की सलाह से काम करना होता है। जैसे लड़ाई कब हो यह निर्णय करना राजनैतिक हो सकता है, लेकिन हमें जो हमारे सैनिक विशेषज्ञ हैं, उनकी भी राय लेनी होगी। अन्यथा उसके परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में यद्यपि वेतन वृद्धि हो गयी है, लेकिन उनकी मुख्यत: शिकायतें यह हैं कि उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं है, उनके कार्य में राजनैतिक हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर होता है। जहाँ हम यह चाहते हैं कि यह चीज कम हो, वहाँ पर हम अपने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे जनता और उनके प्रतिनिधियों के साथ विनम्रता और शिष्टता का व्यवहार करें, जनता का उत्पीड़न न करें और भारतीय संविधान में जो उनको प्रदत्त शक्तियाँ मिली हैं, जो लम्बी-लम्बी भुजायें मिली हैं, उनको वे एक धरोहर समझें। वे एक पवित्र धरोहर समझ कर इस्तेमाल करें।

इस प्रकार की भी शिकायतें मिलीं कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी जन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते। इसके लिये शासकीय प्रपत्र भी जारी कर दिये गये हैं कि अधिकारीगण जब भी उनके पास कोई विधायक या संसद सदस्य जायें तो उनका यह कर्त्तव्य है कि वे खड़े हो कर स्वागत करें। यह उनका स्वागत नहीं है, यह एक संस्था का और एक जनतंत्र का आदर है। विनम्रता एक आभूषण है और उद्दंडता कोई बहादुरी नहीं है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। मैं अपने प्रदेश के सभी प्रशासकों एवं अधिकारियों से यह आशा करूंगा कि वे विनम्रता का ही सहारा लेंगे। साथ ही वे दृढ़ता से भी काम लें।

हमने विधि के राज्य के निर्माण करने का संकल्प किया है। मंत्रिपरिषद् जो भी निर्णय करे उसे अपनी अन्तरात्मा के साथ और निर्भीकता के साथ पालन करना चाहिये। अपनी राय उनको निष्पक्ष होकर और निर्भीकता के साथ देना चाहिये, ऐसा नहीं करना चाहिये जैसा कि इमरजेन्सी के समय हुआ, जो ऊपर के लोगों ने चाहा वैसी ही अपनी नोटिंग कर दी। उसके बाद बिला किसी अहंकार के जो भी निर्णय हों, उसका पूर्ण सच्चाई के साथ पालन करें। इसी प्रकार विधान मंडल ने जो अधिनियम बनाये हैं, उनका परिपालन

[श्री बनारसी दास]

अधिकारी लोग चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, उनके दबाव में आकर नहीं, बल्कि उस नियम के अनुसार जैसा उनका विवेक कहता है, उनको उसके मुताबिक निर्णय करना चाहिये। हमको लोक तंत्र की समस्त परम्परायें इस देश के अन्दर कायम करनी हैं। श्रीमन्, हमको कहाँ तक इसमें कामयाबी मिली, शासन में कहाँ तक त्रुटि रही, मैं उन त्रुटियों से वाकिफ हूं और मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूंगा, जो कमियाँ है, उनको आप लोग बतावें, उनको हम दूर करेंगे और जो आपके सुझाव हो, वह ।

श्रीमन्, प्रायः करके मैं देखता हूं लोगों को ऐसा कहते हुए कि शासन अक्षम हो गया है, बिलकुल अराजकता है, लेकिन जो उपलब्धियाँ हैं, क्या वह शासन की क्षमता और शासन की जागरूकता की द्योतक नहीं है ? बजट को बड़े विस्तार के साथ मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, उनकी चर्चा की है और मैं जानता हूं एक चतुर वकील की तरह से माननीय तिवारी जी ने भी जो अर्थ हम नहीं समझते हैं, वह अर्थ लगाने का प्रयास किया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जनरल एंडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में क्या उपलब्धियाँ हैं ?

श्री बनारसी दास—

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन जब ठीक रहता है, तभी कृषि पनपती है, तभी समृद्धि होती है। आप देखिये 76–77 तक खाद्यान्न 198.85 लाख था अब 218 हुआ। गेहूं 79 लाख था अब 105 हुआ।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो एग्रिकल्चर का बजट है।

श्री बनारसी दास—

इस वक्त 3 बजे हैं, बेहतर होगा रियासत साहब लाल टोपी उठा कर सुनें, तब समझ में आ जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आप समझे थे।

श्री बनारसी दास—

अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो नहरें कैसे बनेंगी, सिंचाई के साधन कैसे बनेंगे। आप देखें कि जो उर्वरक तिवारी जी के काल में 7 लाख 99 हजार तक था, वह 10 लाख 58 हजार हो गया। इसी तरह से आप देखें सड़कें श्रीमन् जब नारायण दत्त जी रहे थे, 40 हजार 503 किलो मीटर थीं और अब 2 लाख, 47 हजार, 752 हैं। जिन गाँवों में पानी की व्यवस्था है, वह पहले 4 हजार 103 थे, अब 6 हजार, 533 हैं। इसी तरह की लघु उद्योग की इकाइयाँ केवल 2 साल में 7 हजार बढ़ी। मैं कहता हूं राजा साहब आप क्यों परेशान हो रहें हैं हम और यादव साहब एक हैं। यह हमारा पारिवारिक मामला है। प्रशासन कहाँ तक प्रगतिशील रहा, प्रशासन कहाँ तक आगे रहा, यह इसी का सबूत है। अब जैसे ईरान से भारत में पैट्रोल आना बन्द हो गया, वहाँ पर प्रशासन नहीं तो उद्योग वहाँ पर बन्द हो गया। तो श्रीमन्, जब प्रशासन कुशल होगा, जब प्रशासन मजबूत होगा, सबके लिए होगा, तभी किसानों का हल चलेगा, तभी कारखाना चलेगा। श्री देव बहादुर सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमसे आशा करते हैं, सीमेन्ट का उत्पादन पहले से अधिक बढ़ा है लेकिन उसका कारण है, . . .(व्यवधान) मिलेगा, मैं तो कहता हूं कि सार्वजनिक कार्यों के लिये मिलना चाहिए। हमारी कठिनाइयों, मैं आपको तो नहीं कह सकता, जैसा गोखले आदि थे, शान्तिप्रिय अपोजीशन

के लोग थे। मेरे मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी जी और इन लोगों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, तो श्रीमन्, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसा कुछ लोगों का सुझाव है, नियोजन के संबंध में, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसमें अधिक समय लगेगा। पंचवर्षीय योजना जो पहले 5 वर्ष की थी उसके अन्तिम वर्ष का जितना व्यय था उससे भी अधिक 892 करोड़ का व्यय यह 1979–80 के अन्तर्गत होगा। क्योंकि तिवारी जी, मैं उस वक्त विरोध नहीं कर पाया, यह समझते होंगे, पंचवर्षीय योजना एक पाँच मंजिला मकान है, पहले नीचे और फिर 5 वीं मंजिल। मेरा कहना यह है कि मैंने पहले साल के अन्दर ही जो व्यय रखा वह हमारा कमिटेड एक्सपेन्डीचर है। आखिरी साल का व्यय कमिटेड होगा। 82 करोड़ का प्लान 892 का हो गया। इसलिये मैं इसके अन्दर नहीं जाऊंगा। वह, समय मिलेगा, तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

श्रीमन्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18 सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग तथा अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38 व 45 के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजन विभाग का अनुदान संख्या 54, की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85 (ख)–गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाये।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 100 व 112 के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। इन सब अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दे सकूं, प्रथम बार सामान्य प्रशासन का, गृह विभाग का और जो माननीय मुख्य मंत्री के पद के साथ-साथ जो महत्वपूर्ण पद आते हैं, उनका प्रथम बार उन्हें बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है तो उन्हें औपचारिक बधाई तो देता हूं लेकिन जो मान्य संगत बधाई देना चाहता हूं उनके भाषा ने मुझ असमर्थ बना दिया है कि मैं उन्हें बधाई दे पाऊं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके मंत्रि परिषद् के सदस्य ही बधाई नहीं दे रहे हैं। श्रीमन्, आप गिन लीजिये कि यहां पर कितने मंत्री उपस्थित हैं—मुख्य मंत्री का भाषण जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर रहा, गृह विभाग पर रहा कि-दो-तीन-चार, मान्यवर 27 मंत्री हैं जिनमें केवल 5 मंत्री मुख्य मंत्री के भाषण पर उपस्थित रहे। श्रीमन्, मैं गिनता रहा। एक समय केवल तीन ही थे। श्रीमन्, पहले यह कभी नहीं हुआ। कितना प्रेरणा दायक मुख्य मंत्रीजी नेतृत्व करते हैं। सामान्य प्रशासन कितना महत्वपूर्ण विषय होता है। मैं तो श्रीमन्, उनका आदर करते हुये चुनाव अभियान छोड़ कर यहां उपस्थित हुआ। लेकिन मंत्रि परिषद् के सदस्य.....

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात पूछना चाहता हूं। आपको टोक नहीं रहा हूं क्या यह जितने कटौती के प्रस्ताव हैं सब आपने पेश कर दिये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

करीब-करीब सब पेश कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, करीब-करीब नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सब पेश कर दिये, श्रीमन्।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री अपने मंत्रि-परिषद् को अनुशासित कर रहे हैं। वे स्वयं मानेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग को बार बार नहीं पेश करते। वर्ष में एक बार आता है। कृषि मंत्री कहां हैं? खाद्य मंत्री कहां हैं? सभी मंत्री गायब हैं। श्रीमन्, क्यों न गायब हों। क्योंकि मंत्री घटकों के अनुसार हैं। आज मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री जरूर हैं, अलग-अलग घटकों के मान्य नेता नहीं हैं। नेता स्वीकार नहीं किये गये हैं, वे केवल मुख्य मंत्री स्वीकार किये गये हैं।

उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

यह बात गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसका उत्तर आप बाद में दे लीजियेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह बैठ जायं, तब आप बोलें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कोई स्पष्टीकरण नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल नें जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह पेश भी किया है या नहीं? जो सारे मदों पर कटौती के प्रस्ताव है उनमें से कुछ ही पेश किये हैं। यह सारे मदों पर कटौती चाहते हैं या कुछ पर? सभी पर बोलेंगे या सिर्फ 2–3 पर?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने देख लिया है। सब पेश किये हैं।

श्री नाराणदत्त तिवारी—

माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बहुत सही बात कही, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि श्री बनारसी दास जी को उन्होंने नेता स्वीकार कर लिया।

श्री नारायण सिंह—

जी हां, स्वीकार कर लिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अपने पुराने साथी श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, पेट्रोलियम मंत्री का स्टेटमेन्ट जो उन्होंने इलेस्ट्रेटेड वीकली 20 से 26 मई को दिया था, पढ़ना चाहता हूं—

He said " The present situation cannot last long. "

आज की स्थिति अधिक दिन नहीं चल सकती।

The inexorable compulsions of History always lead to the grouping and regrouping of individuals and forces.

ऐतिहासिक कठोर सत्य व्यक्तियों और शक्तियों को समन्वय स्थापित करने के लिये बाध्य करता है।

The Janata has failed to establish and identity of its own, is in search of it.

जनता पार्टी स्वयं में एकता स्थापित करने में असफल रही है वह उसकी तलाश में हैं।

We are on the high seas.

हम बड़े महासागर में हैं।

The Ship of Janta is sailing with the waves.

लहरों के साथ जनता का जहाज जा रहा है।

No body knows where it will go.

कोई नहीं जानता कि कहां जायगा।

मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। यह 20–26 मई के "इलस्ट्रेटेड वीकली" के "टरम्बायल इन इंडियन पोलीटिक्स" लेख से मैं पढ़ रहा हूं। इसी तरह से "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" से मैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पढ़ रहा हूं। हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता से श्री बनारसी दास ने कहा है कि यह जनता पार्टी की सरकार क्या है और क्या संकट है। बनारसी दास जी ने कहा है कि "वैचारिक मतभेदों के बावजूद सत्ता ने उसे जोड़ रखा है। सही बात है मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल जो इंटरव्यू छपा है, उसको पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विडम्बना की बात यह है कि मंत्रि परिषद् के सदस्य उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में पब्लिकली माँग करते हैं। कहते हैं, ठीक है होना चाहिये। मंत्रिपरिषद् के सदस्य म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम सभाओं के चुनाव की घोषणा कर देते हैं। शोहरत सारे प्रदेश में हो गयी लेकिन बाद में स्थगित करना पड़ा। 5 बार म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव स्थगित हो चुके हैं। जो दोबारा प्रजातंत्र को लाये हैं, आपके रहते हुये प्रजातांत्रिक मर्यादाओं और मान्यताओं के रहते हुये केवल 5 बार चुनाव स्थानीय निकायों के स्थगित हुये हैं। बिना आपसे पूछे एलान हो गया कि चुनाव होंगे।

श्रीमन्, एक मंत्री ने घोषणा कर दिया कि 14 जून को यू0पी0 में चुनाव होंगे और जिलों में आदेश चला गया, मुख्य मंत्री जी मना कर देंगे अगर मैं गलत होऊं कि 14 जून के पहले ग्राम सभाओं के चुनाव हो जाने चाहिये। तो इस तरह से अलग-अलग मंत्री नीति के संबंध में अलग-अलग बयान दे रहे हैं, कोई तालमेल नहीं है। किसी प्रकार का तालमेल इस माने में भी नहीं है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के एबोलीशन की घोषणा कर दी गयी। यह कितने महत्व की बात है लेकिन क्या यह मामला कैबिनेट में आया ? यह मुख्य मंत्री जी नहीं कह रहे हैं। श्रीमन्, आज प्लानिंग के बारे में, मुख्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता था कि अभी तीन दिन पहले उन्होंने कहा कि सत्य को नहीं छिपाना चाहिये। अलीगढ़ के मामले में कहा कि सत्य को बताना चाहिये।

श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश की छठी योजना के बारे में जो देहली में प्रेस कांफ्रेंस में कहा, जो प्लानिंग कमीशन से कहा, जो प्रधान मंत्री से कहा, जो सार्वजनिक रूप से अखबारों में कहा वह क्या इस सदन में नहीं कह सकते थे ? आज उन्होंने छठी प्रायोजना को डिफेंड किया है। उनको कहना चाहिये था कि हम छठी योजना से संतुष्ट नहीं हैं। वह प्रेस कांफ्रेन्स में कह सकते थे, प्लानिंग कमीशन से कह सकते थे कि हम छठी योजना से सन्तुष्ट नहीं हैं। यहाँ भी कहना चाहिये था। क्या मैं मान लूं कि मुख्य मंत्री जी 2 आवाजों में बोल रहे हैं ? मुख्य मंत्री जी को कहना चाहिये था कि हम योजना कमीशन की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक माँग रहे हैं। 2800 करोड़ रुपये की पाँचवीं योजना हमारी थी। हर योजना में उत्तर प्रदेश की दुगुनी योजना होती रहती है। तो क्या कारण है कि आज प्लानिंग कमीशन जो 5600 करोड़ रुपये होता है, 2800 करोड़ का दुगुना, उसको नहीं मान रहा है। जबकि चौथी योजना में 1100 करोड़ था और पाँचवीं योजना में जो दुगुना 2200 करोड़ होता है उससे 600 करोड़ रुपये ज्यादा थे। इसलिये मुख्य मंत्री जी हम भी उन मान्यताओं में हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं लेकिन आपने उसका अवसर नहीं दिया। छठी योजना प्लानिंग कमीशन के अनुरूप नहीं है। आज आपको अवसर था कि योजना के लिये कहते कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है और हम उसके लिये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यह कृपा आपने नहीं किया, आपने शायद विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों की भावनाओं की जरूरत नहीं समझा।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन की बात का आपने उल्लेख किया। माननीय सदस्यों ने यहाँ पर भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को दी जा रही पहले की ही तरह सुविधाओं के संबंध में कहा कि जिसके संबंध में मैं इसके पहले अपनी राय देने से रह गया था लेकिन अब मैं राय देना चाहता हूं। हमको शिकायत नहीं कि राज्य मंत्री आप कितने बनायें, 66 आप बनाना चाहते हैं, आपको बनाने का अधिकार है। लेकिन जब तक आप राज्य मंत्री न बनायें

संख्या 3—मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

और उनको तथा कुछ लोगों को सुविधायें दें इस पर हमको एतराज है। हर चीज को उन्होंने कहा कि नियम में कहें, तो हम इसको माने लेते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने कोई पत्र लिखा है कि फलाँ-फलाँ लोगों को राज्य मंत्री की सुविधायें पहले की ही तरह प्रदान की जा रही हैं। यदि यह कहा है तो साधारण विधायक और दूसरे विधायक में फर्क हो गया। यह आफिस आफ प्राफिट बन जाता है जिसको इसमें जो कमेटी बनी है, उसमें जाना चाहिये। मुख्य मंत्री इस बात को मानते हैं कि सुविधायें दी जा रही हैं लेकिन सुविधा देना यह आफिस आफ प्राफिट है। इसलिये मैं कहूंगा कि राज्यपाल को, मुख्य मंत्री को आश्वस्त होना चाहिये कि क्या यह काम सही है, या जो पत्र भेजा है वह गलत है कि उनको सुविधायें नहीं दे रहे हैं—यह कहें। एक मकान की सुविधा देना अलग बात है किन्तु राज्य मंत्रियों को जो सुविधायें मिलती हैं वह भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को अब भी मिलती रहें तो यह आफिस आफ प्राफिट के अन्तर्गत आता है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह बात गलत हुई है, आपको यह कहना चाहिये था लेकिन मुख्य मंत्री ने नहीं कहा।

मान्यवर, इसी तरह लोक आयुक्त की चर्चा मुख्य मंत्री जी ने बड़ी शीघ्रता से किया। मैं पूछना चाहता हूं कि दो साल से अधिक बीत गये क्या कोई लोकायुक्त की रिपोर्ट इस सदन में पेश की गयी। लोकायुक्त ने जो जाँच किया उसमें क्या कोई कार्यवाही शासन की ओर से की गयी है। क्या वह सदन के समक्ष रिपोर्ट पेश की गयी, नहीं। जबकि अधिनियम का यह आदेश है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट इस सदन के सामने आनी चाहिये चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति नेता सदन और नेता विरोधी दल की राय से होती है। हमें मालूम नहीं कि लोकायुक्त ने क्या किया। उनकी रिपोर्ट पेश नहीं की गयी। शासन के पास आयी होगी। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि लोकायुक्त के पास कितनी शिकायतें आयीं। शासन को रिपोर्ट भेज दी गयी है लेकिन अभी तक हमारे सामने पेश नहीं की गयी। मान्यवर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि किसी की चरित्र हत्या करूं। हम चाहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये। आज राजनैतिक लोग चरित्र हत्या करते रहते हैं, एक दूसरे का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं और इसी कारण आज राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और लोग समझते हैं कि जितने लोग राजनीति में हैं या तो बेईमान हैं या बुरे लोग हैं। मैं, श्रीमन्, चरित्र हत्या के कम्पटीशन करने वालों में नहीं हूं और न चाहता हूं कि इस तरह से किसी की चरित्र हत्या की जाय। लेकिन अगर लोकायुक्त बनाया है, तो सभी कहते हैं कि लोकायुक्त के सामने मामले जायं। जिनके खिलाफ कोई बात हो, तो अवश्य कार्यवाही हो अन्यथा एक तरफ चरित्र हत्या होती रहेगी और दूसरी तरफ जो चन्द लोग हैं, तालाब को गंदा करते रहेंगे और उन पर कार्यवाही नहीं होगी। इसलिये अगर लोकायुक्त की मर्यादा और प्रभाव को रखना है तो जो कुछ शिकायत हैं, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है, मुख्य मंत्री को सदन के समक्ष बताना चाहिये और लोकायुक्त की रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये, जो कि नहीं आयी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, यहाँ प्लानिंग के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा। यह बड़े संतोष का विषय है। हमारे प्रदेश में आज प्लानिंग और फाइनेन्स में जो अधिकारी हैं, वे योग्यतम व्यक्ति हैं। विशेष रूप से मैं आनन्द स्वरूप का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि पिछले कई वर्षों से प्लानिंग के काम को देख रहे हैं। लेकिन क्या हमने प्लानिंग इन्स्टीट्यूट को मजबूत किया है? प्लानिंग इन्स्टीट्यूट ने जो बताया और उसकी जो मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किया? क्या उसकी मीटिंगें बुलायीं? क्या मानीटरिंग सही समय पर हुयी? नहीं हुयी। इसका प्रतीक यही है कि आज जो उसके मंत्री है, सदन में मौजूद नहीं है।

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

सब कुछ हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आपको बदल दिया। यह बड़े दुख की बात है।

श्री नारायण सिंह—

आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नारायण सिंह जी कृपा करें। मैं आपको टोकना नहीं चाहता। मान्यवर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कम ही कृपा रहे, तो ठीक होता है।

मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी प्लानिंग मशीनरी है, क्या इसका सही उपयोग कर रहे हैं? आज हमारे प्रदेश में, श्रीमन्, एक भी कम्प्यूटर नहीं आया है। आज इस युग में जबकि इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण कर रहे हैं, हमारे बिजली बोर्ड के पास एक भी कम्प्यूटर नहीं है। जो कम्प्यूटर्स के आर्डर्स भी दिये गये थे, उसकी कटौती कर दी गयी। किस युग में विचरण कर रहे हैं? आज भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच कोई तारतम्य नहीं है। जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है, समय से मूल्यांकन कर सकें, मूल्यांकन मशीनरी की क्या हालत है? क्या कभी विचार किया गया है? हमारे प्लानिंग इन्स्टीट्यूट में इवैलुयेशन अनुभाग है। इस अनुभाग की कितनी रिपोर्टर्स पर मन्त्रि परिषद् ने विचार किया? क्या मूल्यांकन हो रहा है, कुछ पता है? अगर शासन के पास बागडोर है, तो इन चीजों को देखना होगा। प्लानिंग मशीनरी को मजबूत करना होगा। याद रहे कि हमारे ऊपर इसका बोझ नहीं। 78/80 प्रतिशत इसमें प्लानिंग कमीशन देता है अगर प्लानिंग को मजबूत करते हैं। आज जिलों को मजबूत करने की जरूरत है। दो साल हुये यादव मन्त्रिमंडल ने घोषित किया कि जिलों का और डिवीजनल मशीनरी का सुदृढ़ीकरण होगा, माइक्रो प्लानिंग होगी। कहाँ है वह माइक्रो प्लानिंग? हम सोच रहे थे कि हमसे अच्छा करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है? जिलों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, कहाँ हैं वह सब? किसी साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है। अपनी योजना का कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने का काम कहाँ कर रहे हैं आप? उसमें क्या जन प्रतिनिधि बुलाये गये हैं? किसी भी दल के हम लोग हों, शायद ही कभी इस सदन के सम्मानित सदस्यों को जिला स्तर पर प्लानिंग के लिए बुलाया गया हो। अलग-अलग कमेटियों में अवश्य बुलाया गया है लेकिन टोटल प्लानिंग, जिला प्लानिंग और डिवीजनल प्लानिंग की मशीनरी को स्ट्रेन्थेन नहीं किया गया, इस संबंध में भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

इसी प्रकार अगर बोर्ड आफ रेवेन्यू को भंग करने के बारे में निर्णय विचाराधीन है तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा। पहले हमारा भी विचार था कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को भंग कर

दिया जाए लेकिन हमने बहुत विवाद के बाद यह सोचा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू से अगर हम ठीक से काम ले सकें, इसका पुनर्गठन कर सकें तो फिर पुनर्गठित रूप में इसका अच्छा काम हो सकता है। आज तमिलनाडु का प्रशासन सबसे अच्छा माना जाता है। आज आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रशासन कुछ मानों में हमसे अच्छा माना जाता है। उन्होंने बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो सबसे सीनियर लोग हैं, उनको स्थान दिया है, उनसे काम लिया है। आज जो बड़े-बड़े प्रशासक हैं, जो आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 के लोग हैं, इनके भी कैरियर हैं, उनको हम प्रमोशन नहीं देंगे ? सब को हम चीफ सेक्रेटरी तो बना नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी योग्यता का लाभ बोर्ड आफ रेवेन्यू के जरिये उठाया जा सकता है। इसीलिये तमिलनाडु ने इसका प्रयोग किया था। बोर्ड आफ रेवेन्यू का जो वर्तमान स्वरूप है, उसको भले ही आप भंग कर दें लेकिन कोई न कोई मशीनरी ऐसी रखें जिससे वरिष्ठ अधिकारियों में स्टैगनेशन न हो। हमने एक गलती अवश्य की थी, हमने बोर्ड आफ रेवेन्यू का जो जुडीशियल विभाग है इलाहाबाद में, उसको बदल दिया। वह परिपाटी हमारी गलत रही। बोर्ड आफ रेवेन्यू का एक हिस्सा आज निष्क्रिय हो गया है। इसके वर्तमान स्वरूप को भले ही भंग कर दें लेकिन उसका जो विचार है, उसे हमें अवश्य ध्यान में रखना होगा। जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकारियों को अलग-अलग विभाग के लोगों ने बुलाकर जिम्मेदारियाँ दीं, उन्होंने उसको निभाया। भूमि सुधार लागू करने में, जो दो साल में काम हुआ, वह हमने बोर्ड आफ रेवेन्यू के सीनियर मेम्बर्स की मदद से ही कराया।

आज जिला मशीनरी का क्या हाल है ? आज निर्णय लेने की क्षमता अफसरों में नहीं रह गई है। इनीशियेटिव नहीं रह गया है। उन्हें डर है कि मंत्री लोग क्या कहेंगे। जब तक आफिसर्स से और कर्मचारियों से काम लेना है, तो उनका विचार हमारे विचार के खिलाफ भी हो तो हमें मौका देना होगा कि हम अधिकारी/कर्मचारी को अपनी राय विनम्रतापूर्वक बतायें.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आपका समय पूरा हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या आप बत्ती जला रहे हैं ?

उपाध्यक्ष—

हाँ, मैं बत्ती जला रहा हूं, आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके 27 मिनट पूरे हो चुके हैं। 4–6 मिनट और आप बोल लें।

नारायण दत्त तिवारी—

आज क्या नाराजी है श्रीमन्, पुरानी परिपाटी है कि नेता विरोधी दल .....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा निश्चय हुआ था कि अनुदानों के ऊपर दलों के नेताओं को 25 मिनट दिये जायं लेकिन आप नेता विरोधी दल हैं इसलिए 5–7 मिनट और बोल लें। काफी माननीय सदस्यों को मौका देना है। साढ़े तीन बज रहे हैं 5 बजे तक पूरा कर लेना है। इसलिए दूसरों को भी मौका दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप पुरानी बात देख लें .....

श्री उपाध्यक्ष—

देख लूंगा, आप बोलें.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन कर रहा था कि जो फाइलें हैं उनमें होता क्या है। विभाग के सचिव, उप-सचिव, जिलाधिकारी निर्णय लेने में कतराते हैं और खाली तथ्यों को लिख देते हैं फार आर्डर्स, सब्मिटेड फार आर्डर्स। अपनी राय कि क्या होना चाहिये, देने में कतराते हैं या क्या करते हैं। आप्शन दे देते हैं कि यह हो सकता है, यह हो सकता है, पाँच-छः चीजों में से कोई करना चाहें, तो कर दें। यह स्थिति है। इससे शासन पंगु हो रहा है। जिला स्तर पर हम ने ए0 डी0 एम0, फाइनेंस की पोस्ट क्रिएट की थी। वह कहाँ तक काम देख रहा है। उससे एक्जीक्यूटिव का काम लिया जा रहा है। डर अधिकारियों का बढ़ा है। जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, उनका डर खत्म हुआ है, कातिलों का डर खत्म हुआ है, भ्रष्टा-चारियों का डर खत्म हुआ है, अधिकारियों का डर बढ़ा है। यह एक करिश्मा है जो हम देख रहे हैं। श्रीमन्, यह स्थिति है आज, अधिकारी जब तक अपनी राय नहीं देंगे तब तक प्रशासन पंगु बना रहेगा, अक्षम होगा। आर्डर्स के लिए सारी फाइलें सेक्रेटेरियट में मंत्रियों के पास आयेंगी, निर्णय नहीं होंगे, यह सबसे बड़ी कमी है आज।

इसी प्रकार श्रीमन, पुलिस का मसला ले लीजिए। पुलिस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे दल को दोषी ठहराया। ऐसा आरोप लगाया जिसके लिए हम दोषी नहीं हैं। आप देखें हमने कभी पुलिस के अनुशासनहीनता के बारे में नारे नहीं लगाये, कभी भाषण नहीं दिया। शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को उस समय की याद आ गयी हो जब पुलिस और फौज में विद्रोह का भाषण दिया था लेकिन हम ने ऐसा कुछ नहीं किया मैं आश्वस्त कर सकता हूं। श्रीमन्, यहाँ पर पंजाब पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में तो कुछ हुआ भी नहीं है। हो सकता है इन्टैलिजेन्स रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सार्वजनिक रूप से पुलिस के लोग बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब पुलिस में सब होते हुये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स अनुशासित रही। वे बधाई के पात्र हैं। मुख्य मंत्री जी ने बधाई नहीं दी।

श्रीमन्, इस प्रसंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के लिए कुछ कदम उठाये, ये उचित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं पुलिस के साथ पी0 ए0 सी0 को भी जोड़ूंगा। पी0 ए0 सी0 हो, ट्राफिक पुलिस हो। इसके लिए तीन केटेगरीज और हैं सी0 आई0 डी0, इन्टेलिजेन्स तथा विजिलेन्स। इसमें आज लोग जाना नहीं चाहते। सी0आई0 डी0 पर जो विश्वास लोगों का था वह खत्म होता जा रहा है। सी0 आई0 डी0 को आप पनिशमेन्ट पोस्ट बना रहे हैं। नाराज हुए तो सी0 आई0 डी0, विजिलेन्स में ट्रांसफर कर दी। लिहाजा सही जाँच वाला गुण कम होता जा रहा है।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी इनकी कर रही है तभी तो यह तारीफ कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्य मंत्री जी ने कुछ हत्याओं तथा डकैतियों के आँकड़े दिये। मैं पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूं। डेढ़ दो महीने के अन्दर वातावरण जो बना है, उसकी आलोचना कर रहा हूं। डर खत्म हो गया, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। आज जीवन के हर हिस्से में अनुशासनहीनता तथा अराजकता बढ़ी है। क्राइम ज्यादा बढ़ा है लेकिन लिखा नहीं जा रहा है। पुलिस क्या करे, क्यों अपनी गरदन फंसाये ? थाने जा कर रिपोर्ट करो लेकिन पुलिस को मजबूर किया जा रहा है कि रिपोर्ट न लिखें। सारा वातावरण विषाक्त हो गया है। पार्टी का सवाल नहीं है। बाँदा जिले को लीजिये शव गृह में लाशों का क्यू लगा हुआ है। किसी भी अखबार को ले लीजिये, जैसे पायनियर, स्वतंत्र भारत, नार्दर्न इंडिया पत्रिका, आज, जागरण सबकी कटिंग मौजूद है। लिखा है उत्तर प्रदेश में हत्याओं का कीर्तिमान टूट गया। उत्तर प्रदेश में जनवरी, 78 से 10 मास के अन्दर 4,455 लोगों की हत्यायें की गयी। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में हत्याओं की सबसे अधिक संख्या थी जब कि पिछले वर्ष इसी दौरान 3981 लोगों की हत्यायें की गयी थीं। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम बढ़ गया। टाइम्स आफ इंडिया में कागनिजेबिल आफेन्सेज के आँकड़े दिये हुये हैं, बरगलरी हर 15 मिनट में, दंगा हर 43 मिनट में, सशस्त्र डकैती हर घंटे में, डेक्वायटी हर दो घंटे में, और इसमें भी लखनऊ डिवीजन यू0 पी0 में टाप करता है और लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है वह क्राइम इन्सिडेन्स में टाप करता है।

आज वातावरण बदलने की आवश्यकता है। क्राइम को प्रोटेक्शन देने के बजाय आज राजनीतिक कांशंसनेस पैदा करने की जरूरत है। चन्द्रशेखर जी ने एक बात सही कही जिसका पालन न प्रदेश में और न केन्द्र में हो रहा है। उनका कहना है कि बदले की भावना से काम किस तरह से किया जाता है। जब विरोधी दल के नेता को इस प्रकार से टोका जाय तो क्या यह प्रजातंत्र है ? कोई मर्यादाएं हैं ? क्या कहा है चन्द्रशेखर जी ने कि—

"We need to have conciliation and co-operation on a national level-even beyond the framework of political parties-taking in its pale all organised forces such as that of students, labour, etc·"

जो वास्तविता है हम आपसी सहानुभूति, सहयोग और समझौते के आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर काम करें जो कि राष्ट्रीय दलों से भी ऊपर उठकर हो—विद्यार्थी और मजदूर, वहाँ तक होना चाहिए।

श्रीमन्, यह क्या बात है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी बीच आपने हमें गिरफ्तार कर दिया। इलेक्शन का फैसला हो जाता, तब करते तो कोई बात थी लेकिन यह कौन-सा नियम है कि चुनाव के बीच में ही वहाँ पर आई0 जी0 पुलिस पहुंचते हैं और हमारे उम्मीदवार को चार दिन पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। हमारे माननीय श्यामधर जी बैठे हुये हैं, माननीय रियासत हुसैन साहब बैठे हुये हैं, कभी आपने परामर्श किया है विरोधी दलों से ? कभी आज तक किया है ? विद्यार्थियों के मसले को लेकर एक बार मुख्य मंत्री ने एक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बैठक बुलाई थी तब से आज तक कोई बैठक इस तरह की नहीं बुलाई। हमारे कार्यकर्त्ताओं के ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुख्य मंत्री को याद होगा कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा हमने चलाया था। वह आज फाइल मंगा लें और देख लें कि क्या हमने उनको मीसा के अन्दर हत्या और अभियोग में गिरफ्तार किया था? अगर इसमें नारायण दत्त तिवारी का हाथ पाया जायेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मान्यवर, उनको याद होगा कि सबसे पहले आदर के साथ उनको बिठाया जाता था और बिना एक प्याला चाय के उनको जाने नहीं दिया.....

(व्यवधान)।

श्री लक्खी सिंह—

यह पुराने सोशलिस्ट हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज जो हमारी पार्टी के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वे डरते है, योजनायें रोकी जाती हैं। आप भी तो काँग्रेस पार्टी में रहे हैं। नारायण सिंह जी हैं, ख्यालीराम जी हैं। जिन्दगी भर काँग्रेस में रहे हैं और अभी एक साल से जनता पार्टी में गये है तो झन्डा वही था जिसने आपको आगे किया। तो यह आज कहाँ का प्रजातंत्र है? इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की क्या हालत है? उनकी किस तरह से आज पेंशन रुकी हुई हैं। हजारों पेंशने रुकी हैं—दो—दो सौ और एक-एक सौ के झगड़े में। इसको आप दुबारा देखिये।

इसी तरह से मैं ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा जो पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में है, नैनीताल में सिविल सर्विसेज का है। मैं कहता हूं कि वहाँ का जो सिलेबस है वह आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। रेफ्रेशर कोर्स का प्राविधान नहीं है। आज की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इन अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को जिस ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, उसका ठीक इन्तजाम नहीं है। हमारी सरकार ने इसके रिव्यू के लिये आदेश दिये थे। उसको भी नहीं किया गया है। उनको अमेन्डमेन्ट और ऐक्ट्स की जानकारी नहीं है। इस ओर ध्यान देना आज के प्रशासन के लिये बहुत आवश्यक है। इसी तरह से सार्वजनिक प्रकार के दो बोर्ड बने हैं पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की मीटिंग बहुत देर में हो रही है। उद्योग मंत्री जी बगल में बैठे हैं उनसे पूछें कि भारी उद्योगों के मामले जिनमें 10, 20 लाख रुपये का इन्वेस्टमेन्ट है इस बोर्ड के सामने पड़े हैं। उसके लिए ज्यादा रुपया माँग रहे हैं। इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड जगहें भर रहा है लेकिन मुख्य मंत्री जी आपको मालूम होगा हमारे प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती मोहसिना किदवई जी के पति को इस इनवेस्टमेन्ट बोर्ड से हटा दिया गया है जबकि और जगहें आप भर रहे हैं। यह बदले की भावना से हुआ, हमारी पार्टी की वह अध्यक्ष हैं। मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से आज काम हो रहे हैं। हममें से सबके किसी न किसी जगह कोई न कोई रिश्तेदार होंगे ही अगर इस तरह से बात होने लगी किसी के पति और किसी की पत्नी को हटा दिया गया तो क्या होगा। श्रीमन्, इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड में एक तरफ इस तरह के कार्य हो रहे हैं और दूसरी तरफ देरी हो रही है।

श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन से बातचीत होना बहुत जरूरी है ताकि चयन जल्दी हो सके। राज्य सेवाओं में चयन में देरी होती है अगर चयन में देरी होगी तो बजट में जो हम जगहें स्वीकृत कर देते हैं वह भरी नहीं जायेंगी। जहाँ हम स्वायत्तता के हामी हैं कि योग्यतम व्यक्ति चुन कर आये लेकिन वह समय के अन्दर चयन करके भेज दें जिन सेवाओं के लिए हमने बजट में प्राविधान किया है, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्रीमन्, आप सूचना विभाग को लें। सूचना विभाग को पंजाब पैटर्न पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है जिला स्तर पर उसको सुदृढ़ करने का, वह आज कमजोर हो गया है।

सूचना विभाग केवल प्रचार करने की दृष्टि से नहीं बल्कि जो विशेष कार्यक्रम है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है लेकिन उसमें रुकावट आ गई है। इसके लिए नियोजन विभाग और सूचना विभाग को मिलजुल कर कार्य करने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि हम पुलिस के लिए बहुत से मकान बना रहे हैं। तो सीमेन्ट कहाँ से आयेगा, इसके लिए ? हमारे भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री हरिश्चन्द्र जी ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार को जितनी आवश्यकता है उसका आधा सीमेन्ट मिल रहा है। उन्होंने आँकड़े दिये थे कि डेढ़ हजार टन सीमेन्ट की आवश्यकता है वह मिलता नहीं है कभी मिलता है, तो वैगन नहीं मिलते हैं। तो बैरिक्स कहाँ बनेंगे ? आज न सीमेन्ट है और न सड़कों के लिए तारकोल है। माननीय मुख्य मंत्री जी जरा मानेटरिंग करायें तो बोटल नैक मालूम हो जायेगा। सड़कों के लिए तारकोल नहीं मिल रहा है, कृपया इस बारे में आपने दिल्ली में बात की पेट्रोलियम मंत्री को बताया जो यहीं के हैं, कि इतनी बीटूमैन की कमी है। आप अपने चीफ इंजीनियर से पूछें कि कितनी बीटूमैन की आवश्यकता है।

प्लानिंग इंस्टीट्यूट में एक मैटीरियल डिवीजन है जो प्लान करता है कि किस योजना के लिए कितने मैटीरियल की आवश्यकता होगी, कितना उसमें सीमेन्ट चाहिये, कितना स्टील चाहिये। इसकी बहुत आवश्यकता है कि राजघाट योजना से लेकर दोहरीघाट, कनहर से लेकर गंडक तक कितने सामान की हमें 5 साल में आवश्यकता होगी, यह वह मैटीरियल प्लानिंग डिवीजन बताता है और कितने बीटूमैन की आवश्यकता है। लेकिन वह डिवीजन मालूम हुआ कि तोड़ा जा रहा है। इस सारी जानकारी के लिये उसकी बहुत आवश्यकता है जिन चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को भी नहीं वह वहाँ से मालूम होती है। मैं यह सारे प्रश्न भूतपूर्व और वर्तमान मुख्य मंत्री के सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहें। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप अपने वायदे पूरे करें, जो आपने किये हैं। आपने असम्भव वायदे कर डाले। कह दिया कि 150 रुपये क्विन्टल गेहूं का दाम कर दिया जाएगा, कह दिया 20 रुपये क्विटल गन्ना का दाम मिलेगा और कह दिया कि सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा।

आज आप जिम्मेदारी के पदों पर आये हैं, आप स्वच्छ प्रशासन दीजिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए सही मायने में प्रजातन्त्र को कायम कीजिए और बदले की भावना छोड़िये। मान लीजिए हमने कोई गलती की है तो क्या बदले की भावना उसका उत्तर है ? हमारे काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर हर स्तर पर जो मुकदमे चल रहे हैं, उनके विषय में आपने वायदा किया था कि वे वापस लिये जायेंगे, लेकिन वह वायदा कहाँ गया ? अपने वायदों को पूरा करते हुए चलेंगे, बदले की भावना को छोड़कर चलेंगे तो हमारी भी सद्भावनाएं आपको

[श्री नाराण दत्त तिवारी]

मिलेंगी, नहीं तो नीतियों, असफलताओं, योजनाओं और मान्यताओं के जंजाल में फंसकर यह प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वह समय रहते सावधान हों, सही मायने में नेतृत्व दें और पुलिस को सही मायनों में शान्ति व्यवस्था का माध्यम बनाएं, तभी आप प्रदेश की जनता के सहभागीदार हो सकेंगे। जो भूतपूर्व मंत्री बैठे हैं, उन्होंने शिक्षा में सबसे बड़ी असफलता की स्वयं घोषणा किया है और इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को इस वर्ष का सेशन जीरो सेशन घोषित करने के बारे में लिख दिया है और यूनिवर्सिटी शिक्षा को समाप्त करने तक की बात है। मुख्य मंत्री जी जितनी शक्ति और बातों में लगाते हैं, काश उतनी शक्ति प्रणाली बदलने में लगाते तो प्रदेश का बड़ा भला होता। मैं आशा करता हूं कि वह अपनी असफलताओं को स्वीकार करके, साहसी बनकर हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा जो मदें प्रस्तुत हुई हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने हैं और जिन्हें मैं क्रमवार अपने समय के अन्दर यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा, उनके आधार पर मैं अवश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुख्य मंत्री जी में जितनी क्षमता और गुण हैं और जितनी उनकी योग्यता है, उसके हिसाब से प्रशासन पर उनकी पकड़ बिलकुल नहीं है।

आज शासन की ओर से प्रदेश के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए जो योजनाएं या कार्यक्रम लिए जाते हैं, वे प्रशासनतन्त्र की ढिलाई और लाल फीताशाही की चट्टान पर टकराकर चकनाचूर हो जाती है। मैं प्रधान मंत्री के शब्दों में कहना चाहूंगा—जब तक प्रशासनिक तन्त्र ठीक ढंग से नहीं चलेगा और उसमें समुचित कार्यक्षमता नहीं होगी, हम कोई भी योजना बनायें, वह मुनासिब ढंग से नहीं चल सकेगी, क्योंकि वह उसको चलाने के माध्यम हैं। सामान्य प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन, 1978 के पृष्ठ 1 पर जो कुछ लिखा गया है, मैं उसके विपरीत तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि—हमने 2,83,633 प्रार्थना-पत्र पिटीशन्स के रूप में प्राप्त किये थे उनका निस्तारण कर दिया है और यह भी कहा है कि हमने विधायकों और जन प्रतिनिधियों के साथ बड़े मधुर सम्बन्ध बनाने के आदेश दे दिये हैं, साथ ही यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों के निस्तारण की पक्की और शीघ्र व्यवस्था की गई है और उन पर कृत कार्यवाही से भी उन्हें सूचित करने की बात है। लेकिन मैं इनमें केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह घोषणाएं कितनी थोथी हैं।

हर घटना के लिए बहुत उदाहरण हैं लेकिन एक एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैंने एक पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को 27 दिसम्बर, 1978 को लिखा था। संयोग से कल ही मुझे पत्र प्राप्त हुआ, एक उप सचिव का है, नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि अमुक व्यक्ति की जानमाल की रक्षा हेतु किये जाने विषयक आपके पत्र दिनाँक 27 दिसम्बर की प्राप्ति मुझे स्वीकार करने का निर्देश हुआ है। पत्र मुझे मिला है। इस पर तारीख पड़ी है 16 मई, 1979। यह पत्र मैं माननीय मुख्य मंत्री को दे दूंगा। कितनी लालफीताशाही है, इसका यह ज्वलंत प्रमाण है। बड़ी महत्वाकाँक्षी घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन उनका कार्यान्वियन नहीं होता। यह मेरे सामने आश्वासन समिति से प्राप्त कागज है। आप जानते हैं कि जिस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किया जो कार्यपालिका के कर्मचारी न्यायपालिका में गये थे, यह निर्देश हुआ था कि माल विभाग उनको बुलायेगा और उनका एक कैडर बनाया जायगा। 1974 में बराबर निर्देश जाते रहे। विधायक होकर मैं आया। मैंने प्रश्न किया दो बार विधान सभा में कि पृथकीकरण क्यों नहीं हुआ और नियमावली क्यों नहीं बनी। तत्कालीन न्याय मंत्री, ओम प्रकाश सिंह जी

ने यह सूचना दी कि सब निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह आश्वासन समिति की तरफ से मेरे पास कागज पहुंच गया कि 22–9–77 को आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न पर कार्यवाही कर दी गयी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और मेरी सुनिश्चित जानकारी है, माननीय मुख्य मंत्री को बता देना चाहता हूं कि आज भी उन कर्मचारियों को अपना कैडर नहीं दिया गया है। शासन अच्छा काम करना चाहता है, उसके लिए महत्वाकाँक्षी योजनाएं बनाता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि शासनतन्त्र पर कभी भी किसी प्रकार की पकड़ नहीं होती। घोषणाएं बड़ी-बड़ी होती हैं, उनका ठीक से अनुपालन नहीं होता।

माननीय मालवीय जी जिस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे 26 जुलाई, 1977 को उन्होंने सीतापुर नगरपालिका में एक पुल बनाने की घोषणा की। तीन बार अनुदान स्वीकृत किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि दो महीने पहले तक इस पर कार्य करने के आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्ग नहीं किये गये। बीसों बार मंत्री जी से कहा। पुराने मंत्री और आज के मंत्री बैठे हुए। पता लगा लें स्वायत्त शासन विभाग का पत्र जिला अधिकारी के पास पहुंच गया लेकिन इसकी प्रतिलिपि पी0डब्लू0डी0 अनुभाग–7 को नहीं गयी। पैसा चला गया, खजाने में जमा हो गया, कागज में पुल बन गया होगा, लेकिन पूरे-पूरे डेढ़ साल पैसा डेड पड़ा रहा। आपके विभाग के पत्रों की यह दशा है।

मंडी समिति के अधिकार क्षेत्र के बारे में मैंने एक पत्र 20 अप्रैल, 1979 को लिखा था। आपके सचिवालय ने मुझे बताया है कि 6 जनवरी, 1979 को एक पत्र कृषि सचिव को लिखा गया था कि आपको सूचना दे दी जाय कि मंडियों में कितनी वस्तुओं के सम्बन्ध में रिट याचिकाएं अथवा अपीलें विचाराधीन हैं और कितनी वस्तुएं हैं जिनके सम्बन्ध में कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं हैं। जनवरी से आज तक, दस दिन पहले की जानकारी मुझे है, आपके सचिवालय को उत्तर नहीं दिया गया। यह आपके प्रशासन का तौर तरीका हो गया है। मेरे जिले में एक पशु चिकित्सालय बनना था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वह बन गया। दो महीने पहले 20 तारीख को मैंने स्वयं उसका उद्घाटन किया। लेकिन पत्र देखिए, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा है कि भूतपूर्व राज्य मंत्री जी पशुपालन को सम्बोधित आपके पत्र दिनाँक 29–1–79 के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि राज्य के सीमित संसाधनोंके कारण वर्तमान में रायकोट, जिला सीतापुर में पशु चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है। यह है प्रशासन और इनकी प्रगति। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने, जो इस समय सदन में नहीं हैं, घोषणा की थी कि समितियाँ बनायी जायेंगी जिनमें संसद सदस्य और विधायक लोग पदेन सदस्य होंगे। समितियाँ बन गयीं, पत्र में लिखा है कि अध्यक्षों का नामिनेशन बाद में किया जायगा और सचिव जो हैं वे अध्यक्ष की सलाह से समितियों की बैठक के स्थान तय करेंगे। शासन की सद्इच्छा थी कि विधायकों को अधिकार प्राप्त हों लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

एक यहाँ पर सैनिक स्कूल है। माननीय मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष और मुख्य सचिव उसके सेक्रेट्री होते हैं। मान्यवर, 1970 में वहाँ पर 12 कर्मचारी निकाल दिये गये। मामला आगे बढ़ा और उस समय के मुख्य मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने इसी आदरणीय सदन में घोषणा की थी कि जब कभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो पहले आप लोगों को रखा जायगा। लेकिन उसके बाद आज तक 12 कर्मचारी नियुक्त हो गये हैं, लेकिन वे बेचारे ज्यों के त्यों बेकार पड़े हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार के निकम्मेपन को बताते हुए प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आज प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उनको साथ-साथ धन्यवाद भी देता हूं कि क्योंकि उन्होंने आज सदन के अन्दर जनता राज स्थापित करने के लिए घोषणा की है। इस प्रदेश में माननीय नारायण दत्त तिवारी को मुख्य मंत्री बने रहने का बहुत दिनों तक मौका मिला लेकिन उनकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्त्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाये जा रहे हैं, उनको भी जेलों में बंद किया जा रहा है। जिस राज्य में कानून होगा, कानून का राज्य चलेगा, वहाँ पर चाहे इनका उम्मीदवार हो, चाहे माननीय सदस्य हों और चाहे वह मंत्री हो विधि के राज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायगा। ऐसा माननीय नेता विरोधी दल भी जानते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे तो दूसरी बात है। लेकिन आश्चर्य है कि हमारे नेता विरोधी दल ने एसी बात कही। एक ओर तो तिवारी जी कहते हैं कि प्रशासन ठीक से कायदे कानून के अनुसार चले और दूसरों ओर यह कहते हैं कि हमारे कार्यकत्ताओं को बन्द कर दिया जाता है तो यह बात हास्यास्पद है।

जहाँ तक सामान्य प्रशासन की बात है, इसमें तो काफी सुधार हुआ है। हम ऐसा यकीन करते हैं कि जब तक प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याएं रहेंगी, शासन की जो भी नीतियाँ होंगी उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एमरजेन्सी में जितने भी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन्स रुके हुये थे, जनता सरकार के गठन होते ही शासन ने यह फैसला ले लिया था और आदेश जारी कर दिये थे कि जिन लोगों को निकाल दिया गया था, उनको बहाल किया जाय, जिनकी प्रोन्नतियाँ रुकी हुयी थीं, अविलम्ब उन्हें प्रोन्नत किया जाय। पहले पी0 सी0 एस0 में लोक सेवा आयोग द्वारा चुन कर लिए जाने पर नियुक्ति में बड़ा बिलम्ब हो जाया करता था लेकिन अब आदेश जारी करके उसके लिए मंडल आयोग और डी0 आई0 जी0 को अधिकृत कर दिया है जिससे उन लोगों की नियुक्ति में अनावश्यक बिलम्ब न हो।

(इस समय 4 बज कर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। अभी तक सर्विस रूल्स तक नहीं बने थे। इस सरकार के आते ही अब तक 84 सर्विस रूल्स बन कर तैयार हो चुके हैं और वे प्रकाशित भी हो चुक हैं, केवल 15 बनने के लिये शेष रह गए हैं।

हरिजनों का जितना उत्पीड़न काँग्रेसी राज्य में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। जब से यह सरकार आयी है उनके साथ अत्याचार बहुत कम हो गये हैं और उन्हें न्याय मिल रहा है।

जहाँ तक पुलिस की बात है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम सभी को पुलिस के कार्यों में पुलिस का सहयोग देना चाहिये। कानून का पालन होना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जहाँ कानून का राज्य चलता है वहाँ ही अच्छा प्रशासन होता है।

इस सरकार के जमाने में गेहूं और आलू का काफी उत्पादन बढ़ा है। हर क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि ही हुई है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को भी सुना और माननीय नेता विरोधी दल श्री तिवारी जी के भाषण को भी सुना। पिछले प्रशासन ने, इन तिवारी जी की सरकार ने 18 महीने तक इस सम्पूर्ण देश और प्रदेश को एक जेलखाना बना दिया था, कोई भी व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल सकता था, कहीं कोई भाषण नहीं दे सकता था, इसी सदन में आपातकाल में माननीय नेता, विरोधी दल 3 घंटा तक बोले थे और दूसरे दिन अखबार में केवल यही छपा था कि माननीय नेता, विरोधी दल भी बोले। जनता पार्टी ने आते ही बोलने की स्वतंत्रता दी, वाणी की स्वतंत्रता दी, नागरिकों को मूल भूत अधिकार प्रदान किये, सर्वांगीण विकास की योजनायें चलायीं। आखिर आपको इन सब बातों को तो मानना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो वह तर्क नहीं कुतर्क होगा।

हमने इस प्रदेश और देश को लोकतंत्र दिया। पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। मैं शासन से भी कहना चाहता हूं, बाहर भी कहता रहता हूं, भले ही नारायण दत्त तिवारी जी अपने गलत आँकड़े प्रस्तुत कर दें और इधर सरकार की तरफ से भी पुलिस द्वारा दिये गये आँकड़े प्रस्तुत हो जाएं, ईमानदारी की बात आज यह है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहना आज मुश्किल हो गया है। प्रदेश की गलियों में, गाँवों में, कस्बों और शहरों में, खुली गुन्डागर्दी हो रही है। कल मैं मथुरा छावनी स्टेशन से चला, वहाँ एक नवजवान शराब पिये हुये थे, वह लड़कियों को छेड़ रहा था, पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। जो बात सही है उसको मानना चाहिये।

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने यह कहा कि दो वर्ष के जनता शासन में कुछ नहीं हुआ यह बिलकुल गलत बात है। बिलकुल सही नहीं है। अगर दो साल के अन्दर कोई काम नहीं होता, तो मान्यवर, अगर पुरानी स्थिति रहती 18 महीने वाली, तो यह विधान सभा लुप्त हो जाती, चुनाव ही न होता और मैं जानता हूं कि न जाने कितने वर्ष तक चुनाव न होता। मैं तो गुप्तचर विभाग को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इंदिरा गाँधी की आँखों पर पर्दा डाल दिया, वरना चुनाव तो होते ही नहीं अंतिम समय तक उनका राज्य रहता और फिर वह अपने युवराज को गद्दी पर बिठाने की स्थिति में रहती। जब मैं 62 में चुनकर आया था, तो ट्रेजरी बेंचेज भरी रहती थी, मैं समझता हूं कि आज वह स्थिति पैदा हो गयी कि

[श्री राधेश्याम शर्मा]

थोड़े से लोग उधर बठे हुए हैं और ज्यादा लोग शासन में इधर को आ गये। पर इस पर भी मैं कोई कमाल नहीं मानता हूं, हम कोई गलती करेंगे, डकैती, चोरी बदमाशी और छीना झपटी का साम्राज्य अगर हो जायगा और उसको नहीं समाप्त करेंगे, तो यह जनता अंगड़ाई लेती है, अगर हमने भी गलती की है, तो हमको मान्यवर, उधर बैठाल देगी। तो हमें तो उनकी तरह से करना नहीं है। मैं 4–5 सुझाव देना चाहता हूं। पहला, आज किसी आदमी ने किसी के ऊपर हमला किया, किसी की जान ले लिया और उसके 10–15 दिन के बाद देखता हूं कि वह हाई कोर्ट से जमानत करा कर चला आता है और गवा ों को रोकता है और अराजकता पैदा करता है। तो मेरा पहला सुझाव है, पूरे विधान सभा से कि इस तरह का कानून बनाये सी0आर0पी0सी0 में और आई0पी0सी0 में संशोधन करें, तो जो सही मुलजिम पकड़ा जाय और जिसके बारे में प्राइमाफेसी केस सिद्ध हो जाय कि यह प्रागदर्शन में है, उसकी जब तक जमानत न हो, जब तक आरोप सिद्ध न हो जाय और जब तक मुकदमा का फैसला न हो जाय। आज जितने अपराध हो रहे हैं, इस तरह से करने में, उसमें से अपने आप आधे तो वैसे ही ठीक हो जायेंगे। आज जैसे किसी ने किसी को मारा, वह भी छूट कर आ जाता है। जितनी अराजकता है, डकैती है, चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के व्यक्ति, इसमें राजनैतिक संरक्षण बहुत होते हैं। अगर राजनैतिक संरक्षण देना बंद कर दें, आचार संहिता, कोड आफ कन्डक्ट बन जाय कि किसी तरह से भी किसी को संरक्षण नहीं ेंगे, बदमाश-बदमाश है, चोर-चोर है, डाकू-डाकू है, तो उनका हौसला नहीं बढेगा।

तीसरा सुझाव मैं आपको यह देना चाहता हूं कि जिस वक्त जो चुनाव होते है, हम आम चुनाव जिस वक्त लड़ते हैं, गुन्डागर्दी का प्रदर्शन वही से ज्यादा होता है। आम चुनाव में किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी सभी के मूल अधिकार, मैं समझता हूं वह चोर, डाकू को भी वोट का वही अधिकार दिया हुआ है, मर्डरर, कातिल और डाकू को भी वही अधिकार दिया हुआ है, जिसका मतदाता सूची में नाम है। श्री राम नरेश यादव, श्री नारायण दत्त, श्री बनारसी दास को भी और मुझे भी और सभी को सबके पास वोट माँगने जाना पड़ता है। तो उसका ौसला बढ़ जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के पास वोट माँगने कतई न जायें तो सामान्य प्रशासन में सुविधा होगी, चुस्ती होगी और सामान्य प्रशासन में चुस्ती और सुविधा होगी, तो यह देश फलेगा, फूलेगा। ज्यादा समय न ीं है मान्यवर, इस समय, सारी बातें बताता, इन टोस सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस थोड़े से समय में जो मैंने सुझाव दिया है, इस दिशा में अगर कदम उठाया जायगा, तो देश आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्खी सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, हमको समय दीजिये।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, एक बदलाव अंग्रेजों के जाने के बाद आया। देश की जनता के दिल में बड़ी आकाँक्षा थी और इसकी पूर्ति 30 बरसों में कितनी हो पायी, इस बारे में माननीय सदस्य जब बोलने के लिए उठते हैं तब दोहराते हैं। यही बात काँग्रेस गत 30 बरस से कहती रही कि देश को अंग्रेजो ने बरबाद कर दिया। हम बचे हैं इस देश का सुधार करेंगे। वह बच्चा बुड्ढा होकर मर गया, उसकी जवानी का कोई पता नहीं चला। फिर काँग्रेस का कुकर्म जब देश की जनता उठाती रही तो जो उधर बैठे हैं इस समय, अधिकाँश लोग इधर के उधर चले गये हैं लेकिन कुछ लोग जब इस विषय को उठाये कि हम जनतंत्र की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, देश की जनता को नयी दिशा देंगे, तो आकांक्षा जगी और परिवर्तन आया। लेकिन सामान्य प्रशासन कैसे चले। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार हैं या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मिनिस्टरों के आदेश, असेम्बली में घोषणायें होती हैं, मिनिस्टर आदेश देता

हैं, पता नहीं उनकी भाषा के किस किस्म की है, आदेश किस किस्म के हैं, एक मिनिस्टर दूसरे को बेईमान कहता है, एक दूसरे को घूसखोर कहता है। आपस में मारा-मारी के अलावा उनके सामने कोई प्रदेश के लिये कार्यक्रम नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक, किसी भी मंत्री को किसी भी तरीके से बदनाम करके या उसके गलत कार्यों को सामने लाकर, उसे हटाकर कुर्सी पा जायें और जब खड़े होते हैं तो काँग्रेस के कुकर्म का गुणगान करते हैं। अगर नारायण दत्त तिवारी की सरकार ऐसी न रहती तो आप जो पलटुओं की सरकार है, 25, 28, 30 साल काँग्रेस कुकर्म लेकर, मलवा लेकर चली गयी, उसे हटाने की हिम्मत ही नहीं है। आप मलवा की बात करते हैं, नारायण सिंह जी बैठे थे, शर्म के मारे मूड़ी नीचे करते जा रहे थे लेकिन करें क्या, कुर्सी की मोह में, पदलोलुपता में पड़े हैं। मैं उनको क्या कहूं। वह भी कभी-कभी काँग्रेस के ऊपर हमला करते हैं। इस देश को, सही माने में जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कहते हैं, 30 बरस में काँग्रेस ने महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू को ले लेकर के, लूट डाला है। और आज भी 80 प्रतिशत के काँग्रेस के लोग उधर जाकर बैठे हैं। हो सकता है कुछ कम हों लेकिन आज भी मंत्री की कुर्सी पर 30-30 साल मलवा करने वाले मंत्री मौजूद हैं। इसी तरह से मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सचमुच अगर थोड़ा बहुत भी उस एमरजेन्सी के समय की घोषणाओं के बारे में आपको याद है तो आपको काम करना चाहिए। काँग्रेस वाले लोगों के मुकाबले हया लाज होनी चाहिए। आपने घोषणा की कि हम निकायों के चुनाव करायेंगे ग्राम पंचायतों के चुनाव करायेंगे। जनता द्वारा चुनी हुई कमेटियों को खतम कर दिया, जिले के अधिकारी के हाथ में आपने प्रशासन को दे दिया। आपस की मारामारी के कारण आपके अन्दर हिम्मत नहीं कि आप चुनाव करा सकें .....

श्री अधिष्ठाता—

कृपया प्रश्न को बदलिये वर्ना एक ही प्रश्न पर आप रह जायेंगे।

श्री जयराम—

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जो जिले की हालत है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, इतनी अराजकता है वहाँ कि उसके बारे में अगर एक-एक घटनायें गिनाई जायें तो समय नहीं मिल पायेगा। अभी हमारे यहाँ एक प्रश्न आया। स्कूल के लड़कों में झगड़ा हुआ, मर्डर हुआ। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस घटना को तोड़-मरोड़ कर राजनैतिक पहलू देने का प्रयास किया। हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त, इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, वह कह रहे थे कि सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी की जरूरत क्या है जबकि नाम दर्ज है। माननीय मंत्री जी पता नहीं किसके दबाव में आकर कर रहे थे कि वह विचार कर रहे हैं कि इसमें सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी कराई जाये या न कराई जाये। मान्यवर, नाम दर्ज है लेकिन उसे सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी के लिये सुपुर्द कर दिया। इसी तरह से मंत्री लिख देते हैं लोगों के स्थानान्तरण के बारे

[श्री जयराम]

में कि स्थानान्तरण के बारे में कोई न मिले। लेकिन अभी तक यह कोई नियम बना ही नहीं पाये। मजबूर होकर हमें इनके बीच में जाना पड़ता है। जनता के बीच से हम चुन कर आये हैं, जनता हमारे पास आती है, हमें भी वोट लेना है। जब हम इनके पास जाते हैं तो नियम रख देते हैं, मजबूरी जाहिर करते हैं। इसी तरह से नौकरियों की दशा है। मान्यवर, मंत्रियों के टेलीफोन होते हैं, नियुक्तियाँ कराई जाती है। जितना कुकर्म 30 वर्ष में नहीं हुआ दो वर्ष में जनता पार्टी के लोग उससे सवाई कर चुके हैं। इस तरह से मैं अपने सुझावों के साथ माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ल की तरफ देखें कि काँग्रेस के लोगों ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है इसलिये आप लोग बैठ जायं। मेरे अधिकार में होता कि एक समय में दो बोलेंगे तो मैं दो को बुलवा देता। कोई ऐसी व्यवस्था आप बतायें कि दो एक साथ बोल सकें, तो मैं यह भी कर दूंगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि 18–19 महीनों में जनता पार्टी ने काफी काम किये है, काफी अच्छे काम किये हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे नेता रोजाना एक न एक बयान जनता पार्टी के खिलाफ दिया करते हैं और अखबार वाले उसको बुरी तरह उछालते हैं, सबकी नजर अखबारों पर जाती है इन बातों के बारे में लेकिन जो काम हो रहा है उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। वाकई में जो काम हो रहे हैं उनकी तरफ हमारी नजर जानी चाहिये और जो आलोचना बेकार करते है उसको बंद करना चाहिये। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, पहले शासन की ओर ध्यान जाना चाहिये, शासन के लोग ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे बस्ती जिले में एक काँड हुआ बलात्कार का जिसमें वहाँ के कोतवाल श्री गुलाब तिवारी को सस्पेंड किया गया और सी0 ओ0 का ट्रांसफर पी0 ए0 सी0 में कर दिया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जातीय आधार पर श्री नंद लाल यादव का ट्रांसफर फिर पुलिस में कर दिया गया। तो कैसे शासन ठीक हो सकता है। अगर हस्तक्षेप न किया जाय, विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से तो काम ठीक हो सकता है। हमें जानबूझकर दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि गुलाब तिवारी सस्पेंड है उनकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है। तो अगर हम विधायक लोग, मंत्री लोग अनुचित हस्तक्षेप शासन में न करें तो प्रशासन का काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पहले के मुख्य मंत्री जो अब नंबर दो हो गये हैं तो जब चुनाव चल रहा था तो हमारे जिले के कलेक्टर को वोट लेने के वास्ते ट्रांसफर कर दिया। अगर ट्रांसफर वोट लेने के लिये किया जायगा तो हम कैसे अपेक्षा करें कि वह लोग नियमों के मुताबिक काम करेंगे। जैसा कि राधेश्याम जी ने कहा कि हमारे लिये कोई कोड आफ कांडक्ट नहीं बनता तो प्रशासन ठीक नहीं हो सकता।

आज हम रेलों में जाते हैं, फर्स्ट क्लाश का टिकट मेरे पास है लेकिन जगह नहीं मिलती। आप मारे डर के लोगों से बोल नहीं सकते हैं। न पुलिस, न जी0 आर0 पी0 के लोग रहते हैं। हर आदमी आतंकित रहता है। जो लोग इन चीजों पर कड़ाई करना चाहते हैं, अगर कड़ाई से शासन करते हैं तो वह वहाँ पर रह नहीं पाते हैं।

संख्या 3—मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान सख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के शहर कोतवाल निलंबित हो गये तो श्री घोषाल आये। उन्होंने कड़ाई से काम किया, पूरा आतंक गुन्डों का खत्म हो गया, गुन्डागर्दी खत्म हो गयी, नये-नये गुन्डे जो पनप रहे थे वह बंद हो गये। उनके तबादले की लोग कोशिशें कर रहे हैं, मजबूर होकर मुझे तीन तार मुख्य मंत्री, आई० जी०, डी० आई० जी० को देने पड़े। असामाजिक तत्व उनका ट्रांसफर चाहते हैं। मुख्य मंत्री को उनके ट्रांसफर रोकने के बारे में लिखना पड़ा। कारण यह था कि श्री घोषाल ने एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के घर में तलाशी करवा दी थी। तो अगर ऐसे मामलों में हस्त-क्षेप न किया जाय तो मुनासिब काम हो सकता है। हर एक की जिम्मेदारी है, राह चलते हुये हम लोग संस्तुति कर देते हैं यह नहीं देखते कि क्यों कर रहे हैं। अगर हमें शासन और प्रशासन चलाना है तो हम दूसरों के दोष कम देखें और जो दोष हमारे में हैं उन को देखें तो काम आसानी से चल सकता है।

हमारे जिलों में बहुत से काम हो रहे हैं, काम करने में भी दो आँखें बरती जाती हैं। बजट बनता है, जिले में बजट जाता है, मीटिंग होती है। जिस क्षेत्र में जो काम होना चाहिये, वह हो लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ विधायकों के नाम मंत्री लोग दे रहे हैं कि ट्यूबवेल इनके क्षेत्र में बन जाय, नहर इनके क्षेत्र में बन जाय, 15 किलोमीटर सड़क इनके क्षेत्र में बन जाय, इस प्रकार के आदेश जा रहे हैं, पता नहीं यह क्या बात है। काम यह होना चाहिये कि जिलों में जो कमेटी बनी हैं उनके प्रतिनिधियों की राय के मुताबिक किस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, कहाँ ट्यूबवेल लगाये जायं और कहाँ सड़कें बनें, इसको देखते हुये, समान रूप से सभी विधायकों के क्षेत्र में यह काम होने चाहिये। ट्यूबवेल लगाने के संबंध में मैंने सिंचाई मंत्री जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं जहाँ आदेश हो गये हैं वहीं लगेंगे नहीं तो आपस में झगड़ा हो जायेगा। इसलिये यह बात ठीक नहीं है। यदि गलत आदेश दिये गये है कि इनके क्षेत्र में ट्यूबवेल न लगाये जाये तो यह बात गलत है। इसी तरह कल मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि शासन की ओर से ट्यूबवेल कहाँ लगेंगे नाम लिखकर आते हैं। इस-लिये मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से आदेश व्यक्तिगत विधा-यकों के कहने पर न दिया करें बल्कि जो मुनासिब हों वह काम करें।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठे जायं, मैंने श्री श्रीराम द्विवेदी को बुला लिया है।

श्री लक्खी सिंह—

मुझे बोलने का समय आप नहीं दे रहे है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लक्खी सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। आप लिस्ट को देखकर नहीं बुलाते हैं। मेरा नाम लिस्ट में है लेकिन मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बठ जायं, मैंने श्री श्रीराम द्विवेदी को बुला लिया है।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

आप जिसका नाम लिस्ट में होता है उसको नहीं बुलाते हैं लेकिन जिसका नाम नहीं है उसको बुलाते है। मैं जानना चाहता हूं कि शिष्टाचार का क्या यही मतलब है कि जो बोले नहीं उसको बोलने का मौका न दिया जाय और जो बोले उसको दिया जाय। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय न बोलने दिया गया और न बजट में ही।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया सुनिये, मैंने श्री श्री राम द्विवेदी को बुलाया है, आपको नहीं। आप सब का समय नष्ट कर रहे हैं। आप जबरदस्ती चाहते है कि बोल लें तो ऐसे नहीं बोल सकेंगे। एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। एक साथ दो-तीन नहीं बोल सकते हैं। यदि एक साथ दो व्यक्तियों को बोलने का कोई तरीका है तो वह बता दें, तो बोल लें। मैंने श्री द्विवेदी को बुला लिया है। इसलिये यदि सदन के कार्य को चलाना है तो श्री द्विवेदी जी बोलेंगे। इसलिये आप बैठ जायं।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मुझे बोलने का मौका दिया जाय। आप लिस्ट से नहीं बुलाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा विवेक है मैं जिसको चाहूं उसको बुलाऊंगा।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

आप भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। आप विवेक से बुलायेंगे तो मैं आपके विवेक के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रताप सिंह पुष्पवान सदन त्याग कर चले गये।)

श्री श्रीराम द्विवेदी—

मान्यवर, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा था कि भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को बड़ी सुविधायें दी जा रही हैं। इस संदर्भ में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे तमाम भूतपूर्व राज्य मंत्रियों पर 2 रुपये रिक्शा से आने का और 2 रुपये रिक्शा से जाने का खर्च और बढ़ गया है। गाड़ियां उनके पास नहीं है। किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो उनके बारे में इस तरह की कोई बातें कहना अनावश्यक रूप से वितंडावाद पैदा किया जाना है।

मान्यवर, आज सामान्य प्रशासन पर जो चर्चा पुलिस के संदर्भ में चल रही है, मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर पुलिस में आन्दोलन की सुगबुगाहट सी दिखाई पड़ रही है। अखबारों में जो समाचार पढ़ने को मिले है, उससे भावित होता है कि आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा होने वाला है। मान्यवर, वाराणसी में कुछ संसद सदस्यों और विधायकों को जाने में रोक लगा दी गयी है। मैं मुख्य मंत्री जी को

इस राय का समर्थक हूं कि पुलिस में यूनियन नहीं होनी चाहिये। लेकिन पुलिस की जो परेशानियां हैं, उनकी जो समस्यायें हैं, उनके वेतन के संबंध में और पेंशन वगैरह आदि के संबंध में जो सुविधायें हैं, मैं निश्चित रूप से इस सदन के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार को पुलिस के मसायल जो हैं, उनकी जो समस्यायें हैं, उनके बारे में गम्भीरता से विचार करें ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके।

मान्यवर, हमारे देश में जो पुलिस का ढांचा है, जो पुलिस का प्रशासन है, वह अंग्रेजी राज्य से चला आ रहा है। उसमें अभी वह जनतांत्रिक भावना नहीं पैदा हुयी है जो डेमोक्रेटिक सेट अप में पुलिस के कर्त्तव्यों की होनी चाहिये। अभी उसमें कुछ कमी रह गयी है। मैं, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारी पुलिस का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वह इस तरह की रखी जानी चाहिये कि जिससे जनतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सेट अप जो है, उसके मुताबिक हमारी पुलिस और ज्यादा सक्षम, कुशल और कर्त्तव्यनिष्ठ बन सके।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 67 नये थाने खोले जायेंगे। मान्यवर, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं लगातार वहाँ एक थाने की माँग करता आ रहा हूं वह जगह है तारुन, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तारुन ब्लाक एक बहुत लम्बा इलाका है और अकेले हैदरगढ़ से कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि इस बजट में तारुन में थाने का निर्माण किया जाय। इसी तरह से भवन निर्माण के बारे में है। हमारे जिले में खंडासा में थाने में जो कमी थी, भवन निर्माण के लिये 2 लाख आवंटित किया गया है लेकिन भवन निर्माण का काम नहीं हो पाया। लेकिन आज इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने खंडासा में भवन निर्माण के आदेश निर्गत कर दिये हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछ मौलिक समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे प्रदेश में साधारण पुलिस से लेकर बड़े अफसरों तक आवासीय व्यवस्था के लिये प्रायरटी दी जाय। मान्यवर, आज हमारे समाज में देश और प्रदेश में जो तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तस्करी और चोरबाजारी की घटनायें हो रही हैं, उसको रोकने के लिये प्रयास होना चाहिये। आज तस्करी, चोरबाजारी और सफेदपोश अपराध जो कांग्रेस के जमाने से बढ रहे थे, मजबूत होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस प्रशासन में एक नया दस्ता इस काम के लिये कायम करें। पुलिस में ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे तस्करी, चोरबाजारी, सफेदपोश जरायम को जो संरक्षण है, और उनसे जो घटनायें पैदा होती हैं, उनको समूल नष्ट करने के लिये विस्तृत रूप से पुलिस दस्ते बनाये जाने चाहिये।

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में अलीगढ़ में इस तरह की घटनायें घटी हैं कि जिसने साम्प्रदायिक दंगे का रूप लिया है। इसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री ने जो रुख अख्तियार किया है, उसको तमाम दुनिया के लोगों ने, देश के लोगों ने स्वागत किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की जो अपील की है, साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जो खुलासा किया है, आज मैं सदन के जरिये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कड़ाई के साथ इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ है इस देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करती ह, उनको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिये, देश के अन्दर अमन चैन कायम करने के लिये, प्रदेश में शाँति और व्यवस्था में सुधार करने के लिये, अपने उन तमाम कार्यों के लिए जो उन्होंने अपने ऊपर उठाया है, उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज नेता विरोधी दल ने सदन में जनता पार्टी को भ्रष्ट सरकार होने का साबित करने का प्रयास किया परन्तु मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा को यह बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता उनकी पिछली सरकार ने हमारे अधिकारियों को दिया है। उन्होंने आदेश करके हम लोगों के खिलाफ झूठे केस बनवाये और डी0 आई0 आर0, मीसा में हमको बन्द किया। वह यह कहने के अधिकारी नहीं है। हिंसा की जो प्रवृत्ति फैल रही है, आपने कल देखा होगा कि देहरादून में दस या पांच लोगों को अदालत में प्रवेश का अधिकार दिया गया था परन्तु इतने काफी लोग घुस गये। आज भी उनके आदमी ने जो ऊपर से पर्चा फेंककर विधान सभा में निन्दनीय कार्य किया है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में इस तरह डकैतियां पड़ी हैं कि मैं विधान सभा में हवाला देना चाहता हूं। मलिहाबाद के खनता गांव में पासियों के घर में डकैती पड़ी और लड़कियों की बेइज्जती की गई। मलिहाबाद के इंजना गांव में गद्दी के घर के लोग बारात गये थे, उनके जेवर भी लूटे, पांव भी काटे और उनकी छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार किया। एक दिन में 4 डकैतियां पड़ी हैं। मलिहाबाद बाजार में दो-दो चोरी हुई। मलिहाबाद के चौराहे पर 3 बार गोली चलाई गई। अहमद अली खां के घर में चोर लोग घुसे सेंध लगाकर, उनकी श्रीमती जाग गयीं और अहमद अली खां ने अपने बच्चों के साथ हल्ला मचाया कि हमारे घर में चोर घुस गये हैं। चोर लोग बक्सा लेकर भागे तो उनके लड़के ने गोली से फायर किया। चोर जख्मी हो गया खून के छींटे मिले और फिर एक मस्जिद में चोरी का सामान मिला। आज तक वह गोली लगा हुआ आदमी गिरफ्तार नहीं हो पाया, लिहाजा मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या आवश्यकता है कि ऐसे एस0 पी0 को पुलिस की वर्दी दी जाय। रहीमाबाद चौराहे पर जो पुलिस चौकी बनी है उसे रिपोर्टिंग चौकी कर दिया जाये। माल थाने को एक जीप दी जाय और उन्नाव सरहद पर बख्त्यारनगर में चौकी खोल कर रिपोर्टिंग की जाए। अहमद अली की पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान आज प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, विशेष रूप से सामान्य प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संबंध में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। 15 अगस्त, 1947 को जब अंग्रेज इस देश से गये, जो आज प्रशासनिक ढांचा, प्रशासन का तौर-तरीका विद्यमान है, वह अंग्रेजों की विरासत है। उसमें कोई मौलिक परिवर्तन, मौलिक चिन्तन आज तक हम नहीं कर सके हैं। भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने संतानम आयोग की स्थापना की, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की स्थापना हुई।

संख्या 3—मंत्रि-परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम

(इस समय 4 बज कर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और उन्होंने बाद में बहुत सारी संस्तुतियां दीं लेकिन उन संस्तुतियों का कार्यान्वयन आज तक नहीं हो सका। जो आयोग उस समय गठित हुये उस समय की और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। अंग्रेजों का काम केवल शासन करना था और इस लिए उन्होंने उस तरह के प्रशासन का गठन किया। आज के राज्य का काम केवल शासन करना नहीं है। चूंकि हमारा शासन लोक कल्याण का शासन है, उसमें जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है इसलिए इसका काम केवल शासन करना नहीं है। जन प्रतिनिधि भी इस शासन में भागीदार है इसलिए इस प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने की, मौलिक चिन्तन की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो शासन है, जो जिला प्रशासन है, जो सामान्य प्रशासन है, उसके प्रति हर एक को असंतोष है। वह चाहे सत्ता धारी पक्ष में बैठने वाला हो चाहे विपक्ष में बैठने वाला हो, सब को असंतोष है।

आज जिला प्रशासन की कुछ विशेषतायें हैं और वे विशेषताएं हैं विलम्ब, टाल मटोल, देख लिया जायगा, देख लेंगे, जाँच करेंगे, अनावश्यक नोट, जिम्मेदारी से बचना आदि। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा प्रशासन चुस्त हो, हमारे प्रशासन में तत्परता हो, निर्णय लेने की तत्काल क्षमता हो, और जो निर्णय लें उसको कार्यान्वित कराने की क्षमता हो और शक्ति हो। आज इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा और मशीनरी है वह निष्क्रिय और अक्षम हो चुकी है। कभी कार्य समय पर नहीं हो पाता। जो सरकार द्वारा जिले के लिए आवंटित धन है चाहे स्कूल के लिये हो, सड़क के लिए हो, चाहे अस्पताल के लिए हो, नगरपालिका के लिए रोड ग्रान्ट हों, उसका उपयोग उस वर्ष के अन्दर नहीं हो पाता। कोई भी संस्था हो, नगरपालिका हो, जिला परिषद हो, कई वर्ष से जिलाधिकारी के अन्तर्गत है। एक ही अधिकारी के अन्दर होने के कारण ये संस्थायें क्षमता से काम नहीं कर पाती हैं। जिला प्रशासन को अपने प्रशासन में सोचने और अपने तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण काल में एक बात का जरूर प्रयास किया जाय विशेष कर प्लानिंग के बारे में। फील्ड में काम करने वाले अधिकारी, गांवों में जाने वाले अधिकारी अपने को केवल वेतनभोगी कर्मचारी न समझें उनमें डेडीकेशन की भावना भी होनी चाहिये। जिस पद पर उन्हें रखा गया है उसके दायित्व को वे समझें। जब तक अधिकारियों में इस प्रकार की डेडीकेशन की भावना नहीं आती है तब तक अधिकारी अपने को वेतन भोगी कर्मचारी और अधिकारी समझेगा। उनका दृष्टिकोण होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते है, जो विधायक हैं, संसद सदस्य हैं, उनका काम करें। सत्ताधारी पक्ष में कौन सा व्यक्ति उनको हानि पहुंचा सकता है, उसका काम करें। प्रशासन को चुस्त बनाना चाहते हैं, ईमानदार बनाना चाहते है तो उसमें समर्पण की भावना पैदा करें।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। प्रशासन चुस्त हो, प्रशासन में क्षमता आये इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर और प्रत्येक स्तर पर जो अधिकारी हैं वे एक दिन सप्ताह में ऐसा मुकर्रर करें जिस दिन वे जनता की शिकायतें सुनें और उनका निराकरण करें। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और हर विभाग के अधिकारी सप्ताह में एक दिन निश्चित करें इस काम के लिए। इसकी सार्वजनिक घोषणा करें, जिस दिन जनता का प्रतिनिधि, जनता का आदमी उनसे जनता की शिकायत कह सके अपनी शिकायत कर सके। जिलों के अधिकारियों के अन्दर जब तक यह भावना नहीं भरी जायगी, कार में बैठ कर आने वाले व्यक्ति, ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले व्यक्ति भले ही जिला अधीक्षक के कार्यालय से लौट जायं लेकिन जो गरीब व्यक्ति हो जिसके पास खाने को न हो और जिसके तन पर कपड़ा न हो वह जिला अधीक्षक के कार्यालय से बिना मिले न जा पाये। इस तरह का दृष्टिकोण जिले के अधिकारियों में पैदा किया जाय। इस तरह जिला स्तर पर जिला शिकायत समितियों का गठन किया जाय और उन शिकायतों का निस्तारण समय पर किया जाय।

हमें नियम बनाना होगा जिससे कार्य में विलम्ब न हो। किसी भी निलम्बन का निस्तारण अन्तिम रूप से 6 महीने में हो जाना चाहिये और अगर इससे अधिक समय लगे तो जो अधिकारी दोषी पाया जाय उसको दंड दिया जाय। साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि स्थानान्तरण के लिये नीति निर्धारित करें जो न्याय संगत, तर्क संगत हो। ट्रांसफर सम्बन्धी नीति का कठोरता से पालन किया जाय। बदले की भावना से स्थानान्तरण न किया जाय। इसके लिये भी नीति निर्धारित की जाय कि हर काउन्टर पर कितने दिन फाइल रहे और कोई फाइल नियत समय से अधिक किसी काउन्टर पर रहती है तो उस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रत्येक जिले में एक सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किया जाय जो जिलाधिकारी के समकक्ष हो। वह हर विभाग से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण करे। होता यह है कि जिस अधिकारी की शिकायत होती है उसी के पास वह शिकायत जाती है, उसी विभाग में वह कागज जाता है जिससे ईमानदारी से उस शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाता। लिहाजा जिला स्तर पर यह सतर्कता अधिकारी ही सभी शिकायतों का निस्तारण करे।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो आपने सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार ने अपने भाषण में एक बात कही कि मुख्य मंत्री जी का जिस तरह का ऊंचा व्यक्तित्व है, उनका जैसा गहरा अनुभव है उसके अनुसार अभी तक उनकी शासन पर पकड़ नहीं हो सकी है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। वह मुख्य मंत्री शासन को किस तरह से चलाता होगा जिसके मंत्रि मंडल के एक दर्जन मंत्री डकैती, कत्ल से तथा गबन से सम्बन्धित हों। मुझे यह कहते हुए वेदना होती है। फिर भी मुख्य मंत्री जी शासन को चला रहे हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। अलीगढ़ के मामले में, दादरी के मामले में जिस हिम्मत और जीवट का परिचय उन्होंने दिया इससे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ गयी है जो हमारे लिये गौरव की बात है।

मैं उनको अपने क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहता हूं। जनपद चमोली इस समय यात्रियों से भरी पड़ी है। मैंने कुछ दिन पहले अपनी जानकारी के आधार पर बयान दिया था कि वहाँ सड़कों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, 20 दिन तक मिट्टी के तेल की सप्लाई नहीं हुई लेकिन मेरे बयान को काट दिया गया। मैं सदन के अन्दर घोषणा करता हूं कि आप देखें कि कहीं 6 घन्टे और कहीं 8 घन्टे पानी मिलता है लेकिन मेरे बयान को यहाँ बैठे उच्चाधिकारियों ने काट दिया। अगर मेरे बयान में असत्यता नजर आये तो मैं

सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। मैं यह अपील करता हूं कि आप कुछ लोगों का एक दल भेजिये कि वाकई में उन गाँवों को मिट्टी का तेल पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्या यात्रियों की सुविधा के लिये पूरी टट्टियों की व्यवस्था की गई। क्या जो गमक्सिन पाउडर गाँवों को दिया जाना था वह उन्हें पहुंचा? मान्यवर, न ीं पहुंचा। कारण स्पष्ट है कि आज उच्च अधिकारियों का नीचे के लोगों से बिल्कुल सम्बन्ध टूट गया है।

आज यह कहा जाता है कि कुछ निकम्मे मंत्रियों की भ्रष्टाचार की फाइलें बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथ में है जिससे वह मंत्री की पोल न खोल सके। हमारे ऊखीमठ में एक डकैती ड़ी। वहाँ पर ट्रेजरी में जो कॉस्टेबुल ड्यूटी पर था वह कैसे भरती हुआ? श्रीमन्, उसको ो बार सजा हो चुकी है। वह न हाई स्कूल पास है और न इन्टर पास है। जाली प्रमाण पत्र देकर वह पुलिस में भरती हुआ था और ऊखीमठ में राजकोष में गार्ड में ले लिया गया। लोगों का कहना है कि डकैत रात भर 4 ताले काटता रहा और 1 लाख 33 हजार ट्रेजरी से निकल गया। इतनी बड़ी डकैती का पता लगाने में यह सरकार अक्षम हुई है। अगर इसकी जाँच करायी जाय तो पता चल जायगा कि इसमें कितने लोगों का हाथ है। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री की नीयत पर नहीं जाता। उनकी निष्ठा पर मुझे पूरा भरोसा है, वे भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करके प्रहार कर रहे हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मामले में भी वे पूरी छानबीन करेंगे ताकि वहाँ के लोगों के मन में इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो सके।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात पुलिस के सिपाहियों की ओर ले जाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ के सिपाहियों को अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ पुलिस का सिपाही 6 हजार फुट से लेकर 10 हजार फुट तक ड्यूटी पर रहता है और तब आप एक साधारण अफसर के साथ उसकी तुलना करते हैं। वह बेचारा सैकड़ों मील दूर अपने परिवार से होता है। अपने बाल-बच्चों को छोड़कर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर वह देश की सेवा के लिये तैनात रहता है। तो जो इस तरह से आपकी सेवा कर रहा है उसकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं दिया जाता ह तो बड़ी तकलीफ होती है। धर्मवीर जी ने स्पष्ट ही लिखा है यह देश इसी लिये पिछड़ रहा है कि यहाँ पर छोटे कर्मचारी की उपेक्षा हो रही है। एक मात्र कारण उसका यही है।

मान्यवर, पूरा उत्तराखन्ड अपनी अमूल्य मूर्तियों क लिये विख्यात है। कुछ अमूल्य मूर्तियाँ तो चोरी चली गई हैं। मान्यवर, आपके पास साँस्कृतिक कार्यकलाप विभाग भी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप पूरे उत्तराखन्ड के मन्दिरों का सर्वेक्षण करायें। अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखन्ड में 8 जनपदों में से केवल 2 जनपदों में एस0 पी0 पोस्ट दी गई है और बाकी डी0 एस0 पी0 की पोस्ट हैं। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे इन 6 जनपदों में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार नहीं होता है? मैं समझता हूं कि इसीसे हमारे अधिकारी में हीन भावना पैदा होती है। इसलिये म माँग करूंगा कि जिस प्रकार पूरे

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]
प्रदेश में हर जिले में एस0पी0 की पोस्ट है उसी प्रकार हमारे इन जनपदों में भी एस0पी0 की पोस्ट घोषित कर देनी चाहिये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ यात्रा सीजन होता है तो रामपुर का या बरेली का जो बदमाश पुलिस वाला होगा उसे बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ में भेज दिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि यात्रा सीजन में इन स्थानों पर डकैती और चोरियाँ बढ़ जाती हैं जिनमें पुलिसवालों का भी हाथ होता है। इस तरह से जो निष्ठावान अफसर होते हैं वे भी बदनाम हो जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में जिनकी चरित्र पंजिका भ्रष्ट हो उनको उत्तराखन्ड में न भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इन माँगों का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री हरिश्चन्द्र की गन्ना सहकारी विकास समितियों द्वारा गन्ने के विकास तथा उसकी अच्छी उपज के लिए वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत गन्ना कृषकों को दिये गये ऋण पर मनमाने ढंग से ब्याज की वसूली के संबंध में है, को स्वीकार किया है। शेष सूचनायें जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्रीनारायण, श्री मोहन सिंह तथा श्री अजीत सिंह सेठी ने दी, अस्वीकृत की हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो सूचना आपने नियम 51 में स्वीकार की है इस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

25 तारीख को होगा।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों में लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनदान संख्या 30—सतकता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रौद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

उपाध्यक्ष—

अब इस पर चर्चा जो हो रही है उस पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, खड़े हो जायं। (श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी के नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासद हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

5 बजे गये हैं, उठने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

काफी लोग बोलने वाले हैं, साढे 5 बजे तक चलने दें अगर सदन की राय हो तो।

श्री रियासत हुसैन—

कल के लिए छोड़िये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चतुर्वेदी को बुला लिया है, उनको बोल लेने दीजिये।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)––

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन के संबंध में अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, राज्य की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना हुआ करता है। जब राज्य की स्थापना हुई उसी समय यह उद्देश्य था कि आम नागरिक के जीवन की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता कायम रहे और उसकी संपत्ति की रक्षा हो। आज जो स्थिति हम देखते हैं कि राज्य के माध्यम से जो सामान्य प्रशासन की स्थापना इन तीनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई उसकी रक्षा करने में, मान्यवर, जनमानस में एक भावना पैदा हो रही है और उसके प्रति अविश्वास व्याप्त हो रहा है, असंतोष का वातावरण व्याप्त हो रहा है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब तक हम आम नागरिक के जीवन को और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाते हैं, जब तक हम उसके जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं हमें शासन में बैठने का हक नहीं है। हमें खुशी है जब से हमारे नये मुख्य मंत्री आये हैं सामान्य प्रशासन में काफी सुधार हुआ है, तेजी से सुधार हुआ है। जो अराजकता का वातावरण व्याप्त था उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस विशाल प्रदेश में कार्यभार बहुत ज्यादा है, कार्यों की अधिकता बड़ी है इसलिये यह आवश्यक है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। जब तक हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे, सामान्य प्रशासन में विशेषकर उत्तर प्रदेश के सामान्य प्रशासन में चुस्ती और स्वच्छता नहीं मिल पायेगी। मान्यवर, यह प्रदेश विशाल है, बहुत से लोग इसके विभाजन की माँग करते हैं लेकिन मैं इस राय का नहीं हूं। विभाजन से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन को स्वच्छ करना होगा और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा। अधिकारियों को अधिक से अधिक अधिकार नीचे के स्तर पर देने होंगे। यदि यह किया गया तो निश्चित तौर पर सामान्य प्रशासन में काफी चुस्ती आयेगी।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुय कहना चाहता हूं कि हर मंडल स्तर पर मिनी सचिवालय बनायें। इससे यह होगा कि जो काम प्रदेश स्तर पर जो लखनऊ में करने से देर होती है, उसमें कमी आयेगी। मेरा कहना है कि हर मंडल स्तर पर जो अधिकारी है चाहे वह कमिश्नर हो चाहे डिप्टी सेक्रेटरी श्रेणी का आदमी बिठाया जाय उसे अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं और वह मंडलीय स्तर पर ही कार्यों का निबटारा करे। प्रदेश स्तर पर केवल नीतियों का निर्माण हो और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश यहाँ से जायं बाकी सारे काम मिनी सचिवालय के माध्यम से कमिश्नर स्तर पर हो तो प्रशासन में चुस्ती आ सकती है। इसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन में भी योगदान

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

मिलेगा और लाल फीताशाही में जो अनावश्यक देरी होती है, वह बच जायेगी। विलम्ब से बचने के लिए लोग अधिकारियों को घूस देते है, चपरासियों को घूस खिलाते है, कहीं कहीं पर बड़े अधिकारियों को लोग घूस खिलाते हैं। मान्यवर, लालफीताशाही का अंत करने के लिए और नौकरशाही की जो पकड़ जनताँत्रिक प्रणाली में है उसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, उसमें आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के सेट-अप को परिवर्तित कर उसे लचीला नहीं बनायेंगे, तब तक हमारा सामान्य प्रशासन दुरुस्त और चुस्त नहीं हो सकता है। इस सामान्य प्रशासन की जो प्रणाली बनी हुई है, वह बहुत ही विलम्बकारी है। कोई मंत्री कोई फाइल मांगेगा तो वह सचिव से माँगेगा, सचिव संयुक्त सचिव से माँगेगा, वह उप सचिव से माँगेगा और फिर वह जिलाअधिकारी से माँगेगा। इसी तरह से नीचे से सब सीढ़ियों पर होते हुए वह फाइल मंत्री तक पहुंचती है। इसमें अनावश्यक विलम्ब होता हैं। होना यह चाहिए कि मंत्री फाइल माँगे तो वह सीधे जिला अधिकारी से माँग सके। उससे समय और दूरी कम होगी और भ्रष्टाचार और लालफीताशाही भी कम होगी, उसका खात्मा होगा। इसलिए मिनी सचिवालय की स्थापना की तरफ हमारी सरकार को सावधानीपूर्वक गम्भीरता से विचार करना चाहिये। साथ ही जिला स्तर पर ऐसे सेल की स्थापना करें, जो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर निगाह रख सके, उन पर अपना अंकुश रख सके। साथ ही बरिष्ठ अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए अलग से एक कमेटी और भी होनी चाहिये।

अब मैं आपके सामने पुलिस की कुछ समस्याओं को रख कर उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नहीं तो काँग्रेस (आई) के लोग जो इस बात पर डटे हुए हैं कि हम पुलिस में अनुशासनहीनता फैलाकर उनसे विद्रोह कराकर प्रजातन्त्र को खत्म कर दें, वह अपने कुचक्र में सफल हो जायेंगे। यह लोग उनमें अनुशासनहीनता और असन्तोष फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अतः आपको उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। उनको अधिक से अधिक आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिये। उनको अपराध प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की पूरी छूट मिलनी चाहिये तथा उनको और उनके कार्यकलापों को राजनैतिक हस्तक्षेप से हर प्रकार से मुक्त रखा जाना चाहिये। इसके संबंध में दो-चार सुझाव और मैं देना चाहूंगा। पुलिस कॉंस्टेबुल जो होता है, उसे एक चपरासी से भी कम वेतन मिलता है, जबकि वह अपने परिवार से दूर चौबीसों घंटे अपनी जान को खतरे में डाल कर ड्यूटी किया करता है। आपको उनके जीवन की सुरक्षा प्रदान करनी होगी, उनकी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। यह भी करना होगा कि हमारे पुलिस अधिकारी समाज में देश भक्ति की भावना से काम करें, केवल पैसे के लिए ही काम न करें।

सामान्य प्रशासन पर जनता के धन का एक बहुत बड़ा भाग व्यय होता है। अतः मितव्ययिता की ओर भी ध्यान देना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार के मंत्री बने हैं, उनके ठाठ-बाट में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह भी वही सारी सुविधाएं हथियायें हुये हैं, जो काँग्रेस के जमाने में मंत्रियों के पास थीं, उन्हें उन सुविधाओं को छोड़ना होगा। जो सरकार में बैठे हुये लोग हैं उनको करना होगा। पूरी सरकार को करना होगा, सामान्य प्रशासन में करना होगा क्यों किजनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे जिले की समस्या है। हमारे जिले में एक जिला अधिकारी गये हैं सचिवालय से, कोई खुरशीद साहब हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत रुप से मुलाकात नहीं है। लेकिन जन मानस में एक अफवाह है कि वह आम जनता से मिलते नहीं। कभी जिला अधिकारी ने यह प्रयास नहीं किया कि वह आम जनता से मिलें। आज स्थिति यह है कि उनके आने के बाद देवरिया जिले में प्रशासन अत्यन्त गन्दा हुआ है। वैसे ही स्थिति पुलिस अधीक्षक की है।

संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग, पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। आप का समय समाप्त।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

दो-दो स्थानान्तरण उनके हुये लेकिन रोक दिये गये। आज देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों की नीलामी पांच-पाँच हजार रुपये में होती है। मैं सरकार का इधर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री औसान सिंह, आप कल भाषण शुरू करेंगे। अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
22 मई, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 214 पर)

नकल चिक नं० 362 मु० अ० नं० 387, धारा 302 आई० पी० सी० पी० एस० किठौर ता० 29-12-78

नकल तहरीर

सेवा में कोतवाल साहब थाना किठौर निवेदन है कि करीब 12-13 महीने हुये हमारे ट्यूबवेल का मोटर मेरे गाँव के हसरत वल्द हाकीम, जरीफ वल्द पीर बख्श, मंगलू वल्द करीम बक्श ने जंगल में चोरी किया था जिसकी चोरी रिपोर्ट मेरे बाप अनवार हुसैन ने इन तीनों के खिलाफ लिखाई थी तभी से यह लोग मेरे बाप से रंजिश मानते चले आ रहे हैं। उस मुकदमें में अभी तक इन लोगों का चालान नहीं हुआ था। मेरे बाप अनवार हुसैन इन लोगों को चालान करने के लिये इस समय काफी भागदौड़ कर रहे थे जिसका पता इन लोगों को चल गया था। आज सुबह करीब साढ़े सात बजे हसरत और जरीफ ने हसरत के मकान के पास मेरे बाप अनवार हुसैन को रोक लिया और गाली देकर कहने लगे तू हमें जेल भिजवाने को फिर भागदौड़ कर रहा है। हमारे पीछे पड़ा तो अच्छा नहीं होगा इसी बात में मेरे बाप व हसरत व जरीफ की काफी गाली गलौज हो गई और दोनों मेरे बाप को मारने दौड़ पड़े मेरे बाप को गाँव के अयाज मोहम्मद ने बचाया मेरा बाप भी हेकड़ था उसने उनसे कहा कि जब तक मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा तो हसरत और जरीफ ने कहा कि हम जेल जाने से पहले तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यह बात मेरे बाप ने मुझे घर पर बतायी थी मेरा बाप रोजाना शाम के वक्त क्रेसर पर जाते थे हमारा क्रेसर गाँव से पश्चिम उत्तर हमारे चक पर गाँव से करीब एक फर्लांग पर है। मेरे बाप क्रेसर पर रोजाना इंशा की नवाज पढ़ने गाँव में आया करते थे आज भी रोजाना की तरह मेरे बाप अनवार हुसैन नवाज पढ़ने क्रेसर पर से गाँव आ रहे थे मैं भी पीछे पीछे आ रहा था करीब साढ़े सात बजे शाम जब मैं व मेरे बाप अनवार हुसैन ग्राम सभा की छूट की जमीन जिसमें गाँव वालों ने बिटोरे बना रखे हैं और कूड़ी डाल रखी है मैं रास्ते में आये तो एक दम बिठौरो की आड़ से मेरे गाँव के मंगलू जिस पर लाठी थी और हसरत जिस पर लाठी थी और जरीफ जिस पर दो धारा बल्लम था निकलकर आ गये और मेरे बाप को घेर कर ललकारकर कहा अब बच साले कैसे बचेगा आज तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप पर बैटरी थी जिसकी रोशनी मेरे बाप ने उन पर डाली और मैंने और मेरे बाप ने शोर मचाया मेरे बाप ने बचकर भागने की कोशिश की लेकिन मंगलू, जरीफ, हसरत तीनों ने मेरे बाप को रास्ते में घेर लिया और घेरकर तीनों बल्लम व लाठियों से मेरे बाप को जान से मारने के लिये मारपीट करने लगे। हमारे शोरगुल करने पर गाँव के मिजदाक हुसैन वल्द आपाक हुसैन व साजिद हुसैन वल्द जाहिद हुसैन भाग कर आ गये जिन्होंने बैटरियों की रोशनी डालकर देखा और मुलजिमान को डांटा तीनों मुलजिमों ने मेरे बाप को मारपीट कर गिरा दिया और गिरे हुये को भी मारा, मारपीट के दौरान जरीफ के बल्लम की लाठी बल्लम जोड़ने के जोड़ पर से टूट गई और बल्लम का फल वहीं गिर पड़ा मेरे बाप की जान से मारकर खत्म करके तीनों मुलजिमान मेरी तरफ मारने को बढ़े मैं होशियार था जान बचाकर भाग पड़ा गवाहान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका मुलजिमान गाँव की तरफ भाग गये उनके जाने के बाद अपने बाप की लाश देखी रपट लिख कर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थी मंसूर हुसैन जिलानी पुत्र अनवार हुसैन निवासी जड़ौदा थाना किठौर जिला मेरठ 29-12-78, ह० काशीराम, हे० मो० 29-12-78, सत्य प्रतिलिपि ह० अपठित 29-12-78।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 218 पर)

तालिका—1

विभिन्न थानों के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों का विवरण—

थाना	वर्ष 1976 हत्या	1976 डकैती	1977 हत्या	1977 डकैती	1978 हत्या	1978 डकैती
कालपी ..	3	1	5	4	3	2
कदौरा ..	4	3	3	5	6	7
आटा ..	2	1	5	3	9	2
चुर्खी ..	4	1	1	5	4	3

तालिका—2

वर्ष 1978 में दर्ज हत्या तथा डकैती के 'वर्क आउट' हुये केसेज का विवरण:—

थाना	चालान हुये मुकदमों की संख्या		गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	
	हत्या	डकैती	हत्या	डकैती
कालपी ..	2	—	12	11
कदौरा ..	4	5	12	53
आटा ..	6	2	27	12
चुर्खी ..	1	1	11	9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 222 पर)

समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में शासन की नीति

शासकीय विभागों के समस्त विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो निम्नलिखित निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं:—

क—दैनिक पत्र का आकार 50×38 से0 मी0 तथा पृष्ठ संख्या 4 हो।

ख—साप्ताहिक पत्र का आकार 35×25 से0 मी0 हो और पृष्ठ सं0 4 हो।

ग—दैनिक पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या 1000 से कम न हो।

घ—साप्ताहिक पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या 500 से कम न हो।

च—दैनिक साप्ताहिक पत्र पिछले छः मास से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा हो।

छ—समाचार पत्रों में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले, अश्लील, चरित्र हनन, और व्यक्तिगत आक्षेप के लेख व समाचार प्रकाशित न होते हों।

उपर्युक्त शर्तों पर जिला अधिकारी तथा विभाग की निरीक्षा शाखा से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाचार पत्र को विज्ञापन सूची में सम्मिलित किया जाता है।

ज—गत नवम्बर, 1977 से स्मारिकाओं और होम जर्नल्स को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 224 पर)

सुझाव	कार्यवाही
बैठक दिनाँक 17-6-78	
(1) यह सुझाव दिया कि इस जनपद में थाने तथा चौकियों की संख्या बढ़ाई जाय।	(1) इस जनपद में नये थाने बनाने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया गया।
(2) यह सामान्य आरोप लगाये गये थे कि कई मामलों में निर्दोष व्यक्तियों को फंसा दिया गया है।	(2) उन्हें आश्वासित किया गया कि यदि वे कोई विशेष मामला जानकारी में लावेंगे तो निष्पक्ष जाँच होगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
(3) यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ कर्मचारी असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देते हैं।	(3) उन्हें बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी इस संबंध में दृष्टिगत होता है तो उसके विरुद्ध जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
बैठक दिनाँक 30-9-78	
(1) संसद सदस्यों एवं विधायकों ने यह आशंका प्रकट की थी कि कुछ कर्मचारी हरिशंकर तिवारी तथा गोधन सिंह गैंग से संबंध रखते हैं इस कारण इन गिरोहों को प्रोत्साहन मिलता है।	(1) उन्हें आश्वासित किया गया कि समस्त थानाध्यक्षों को चेतावनी दी जायेगी कि ऐसा विदित होने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समस्त थानों को चेतावनी भेजी गई। इस प्रकार की कोई शिकायत ज्ञात नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 226 पर)

डा0 वस्टर्ड, जो विश्व खाद्य संगठन के घड़ियाल विशेषज्ञ हैं, की वर्ष 1974 की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में कोई घड़ियाल विस्थापन एवं प्रजनन फार्म स्थापित नहीं किये गये हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश, वन विभाग द्वारा स्वयं ही प्रयोगात्मक रूप से घड़ियाल और मगर विस्थापन योजना वर्ष 1975 से आरम्भ की गई है।

इस योजना पर आरम्भ से वित्तीय वर्ष 1975-76 से 1978-79 के अन्त तक कुल रु0 15,28,198.00 पैसे व्यय हुआ है और 842 बच्चे घड़ियाल के तथा 60 बच्चे मगर के पाले जा रहे हैं। इसमें से घड़ियाल के 10 बच्चे उड़ीसा को, 2 बच्चे मद्रास के क्रोकोडाइल बैंक एवं 2 बच्चे भूटान सरकार को तथा 2 मगर के बच्चे भी भूटान सरकार को दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश वन विभाग की इस योजना की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ एवं उपयोगिता यह हुई है कि इसकी सफलता से संतुष्ट होकर भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश में घड़ियाल परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हो गई तथा घड़ियाल विस्थापन केन्द्र क्रमशः लखनऊ के निकट कुकरैल वन एवं बहराइच जनपद के कतरनियाघाट क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। मगर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत होने वाला अनावर्तक व्यय भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि से एवं आवर्तक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 1975-76 से वित्तीय वर्ष 1978-79 के अन्त तक घड़ियाल पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रु0 10,82,017 का अनावर्तक व्यय एवं रखरखाव व स्टाफ आदि पर रू0 4,46,181 का आवर्तक व्यय हुआ है। वर्ष 1975 से 1978 तक लगभग 1850 घड़ियाल एवं 120 मगर के अण्डे एकत्रित किये गये जिनसे लगभग 1500 घड़ियाल व 70 मगर के बच्चे निकले, जिनमें से इस समय 842 घड़ियाल के बच्चे एवं 60 मगर के बच्चे पाले जा रहे हैं। उक्त केन्द्रों में ही पल रहे शेष जीवित बच्चे इतने विकसित हो जाने पर कि स्वतंत्र रूप से अपना पोषण कर सकें तब नदियों में छोड़ दिय जायेंगे। इनमें से 14 घड़ियाल के बच्चे कतरनियाघाट वन्य जीव बिहार में स्थित बिरवा नदी में प्रयोगिक स्तर पर छोड़े गये हैं और लगभग इतने ही बच्चे नव सृजित राष्ट्रीय चम्बल पशु बिहार के अन्तर्गत चम्बल नदी में छोड़े जा रहे हैं। इस योजना की उपयोगिता यह भी रही है कि प्रदेश की नदियों में घड़ियालों का सर्वेक्षण किया जा रहा है एवं इनकी लुप्तप्राय संख्या को बढ़ाने हेतु प्रमुख नदियों जैसे गिरुआ, चम्बल में केन्द्रों पर पाले हुये बच्चों को छोड़ा जा रहा है। प्रदेश में इनके प्रमुख वास स्थल गिरुआ नदी को सम्मिलित करते हुये कतरनियाघाट वन्य जीव बिहार की स्थापना वर्ष 1976 में हुई तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में चम्बल नदी के भागों को सम्मिलित करते हुय राष्ट्रीय चम्बल बिहार की स्थापना मास जनवरी, 1979 में हुई है और इसके लिये भारत सरकार द्वारा पूर्ण व्यय वहन किए जाने वाली एक सेन्ट्रल सेक्टर योजना स्वीकृत हुई है। जब इन घड़ियालों से उनके योग्य वासस्थल पुनर्वासित हो जावेंगे तो द्वितीय चरण में इनकी फार्मिंग किये जाने की योजना है जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों को व्यवसाय मिल सकेगा।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 197 विधान सभा (794)—1979—835।